खण्ड-258, अंक-6
मंगलवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1887
(10 अगस्त, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३८६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री

गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद, वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री

जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां नवाबजादा, सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री

नौरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री

बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
मयूरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

यादवेन्द्र दत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासतहुसैन, श्री
रुक्मसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री

शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद महमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्वीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिव प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १० अगस्त, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्राइस कन्ट्रोल बोर्ड

**१—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि सरकार बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये प्राइस कन्ट्रोल बोर्ड बनाने जा रही है ? यदि हां, तो यह बोर्ड कब तक बनकर तैयार होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी (खाद्य मंत्री)—

जी नहीं ।

**२—श्री बलवानसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि इस बोर्ड में कौन-कौन सदस्य किस दल के होंगे और उनके कार्य-कलाप क्या होंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मंगलसी क्षेत्र में जीप दुर्घटना

*१—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के मंगलसी क्षेत्र में १९६२ के आम चुनाव में किसी व्यक्ति को जीप से एक पुलिस कर्मचारी को दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और उक्त जीप पर कौन-कौन लोग बैठे थे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जी हां। जाब्ता फौजदारी के अनुसार कार्यवाही चल रही है। कहा जाता है कि जीप में चालक के अलावा और एक व्यक्ति था।

[१० अगस्त, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले को बिजली

*१—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील गगहा के बड़हलगंज और गोला ब्लाक में कौन-कौन गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी एक हजार से ऊपर है और उनमें अब तक बिजली नहीं लगी है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

स्थानों के विद्युतीकरण की सूची ब्लाक के अनुसार नहीं रखी जाती वरन् जनपद के अनुसार रखी जाती है। गोरखपुर जिले में एक हजार जनसंख्या के ऊपर के जिन स्थानों को विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, उनकी सूची संलग्न है। इन स्थानों का विद्युतीकरण १९६५-६६ में होने की सम्भावना है।

*२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया उन गांवों में बिजली देने की व्यवस्था करेंगे जिनमें बिजली नहीं लगी है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है और किन-किन गांवों में बिजली लगेगी और कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गोरखपुर जिले के एक हजार जन संख्या के ऊपर के जिन गांवों को विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, उनकी सूची संलग्न है। सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। जो स्थान राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड से, जिसके अनुसार १,००० जन संख्या पर

१ १/२ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन बनाई जा सकती है, जो सम्भव पाये जायेंगे उनका विद्युतीकरण उचित समय पर कर दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६७ पर)

श्री कल्पनाथसिंह—

जब गांव किसी न किसी ब्लाक में हैं तब सरकार को ब्लाक के अनुसार सूची देने में क्या दिक्कत है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उस तरह की सूची मेरे पास नहीं है, आप चाहें तो अपने ब्लाक से ले लें।

श्री कल्पनाथसिंह—

जिन ब्लाकों में एक हजार से अधिक आबादी वाले गांव विद्युतीकरण के लिये लिये गये हैं, उनकी प्रगति क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रगति की सूचना हमारे पास नहीं है, अगर आप नोटिस देंगे तो मंगाकर बता देंगे।

श्री राम सुन्दर सूरत (जिला गोरखपुर)—

गोरखपुर जिले की जो सूची तैयार की गयी है उसमें एक हजार से अधिक आबादी वाले सभी गांव शामिल किये गये हैं या अभी कुछ बाकी हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सभी तो नहीं हैं, गांव ज्यादा हैं, कुछ गांव जरूर छूट गये हैं।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)—

जिन गांवों में बिजली लग चुकी है लेकिन अभी तक लाइन नहीं दे रहे हैं, वहां सारा रुपया भी ग्राम सभाओं और टाउन एरियाओं द्वारा जमा हो चुका है, सरकार का भी लाखों रुपया व्यय हो चुका है और लाइन न देने के कारण सरकार को काफी क्षति हो रही है, जैसे नौतनवां बाजार है, तो क्या सरकार वहां लाइन देकर प्रकाश देगी जिससे सरकार और जनता को लाभ हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब बिजली कहीं ले जाते हैं तो देने के लिये ही ले जाते हैं लेकिन सामान की कमी या कोई न कोई ऐसी दिक्कत जरूर है जिसकी वजह से वहां बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

१९६५–६६ में जिन गांवों को गोरखपुर जिले में विद्युतीकरण के लिये लिया गया है उसके लिये कलेक्टर, जिला परिषद् के अध्यक्ष और वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की राय से सारा काम किया जाता है, क्या जिले के विधायकों से उस विषय में कोई परामर्श नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराके विधायकों की राय भी उसमें लेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गोरखपुर के बारे में सूचना आपको मुझसे ज्यादा होगी। हमारी यह योजना है कि जो लाइन ली जाती है उसके लिये एक मापदंड है, जो गांव उसमें आते जाते हैं उनको लाइन जाती है लेकिन भविष्य में हम सोच रहे हैं कि अगर कोई स्कीम हो तो उसमें विधायकों, जिला परिषद् के सदस्यों या ऐसे लोगों से भी सलाह अगर नहीं लेते हैं तो लिया करें यह आदेश हम भिजवा देंगे।

श्री राजनारायण (जिला मिर्जापुर)--

वह मापदण्ड क्या है जिसके हिसाब से आप बिजली लगाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

कई बार बताया जा चुका है, फिर बता दीजिये ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

काफी दफा हाउस में बता चुका हूं लेकिन फिर दुहराये देता हूं । वह यह है कि १ हजार से अधिक आबादी वाले गांवों के डेढ़ मील के अन्दर लाइन अवश्य होनी चाहिये ।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि गोरखपुर जिले का एक बहुत बड़ा भू भाग और बहुत बड़ी आबादी बाढ़ पीड़ित रहती है और वहां बिजली देकर लोगों को अधिक से अधिक काम दिया जा सकता है और अन्य प्रकार की सहूलियतें भी पहुंचायी जा सकती हैं । तो क्या सरकार इसका फिर से सर्वेक्षण करायेगी जिससे वहां के लोगों को अधिक से अधिक बिजली मिल सकें ताकि अधिक से अधिक से काम वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों को मिल जाया करें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सर्वेक्षण तो कराते ही हैं लेकिन इस बार कुछ रुपयों की दिक्कत है । हम आपसे रुपया मांगेंगे, आप रुपया दे देंगे तो हम काम चलायेंगे ।

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

गोरखपुर जिले के जिन गांवों को बिजली दी गयी है क्या सरकार को पता है कि वहां के उन गांवों के झोपड़ों में भी बिजली पहुंच गयी है या नहीं और पहुंची है तो कितने झोपड़ों में पहुंच गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अगर कभी आप मेरे साथ चलें तो आपको पता चलेगा कि गांवों में कितनी रोशनी हो गयी है ।

सहारनपुर में बिजली की दर

*३--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को मालूम है कि सहारनपुर बिजली सप्लाई कम्पनी ने गत २ वर्ष में घरेलू प्रयोग के लिये दो बार डी० सी० की दर बढ़ा दी है और ए० सी० की दर कम कर दी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--

सहारनपुर बिजली सप्लाई कम्पनी ने गत दो वर्षों में घरेलू प्रकाश व पंखे के लिये डी० सी० सप्लाई की दर कवल एक बार बढ़ाई और दूसरी बार छूट की दर कम कर देने के कारण शुद्ध दर स्वतः बढ़ गई । इन दो वर्षों की अवधि में ए० सी० की दर तो वही रही किन्तु छूट में कमी-वेशी होने के कारण शुद्ध दर में कई बार अन्तर हुआ ।

*४--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)--

इस समय में उक्त कम्पनी ए० सी० व डी० सी० पर प्रति यूनिट कमीशन काट कर क्या लेती है और इसी प्रकार दो वर्ष पहले इन दोनों प्रकार की बिजली पर क्या लिया करती थी ?

श्री गिरधारीलाल--

इस समय उक्त कम्पनी प्रकाश व पंखे के लिये प्रयोग की जाने वाली डो० सो० बिजली ४० पैसे प्रति यूनिट व ए० सी० बिजली ३३ पैसे प्रति यूनिट की दर से सप्लाई करती है। दो वर्ष पूर्व इन दोनों प्रकार की बिजली की दर ३५ पैसे प्रति यूनिट थी।

कोलअसला परगना में सिंचाई साधनों का अभाव

*५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सिंघौरा, बतसपुरा, परगना कोलअसला, जिला वाराणसी में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है? तो क्या सरकार इन दोनों गांवों में ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

ग्राम सिधौरा का सम्पूर्ण कृषि योग क्षेत्र चोलापुर माइनर के कमान्ड में है। बतसपुरा गांव में सरकार द्वारा सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। विस्तृत सर्वेक्षण आदि के बाद यदि क्षेत्र नलकूप निर्माण के लिये आर्थिक एवं प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो चौथी योजना काल में यहां नलकूप निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

*६--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २८ मार्च, १९६५ को गांव सभा कनियर, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी की जनता की दरख्वास्त सिंचाई मन्त्री तथा अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी को प्राप्त हुई है और एक दूसरी दरख्वास्त सिंचाई मन्त्री को दिनांक ७ मई, १९६५ को गांव खसड़हवा बड़वापुर, नौडिहाल, हरीपुर, कनियर की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने के बारे में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

केवल एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २८-३-६५ का प्राप्त हुआ है। कथित ग्रामों में नलकूप लगाने के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पूरे क्षेत्र में उस माइनर से आज तक पानी नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या दूसरी माइनर बनवाने की कृपा करेंगे ताकि वहां पानी की व्यवस्था हो सके?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जो वहां की हालत है वह हमें मालूम है। यह बात सही है कि पानी होते हुये भी जमीन ऊंची नीची होने से पानी मिल नहीं पा रहा है। इसलिये हम इसका विस्तृत सर्वेक्षण करा रहे हैं और यह देख रहे हैं कि क्या कोई सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है।

श्री ऊदल--

शोलापुर माइनर, केराकत माइनर की शाखा है जो शारदा सागर से निकली है वहां पर पहुंचते पहुंचते पानी सूख जाता है तो क्या सरकार मुसाफिरखाने के पास गोमती नदी में पम्प करके पानी को ऊपर उठाये जाने की कोई योजना बना रही है जिससे अभावग्रस्त एरिया में पानी जा सके?

श्री अध्यक्ष--

आपका मतलब यह है कि कमान्ड एरिया बहुत ज्यादा है?

श्री ऊदल--

शारदासागर से पानी आता है तो वहां पानी पहुंच नहीं पाता है। मुझे यह जानकारी हुई है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि सुल्तानपुर के मुसाखिरखाना के पास गोमती से पानी इस नहर को दिया जाय ताकि पूर्वी जिलों को पानी पहुंच सके। तो क्या ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है ? और यदि है, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि यह सवाल ही सामने नहीं था। यह जरूर जानता हूं कि सुल्तानपुर के क्षेत्र में पानी पहुंचने में दिक्कत है और पानी बहुत कमी के साथ पहुंचता है। उसके लिये जैसा आपने सुझाव दिया हम अपने विभाग के लोगों से जांच करा-लेंगे और तब किसी योजना के ऊपर विचार हो सकता है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि जो रायबरेली में आपका दफ्तर है उसके अफसर कौशिक साहब ने २७ तारीख को एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें डा० रघुनाथसिंह और मैं मौजूद था। उन्होंने बताया था कि इस तरह की कोई योजना है। तो क्या मन्त्री जी उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगने की कृपा करेंगे और यदि कोई ऐसी योजना विचाराधीन है तो उस पर जल्द विचार करने की करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो आप मुझे सूचना दे रहे हैं। जब कोई योजना विचाराधीन है तो वह विचार करने के लिये ही विचाराधीन है।

श्री ऊदल--

मैं यह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस इलाके में पानी की बहुत कमी है और उस पूरे इलाके में रबी की खेती होती है और वहां पर ट्यूबवेल कोई नहीं है तो उसका जल्द से जल्द सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ताकि इस साल बरसात के बाद वहां ट्यूबवेल लग जाय ?

श्री गिरधारीलाल--

अभी जैसा कहा गया इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण करने के बाद हर दृष्टि कोण से इसको देखा जायगा और तब निर्णय किया जायगा कि वहां पर ट्यूबवेल लगाया जा सकता है या नहीं।

चुनाव कार्यालय के अस्थायी कर्मचारी

*७--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार कृपया वह बतायेगी कि इस समय प्रदेश के चुनाव कार्यालयों में ऐसे कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिन्हें तीन वर्ष से अधिक कार्य करने के उपरान्त भी कन्फर्म नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या ऐसे कर्मचारियों को कन्फर्म करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

२४३ ऐसे कर्मचारी हैं। वे स्थान जिन पर ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, अभी अस्थाई हैं। ऐसे कर्मचारियों को कन्फर्म करने के मामलों पर विचार हो रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि २४३ कर्मचारी जो ये मुस्तकिल नहीं किये गये इनमें कितने-कितने वर्ष की सर्विस वाले है और कितनी-कितनी तनख्वाह वाले हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

ये तीन वर्ष से ज्यादा के हैं। १९५८-५९ से इसमें अधिक लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनके वेतन की जानकारी इस समय मुझे नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

२४३ कर्मचारी अनेक वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं इनके मुस्तकिल न किये जाने का क्या कारण है और इनके मुस्तकिल किये जाने पर कब तक विचार होगा ?

श्री जयराम वर्मा—

ये अस्थायी पोस्ट हैं। १९५८-५९ से एक रिवाइज्ड स्कीम चालू की गई कि जिला निर्वाचन के दफ्तरों में कि इन असेम्बली के एलेक्टोरल रोल को साइक्लोस्टाइल कर लिया जाय तो २५४ कर्मचारियों को रखा गया। सन् १९६२ के जनरल एलेक्शन के समय भी इन्हीं से वह काम लिया जाता रहा और जब सन् १९६२ का काम खतम हो गया तो साल में जो एलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है उस काम को जारी रखने के लिये थोड़े एडजस्टमेंट के साथ उनको रखा गया और १९६३ में यह सवाल पैदा हुआ कि उनको कन्फर्म किया जाय। चूंकि काफी समय हो गया है। लेकिन चूंकि इनका आधा खर्च गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है इसलिये विचार यह किया गया कि उनसे कांकरेंस ली जाय। उनकी कांकरेंस मिल गयी है। थोड़ी सी बात और रह गयी थी इसके लिये उनको फिर लिखा गया है। इस बीच में एक बात और हो गयी है। चुनाव कमीशन की यह राय है कि इस स्कीम को जारी न रखा जाय। अभी कुछ तय नहीं हो सका है, लेकिन अगर कमीशन इसी निर्णय पर रहा कि स्कीम को खत्म कर दिया जाय तो मामला गड़बड़ हो सकता है और फिर सोचना पड़ेगा कि उनमें से कितने स्थायी हो सकेंगे और कितने नहीं। उस स्थिति में हमें फिर एक नया निर्णय लेना पड़ेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

चुनाव कार्यालयों का लाखों रुपयों का काम इन प्रेसों में छपायी के लिये जाता है और ये कर्मचारी उस काम को वहीं साइक्लोस्टाइल करके वहीं कर लेते हैं। जब सरकार का लाखों रुपयों का फायदा इन कर्मचारियों द्वारा हुआ है तो उनके प्रति सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—

उसी तरह से विचार किया जा रहा है लेकिन कमीशन की एक राय है और हम उस पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय उन्हें कन्फर्म किया जायगा वह कन्फर्मेशन उनकी एफीशियेन्सी के आधार पर होगा, सीनियारिटी के आधार पर होगा अथवा अफसरों की राय के आधार पर होगा ?

श्री अध्यक्ष—

अभी तो कन्फर्मेशन की बात ही विचाराधीन है। यह तय हो जाय तभी विधि निश्चित होगी।

*८--श्री लखपतराम शर्मा--

[हटा दिया गया ।]

पिण्डरा ब्लाक से बिजली की मांग

*९--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा सराय, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में जो मऊ पावर हाउस केराकत से लाइन रतवार, बेलपुर ट्यूबवेल को गयी है, ट्यूबवेल के उत्तर ११ या १२ वें खंभे से ८ कुओं के लिये बिजली के पम्पिंग सेट लगाने हेतु लाइन खींचने की कृपा करेगी ? क्या सरकार इसे अपने खर्चे से करने की कृपा करेगी ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की शर्तों के अनुसार, हर एक उपभोक्ता को बिजली देने के लिये आधा मील फी लाइन प्रति १० हार्सपावर के हिसाब से २० किलोवाट तक राज्य विद्युत् परिषद् के खर्चे पर बनाई जाती है । अगर किसी उपभोक्ता के लिये इस हिसाब से अधिक लम्बी लाइन बनानी पड़ती है तो उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त शेष लाइन का मूल्य अथवा १० प्रतिशत वार्षिक किराया सम्भावित उपभोक्ता को देना पड़ता है ।

गांव सभा सराय, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी क्षेत्र से अब तक किसी भी व्यक्ति ने बिजली लेने के लिये आवेदन-पत्र नहीं दिया है । आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उक्त नियम के अनुसार हर एक उपभोक्ता को बिजली देने के लिये सर्वेक्षण किया जावेगा ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई

*१०--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है ? और उसमें से कुल सिंचित तथा असिंचित भूमि कितनी है ? सिंचित भूमि के लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई है ? और असिंचित भूमि को सिंचित योग्य बनाने में सरकार की क्या योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

प्रथम भाग--कृषि योग्य भूमि ६,७०,००० एकड़ है जिसमें से सिंचित क्षेत्र ५,३३,९९० एकड़ तथा असिंचित क्षेत्र १,३६,०१० एकड़ है ।

दूसरा भाग--वर्तमान २०५ चालू नलकूपों तथा रामगढ़ पम्पड कैनाल सिस्टम और चन्द्र प्रभा नहर सिस्टम द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है ।

तीसरा भाग--सिंचाई व्यवस्था की वृद्धि के लिये गाजीपुर जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ५० नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें से ३२ नलकूपों का निर्माण हो चुका है ।

*११--श्री रघुवीर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में कासिमाबाद विकास खंड में बहुत बड़े भाग में नलकूप नहीं लगाये गये हैं और न लगाने की योजना है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं । कासिमाबाद विकास खंड में १३ नलकूप इस समय कार्य कर रहे हैं । भविष्य में भी आवश्यकतानुसार और नलकूप लगाये, जा सकेंगे, यदि उनका लगाना प्राविधिकि एवं मितव्ययिता की दृष्टि से उचित समझा गया ।

श्री रघुवीर—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी के द्वारा इसकी जांच करायी गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब चीफ इंजीनियर के यहां से आया है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राजकीय साधनों के द्वारा कितने क्षेत्र की सिंचाई हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे यहां वर्तमान २०५ नलकूपों के द्वारा १,६४,८०० एकड़ भमि की सिंचाई होती है । इसमें रामगढ़ पम्प्ड कैनाल सिस्टम द्वारा १५,४१४ एकड़ की, चन्द्रप्रभा नहर सिस्टम द्वारा १,६८,४६६ एकड़ की और व्यक्तिगत साधनों द्वारा १,८५,३१० एकड़ में सिंचाई हुई है । इतनी विस्तृत सूचना मेरे पास है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जिन ३२ ट्यूबवेलों का जिक्र किया गया है जो इस वर्ष लगे हैं उनमें १२ में बिजली दी गयी है और चन्द्रप्रभा नहर का जो जिक्र किया गया है वह बनारस के टेल एंड में पड़ती है और उसकी अनेक शिकायतें हो चुकी हैं कि उससे बिलकुल पानी नहीं जाता, क्या यह सत्य है और साथ ही रामगढ़ पम्प कैनाल में ब्रेस में भी पानी नहीं है, इन वाक्यात की जांच कराकर क्या मंत्री जी अपने आंकड़े ठीक करायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आंकड़े ठीक हैं । आप भी मेम्बर हैं, आप मालूम कर सकते हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

इस बात को देखते हुये कि कासिमाबाद ब्लाक में १३ नलकूप पर्याप्त नहीं हैं तो क्या मंत्री जी सवक्षण कराकर जहां पर अधिक आवश्यकता है, वहां नलकूप की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

तीसरी योजना के अन्त तक ३ नलकूप और लगाने का आयोजन है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने ५, ३१ हजार एकड़ जो क्षेत्र बतलाया कि इतना चन्द्रप्रभा नहर से, इतना ट्यूबवेल्स इत्यादि से सिंचाई हुई है तो यह गत वर्ष में इतनी सिंचाई हुई है या यह क्षेत्राधिकार का एकड़ बतलाया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि इतने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है, यह नहीं कहा कि सिंचाई होती है ।

श्री उग्रसेन—

प्र देश की जनता को भ्रम में डाले हुये हैं कि इतनी सिंचाई करते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

ऐक्चुअल कितनी सिंचाई की है, इसके आंकड़े हैं, मंत्री जी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसका रेकार्ड इस वक्त नहीं है ।

श्री रघुवीर—

जब कासिमाबाद क्षेत्र में नलकूप लगाने की बात होती है तो आपके इंजीनियरों का कहना है कि इस एरिया में जमीन के नीचे पहाड़ है इसलिये हम नलकूप नहीं लगायेंगे, तो क्या मंत्री जी किसी दूसरे सज्जन द्वारा जांच करायेंगे कि वहां पहाड़ है या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जहां नल-कूप लगाना संभव होगा वहां तो लगाया जायगा अगर वहां गुंजायश नहीं है तो कैसे लग सकता है ।

श्री कृष्णानन्दराय—

क्या मंत्री जी सूचना ग्रहण करेंगे कि सारे सरकारी साधनों से एक लाख एकड़ के लगभग सिंचाई गाजीपुर में होती है और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से २ लाख, ३ लाख एकड़ आता है जो कि सारी भूमि का ४० प्रतिशत है और ये आंकड़े रटेन कमेटी के हैं, तो मंत्री जी अपने आंकड़े पुनः शुद्ध कर लेंगे जिससे जिले के प्रति अन्याय न हो ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप तो प्रेसीडेंट हैं, अगर लिख कर भेज दें कि इतनी सिंचाई नहीं होती तो मैं देख लूंगा । मेरे पास सरकारी रिपोर्ट है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि चन्द्र प्रभा कैनाल में पानी आता है, लेकिन भांवरा और गुवाठी गांवों में पानी नहीं क्या जिसके लिये सरकार प्रयत्नशील होकर चल रही है, तो इन गांवों में पानी क्यों नहीं गया जबकि पानी कर की वसूली हुई है उस एकड़ रकबे की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आपने जिले की सिंचाई व्यवस्था के बारे में पूछा था, इतने विस्तृत आकड़े मेरे पास नहीं है ।

सैदपुर क्षेत्र में कैविटी नलकूप लगाने का सुझाव

*१२—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर विशेष कर विधान सभा क्षेत्र, सैदपुर में क्या पश्चिमी जिलों की तरह कैविटी नलकूप सफल हो सकते है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं । कैविटी नलकूपों के लिये लगभग १५० फीट के आस पास की गहराई तक चिकनी मिट्टी (Hard clay) की तह तथा ठीक उसके नीचे बालू का (water bearing trata) उपयुक्त होना चाहिये । विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में इस तरह का strata उपलब्ध नहीं है इसलिये वहां कैविटी नलकूप बनाना असफल होगा ।

*१३—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस संबंध में विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में इस दृष्टि से कि कुछ अपनी जेबों में अपने बूते पर कैविटी नलकूपों का निर्माण कर सकें सरकार कोई प्रयोग कराकर देखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता है ।

*१४—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, सैदपुर में कितने फीट की गहराई पर हार्ड क्ले मिल जाती है और हार्ड क्ले के नीचे क्या पानी देने वाला बालू मिलता है ? क्या सरकार इस संबंध में कोई व्योरा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वह जांच करायेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हार्ड क्ले प्रायः १५० फीट के नीचे ही मिलती है । यदि संयोगवश इससे कम गहराई पर हार्ड क्ले मिल जाती है तो ठीक उसके नीचे उपयुक्त बालू नहीं मिलता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसका ट्रायल मंत्री जी ने कहां कराया है जिससे इस निर्णय पर मंत्री जी पहुंचे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक कटघरा जगह है आपके जिले में, वहां इस तरह का बोरिंग हुआ था, १९६४ में और वहां पता चला ।

श्री कमलासिंह यादव—

सैदपुर और गाजीपुर में ४० फीट पर पानी मिल जाता है और हार्ड क्ले भी बराबर मिलती जा रही है, तो क्या मंत्री जी फिर से इसकी जांच करायेंगे कि वहां पर कैविटी नलकूप सफल हो सकता है या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आपने जो बोरिंग कराया है उसकी सूचना हमारे पास भेज दें, मैं उसको दिखला लूंगा । क्योंकि कैविटी नलकूप अलीगढ़ में ही सफल हुए हैं और कहीं नहीं । यहां मैं डिटेल में नहीं समझा सकता ।

रामगंगा कांस्ट्रक्शन नहर के खागा रजबहा पर पुल निर्माण

*१५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के राम गंगा कान्स्ट्रक्शन नहर के मुराव खागा रजबहा पर सराय उदई एवं आशिकपुर, औरइया ग्रामों के सामने पुल बनवाने संबंधी ग्रामीणों के सन् १९६४ के और प्रश्नकर्ता का दिनांक ११ सितम्बर, १९६४ का पत्र जिला अधिकारियों व मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर कब, क्या कार्यवाही हुई है ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उक्त रजबहे पर सराय उदई के सामने पुल बनवाने के विषय में ग्रामीणों का प्रार्थना-पत्र दिनांक १ अप्रैल, १९६४ ई० का प्राप्त हुआ था । आशिकपुर औरइया के सामने पुल बनवाने के संबंध में ग्रामीणों का सन् १९६४ का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ वरन् उनका पत्र दिनांक १७-९-६३ का अवश्य प्राप्त हुआ । माननीय सदस्य का कथित पत्र भी प्राप्त हुआ है ।

सराय उदई के सामने एक कदमी पुलिया बनवाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है । आशिकपुर औरइया के सामने पुल बनवाना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि इस स्थान के करीब-करीब दो फर्लांग ऊपर और ३ फर्लांग नीचे गाड़ी के पुल मौजूद हैं ।

*१६--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के रामगंगा कान्स्ट्रक्शन नहर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उक्त प्रार्थना-पत्रों में कथित महत्व सार्वजनिक सुविधा के विपरीत गलत जगहों पर पुल क्यों बनवाया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने सार्वजनिक सुविधा के विपरीत गलत जगहों पर कोई पुल नहीं बनवाया है ।

*१७--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि रामगंगा कान्स्ट्रक्शन नहर के मुराव खागा रजबहा पर ही ग्राम टेकसारी बुजुर्ग, आलमपुर व बड़ागांव गांवों की जनता की मांग पर स्थानीय अधिकारियों ने वहां पर पास-पास पुल बनवाया है ? यदि हां, तो सराय उदई, धुरी बुजुर्ग व आशिकपुल औरइयां के आम रास्तों क महत्व को देखते हुये वहां पुल अथवा कदम पुलिया न बनवाने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

राम गंगा कान्सट्रक्शन नहर के खागा राजबहा पर ही ग्राम टकसारी बुजुर्ग, आलमपुर व बड़ागांव में सार्वजनिक सुविधा का ध्यान रखते हुए आवश्यकतानुसार पुल बनवाए गये हैं ।

सराय उदई तथा आशिकपुर औरइया के सामने पुलों के बारे में प्रश्न संख्या १५ के उत्तर में स्थिति बता दी गई है । जहां तक धुरी बुजुर्ग के सामने पुल बनाने का प्रश्न है यह मामला विचाराधीन है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

जब ग्रामीणों ने १७-९-६३ को और १-४-६४ को पत्रों द्वारा इस पुल के लिये मांग की और मैंने भी ११ सितम्बर, १९६४ के एक पत्र द्वारा यह मांग की तो क्या कारण है कि इस मांग को स्वीकार न करके उसके पास ही ४-५ फलंग की दूरी पर पुल बनाया गया और ऐसी जगह जहां पर कोई रास्ता तक नहीं जाता है और उसकी आवश्यकता ही नहीं थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उदई के सामने पुल बनाने की बात को हमने मान लिया है कि एक पुलिया वहां पर भी बना दी जाय ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

मेरा प्रश्न यह है कि आसिकपुर औरइया के सामने जब एक सार्वजनिक रास्ता जाता है तो वहां पर पुल क्यों नहीं बनाया गया और उसके पश्चिम में जहां पर कोई रास्ता ही नहीं जाता पुल क्यों बनाया गया है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

अब वह तो पुल बन गया है, आपने जो कहा है तो एक पुलिया वहां भी बनवा देंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

चूंकि देहाती क्षेत्र में चकबन्दी हो रही है और उसके कारण रास्तों के नक्शे भी बदल रहे हैं, नयी नयी सड़कें बन रही हैं, पुरानी खत्म हो रही हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी नीति बनायेंगे कि जहां जहां नयी सड़क बनायी जाय वहां पर पुलिया भी बनायी जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

हमारी नीति ऐसी नहीं है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब टकसारी बुजुर्ग, आलमपुर व बड़ागांव में पुल बनाये गये हैं तो सराय उदई, धुरीबुजुर्ग, आशिकपर, औरइया आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर वहां के अधिकारियों ने किस आधार पर ुल नहीं बनवाया और क्या उनके महत्व को देखते हुए सरकार उन स्थानों पर पुल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैंने तो बतला दिया कि वह पुल चार फर्लांग की दूरी पर बना हुआ है इसलिये और पुल नहीं बनाया जा सकता ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि चकबन्दी सरकार ने की है और चकबन्दी के कारण नये रास्ते छोड़े गये हैं, इसमें जनता को आम शिकायत है । क्या माननीय मंत्री जी दोबारा अपने रकबों की जांच कराके जो नये रास्ते छोड़े गये हैं.....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, हो गया ।

श्री गिरधारीलाल--

यह प्रश्न जो है इस संबंध में रेवेन्यू विभाग से बातचीत कर रहे हैं । २४ स्थानों पर इस किस्म की समस्या आ खड़ी हुई है । चकबन्दी के रास्तों की जरूरत पड़ी हुई है । उनसे बात होने पर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मैंने मंत्री जी को ११-९-६४ को जो पत्र दिया और जिसके संबंध में मैंने मंत्री जी से कई बार कहा भी है.....

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

आप क्यों इधर-उधर की बतलाते हैं, यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आवश्यकता होगी तो पुलिया बना दी जावेगी ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है । मैंने कई बार प्रार्थना की है ।

श्री अध्यक्ष--

और प्रश्न नहीं पूछना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

माननीय सदस्य प्रश्न को एक बार और दोहरा दें । इस प्रकार कितने पुल बनाते चले जायेंगे । अब और पुल नहीं बनेंग ।

श्री अध्यक्ष--

अब उन्हें ज्यादा दिक करेंगे तो जो बने हुए हैं वे भी तोड़ देंगे ।

श्री रामकिशोर वर्मा--

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां पुल की आवश्यकता नहीं थी वहां तो पुल बना दिये गये परन्तु जहां आवश्यकता थी वहां नहीं बनाये गये हैं । उदाहरण के लिये, मंझिले में पुल बना हुआ है और वहीं से १०-१२ फीट की दूरी पर दूसरा पुल बनाया जा रहा है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अगर आप मुझे लिखकर भेज दें तो मैं जरूर जांच करा लूंगा । हमारी यह कोई मंशा नहीं है कि जहां पर आवश्यकता न हो वहां पुल बना दिये जायं और जहां आवश्यकता हो वहां पुल न बनाये जायं ।

मैनपुरी बस स्टेशन पर पानी का अभाव

*१८--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी के सरकारी बस स्टेशन पर पानी का कोई इन्तजाम नहीं है, सरकारी कर्मचारी व जनता के लोग प्यास से परेशान भटक रहे हैं और जो सरकारी पैखाने वहां पर हैं बिना पानी के उनकी सफाई नहीं हो रही है और बीमारी फैलने का बहुत बड़ा अन्देशा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही वाटर वर्क्स से पानी का प्रबन्ध कराने की कृपा करेगी ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि पब्लिक के लिये वहां पानी का इन्तजाम है या नहीं ? यह सूचना मंगाने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है और वह सूचना कब तक आ जायेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

माननीय सदस्य का यह कहना सही है और हमारे डिपार्टमेंट ने यह बात पूछी है कि इस मामूली सूचना में उन्होंने देर क्यों की ?

बिजनौर जिले में नलकूप ट्रांसफार्मर की चोरी

*१९--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या यह सत्य है कि अप्रैल, १९६५ के दूसरे पखवारे में बिजनौर जिले के धामपुर और सिहोरा ट्यूब वैल से उसके ट्रांसफार्मर चोरी चले गये हैं ? यदि हां, तो कितनी हानि हुई तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

क्या कोई थाने में इसकी बाबत रिपोर्ट हुई थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

थाने में रिपोर्ट तो नहीं हुई। जो नलकूप हैं उनमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं चोरी हुआ।

एक दूसरा नलकूप था उसका एक ट्रांसफार्मर चोरी गया था जो रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन जिसकी आपने सूचना दी थी उसका कोई ट्रांसफार्मर चोरी नहीं गया था।

मैनपुरी जिले में नहर की पटरी पक्की करने का सुझाव

*२०---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जिन जगहों में पक्की सड़कें नहीं हैं उन जगहों की जनता की परेशानी को दूर करने के लिये कौन-कौन सी नहर की पटरियों को जनता की सवारियों को चलाने के लिये सन् १९६३ और १९६४ में पक्का किया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

किसी भी नहर की पटरी को पक्का नहीं किया गया है।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार इस विषय में विचार करने की कृपा करेगी कि कुछ खास नहर की पटरियां ऐसी हैं जिन पर कि बैलगाड़ियां और दूसरी सवारी गाड़ियां चलती हैं और उससे वह पटरियां खराब होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको पक्का करा दिया जाय और कुछ टैक्स लगा दिया जाय उन पर चलने वाली गाड़ियों पर, जिससे कि गवर्नमेंट के भी खर्च की पूर्ति हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास धन नहीं हैं। लेकिन अगर आप कहें तो यह कर सकते हैं कि बैलगाड़ियों का चलना बन्द कर दें।

श्री ब्रह्मदत्त माथर (जिला सहारनपुर)---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पटरियों के बारे में काछी जी ने प्रश्न किया है उन पटरियों पर कुछ हालात में स्पेशल परमिशन दी जाती है कारें चलाने के लिये या जीप्स और बैलगाड़ियां चलाने के लिये, तो वह कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें परमिशन मिलती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

सवाल में तो पटरियां पक्की कराने की बात पूछी गई थी और वह उसको कोई पी० डब्ल्यू० डी० या जिला परिषद या दूसरे लोग पक्की कराने के लिए इजाजत चाहें तो हम उनको वह ट्रांसफर कर देंगे। यह काम ऐसा है कि इसको या तो जिला परिषदें करें या पी० डब्ल्यू० डी० करें या कोई और विभाग करे।

मुरादाबाद में मीटर कनेक्शन काटने पर आपत्ति

*२१---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद और बिजनौर ने १९६३-६४ और १९६४-६५ में मीटर इंजानियर ने टूटे हुए मोटरों की इन्क्वायरी की और उनका चालान किया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मुरादाबाद और बिजनौर जिले में राज्य विद्युत् परिषद् के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा १९६३-६४ व १९६४-६५ में उपभोक्ताओं के मीटरों का निरीक्षण किया गया था परन्तु कोई मामला टूटे हुए मीटर का इन वर्षों में नहीं पाया गया ।

*२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मीटर की मोहर तोड़ते समय मीटर मालिक को कोई रसीद दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मीटर की सील तोड़ते समय उपभोक्ता को कोई भी प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता। परन्तु जब भी किन्हीं कारणवश मीटर की सील को तोड़ना होता है तो ऐसा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति मे किया जाता है और उसको सदैव ही तुरन्त पुनः सील कर दिया जाता है तथा उसकी पुष्टि मे निर्धारित प्रमाण-पत्र जिस पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि और पुनः सील करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, दे दिया जाता है ।

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद शहर में मीटर नम्बर १४२४४ का कनेक्शन, दिन क २७ फरवरी, १९६५ को क्यों काटा गया जबकि उस मीटर का बिल दिनांक २२ फरवरी, १९६५ को जमा कर दिया गया था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मांगी गई सूचना नत्थी किये व्योरे में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६८ पर)

श्री रियासत हुसैन—

जैसा माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि कोई रसीद मीटर की सील तोड़ते वक्त नहीं दी जाती तो ऐसी हालत में मुरादाबाद जिले के अंदर यह आम शिकायत है कि रसीद न देकर और मीटर की सील तोड़कर जो भी चाहे इन्दराज कर लिया जाता है और बाद में हैरेसमेंट किया जाता है, तो इस चीज को मंत्री जी दूर करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो यह कहा कि प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है लेकिन अगर यह दिक्कत है तो इसको हम देख लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि आपने कहा है कि नोटिस के बाद में २२ तारीख को रुपया जमा कर दिया गया तो जब लाइन इंस्पेक्टर लाइन काटने के लिये २७ तारीख को गया तो उसने अपने दफ्तर में यह रिकार्ड क्यों नहीं देखा कि यह रुपया जमा हो गया या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

होता यह है कि जब रुपया जमा नहीं होता है तो लाइन काटने का आर्डर लाइन इंस्पेक्टर को दे दिया जाता है । लेकिन उसको आदेश है कि अगर कोई रसीद दिखा दे तो वह सील को नहीं तोड़ेगा । इन साहब के पास रसीद भी नहीं थी । लाइन इंस्पेक्टर रोज तो दफ्तर में जाता नहीं है । वह घूमता-घूमता पहुंचा और लाइन काट दी ।

श्री रियासत हुसैन--

२२ तारीख को आपके आफिस में रुपया जमा कर दिया गया और २७ तारीख को लाइन इन्स्पेक्टर ने लाइन काटी ? ऐसा वह आमतौर से करते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अगर वह लाइन काटते समय रसीद दिखा देते तो लाइन नहीं काटी जाती ।

बरेली जिले में अपसरहा नदी का पुल

*२४--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम जिगिनियां भगवन्तपुर, जिला बरेली के समीप अपसरहा नदी पर रोहिलखंड नहर विभाग द्वारा नि र्माण कराया गया पुल कई मास से आवागमन के योग्य नहीं है ? यदि हां, तो उपरोक्त पुल की मरम्मत अब तक न कराने के कारण क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। पिछली बरसात में इस पुल के बाईं ओर की पाइल टेढ़ी हो गई थी जिससे पुल के गिरने का खतरा था। पिछले जाड़ों में जब उसकी मरम्मत करने के लिये पुल की एक दर खोलने के लिये कार्यवाही शुरू की तो ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया और यह कहा कि जब तक मरम्मत का सब सामान व मिस्त्री मौके पर नहीं आ जाते पुल को नहीं खुलने दिया जायगा। हालांकि सब सामान अप्रैल, १९६५ में जमा कर दिया गया, उस समय कार्य शुरू करना सम्भव नहीं था क्योंकि तबसे अब तक नदी में सिंचाई हेतु पानी चलाया जाता रहा ।

*२५--श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि उपरोक्त पुल के ऊपर से पीलीभीत व नवाबगंज जाने वाले ६०-७० ग्राम के निवासी गुजरते हैं और ग्राम जिगिनियां भगवन्तपुर की अधिकांश भूमि पुल के पार दक्षिण की ओर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उतरने की कठिनाई देखते हुये इस बरसात से पहले पुल को ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

नवाबगंज व पीलीभीत आने जाने वाली अधिकांश गाड़ियां इस पुल से ३ १/२ मील नीचे स्थित जिला परिषद् की सड़क पर बने हुये एक पक्के पुल से गुजरती है और इस पुल से केवल १०-१२ गांव के ही निवासी गुजरते थे हालांकि यह सही है कि ग्राम भगवन्तपुर की आधी भूमि नदी के दूसरी ओर है ।

चूंकि पुल की मरम्मत के लिये बायें तट पर कुआं गलाना पड़ेगा। बरसात के पहले उसकी मरम्मत कराना सम्भव नहीं है ।

*२६--श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि अपसरहा नदी पर ग्राम वार नवादा के पास रोहिलखंड नहर विभाग बरेली ने तीस हजार रुपये की लागत से एक पुल बनवाया था जिस पर से एक बार भी कोई बैलगाड़ी आर-पार जाने न पायी और पुल गिर गया तथा दोबारा बनवाना पड़ा तथा वह अब फिर खराब होकर गिरने की हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कान्ड की उचित जांच करके जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

वार नवादा के पास स्थित पुल सिंचाई विभाग द्वारा लगभग ३५ वर्ष पहले बनाया गया था। अपसरहा नदी में बाढ़ का पानी बढ़ जाने के फलस्वरूप यह पुल आउट फलैंक (out-flank)

[श्री गिरधारीलाल]

होकर क्षतिग्रस्त हो गया था और सन् १९६२ में उसकी मरम्मत में ३,०११ रु० व्यय हुआ। इस मरम्मत में स्क्रू-पाइलों (screw-piles) के बजाय प्रयोगात्मक रूप से लोहे के पाइपों के पाइल बनाये गये जो अनुपयुक्त सिद्ध हुये और टेढ़े हो गये। इसलिये इन पाइलों की जगह दाहिने तरफ कुआं गला दिया गया जिसमें १४,७८१ रु० व्यय हुआ।

यद्यपि पुल ठीक काम करने लगा है और बैल गाड़ियों द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है। उसके दूसरे तट पर भी उसी प्रकार की मरम्मत की अवश्यकता है जो धनाभाव के कारण अभी तक नहीं किया जा सका।

चूंकि अन्य पुलों की भी इसी प्रकार मरम्मत करने की आवश्यकता समझी गई थी, जिसमें काफी व्यय सम्भावित था, मितव्ययिता के ध्येय से इस पुल में लोहे के पाइपों के पाइल प्रयोगात्मक रूप से बनाये गये थे। अतएव, उनके टेढ़े होने के लिये किसी कर्मचारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

झांसी में मोटर गैरेज

*२७—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी में सन् १९५१ से अगस्त सन् १९६५ तक कितने मोटर गैरेज झांसी में गवर्नमेंट एप्रूव लिस्ट में रहे हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वांछित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	गैरेजों की संख्या
१९५१–५४	४
१९५५	६
१९५६–५८	६
१९५९	५
१९६०–६२	५
१९६३	६
१९६४	५
१९६५ .. .. (२४ जुलाई तक)	६

श्री लखपतराम शर्मा—

अप्रैल, १९६५ में जो मान्यता प्राप्त गैरेज झांसी में थे उनके नाम क्या हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

साहनी ब्रादर्स, शिवपुरी रोड, बापू मोटर इंजीनियरिंग वर्क्स, मोटर स्टैंड, अशोक मोटर हाउस, फ्रेन्कलिन आटोमोबाइल्स, आर० बी० छज्जूसिंह ऐण्ड सन्स, जे० वी० आटो सर्विस, शिवपरी रोड।

श्री लखपतराम शर्मा--

५ सितम्बर सन् ६४ को एच०वी० गैरेज सरकार की मान्यता से ब्लैक-लिस्ट कर दी गई। तो उसे कब से काम नहीं दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इसके बारे में माननीय सदस्य का पहले सप्ताह में जो सवाल था उसका उत्तर दे दिया गया है। वह सन् ६४ में ब्लैक-लिस्ट थी।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या यह सही है कि २७ अप्रैल, सन् ६५ के बाद भी उस गैरेज को सरकारी विभागों द्वारा टेंडर दिये गये ? यदि हां, तो ५ सितम्बर के आदेश की अवहेलना का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

सूचना चाहिये।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

एप्रूव करने का क्वालीफिकेशन और ब्लैक-लिस्ट करने का डिसक्वालीफिकेशन क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

एप्रूव करने के लिये उनके पास मरम्मत करने का सब सामान और इक्विपमेंट होना चाहिये और उनकी साख होनी चाहिये कि गाड़ियों को ठीक से रख सकें।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी स्वयं की जानकारी में मैंने लिखित रूप से शिकायत की थी कि ५-९-६४ को और २०-४-६५ में उसे काम दिया गया और कोटेशन के नम्बर भी मैंने पेश किये ? यदि हां, तो जिलाधीश झांसी को जो आपने आदेश भेजा उसकी अवहेलना करने वाले विभागों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इसका उत्तर पहले दे दिया गया है। माननीय सदस्य अगर उसे चैलेंज करें तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा--

झांसी के सरकारी विभागों द्वारा किस तारीख को और किस सन् में इस गैरेज को कार्य देना बन्द किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

नोटिस चाहिये।

कानपुर क्षेत्र में ए० टी० आई० के पदों पर हरिजनों का चुनाव

*२८--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित) तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनरल मैनेजर, कानपुर रेन्ज के कार्यालय में दिनांक १५ व १६ जुलाई, १९६४ को ए० टी० आई० के पदों का चुनाव हुआ है ? यदि हां, तो कितने पद थे और कितने उम्मेदवार चुने गये हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी हां। ६ पदों के लिये १३, १४ व १५ जुलाई, १९६४ को चुनाव हुआ था जिसमें १६ उम्मेदवार चुने गये।

*२९--श्री बालो जी अग्रवाल (अनुपस्थित) तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चुनाव में कितने पद हरिजनों के लिये सुरक्षित थे और कितने हरिजनों ने चुनाव में भाग लिया तथा कितने हरिजन चुने गये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

दो पद। चुनाव में ९ हरिजनों ने भाग लिया जिन में से दो चुन लिये गये।

*३०--श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित) तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनरल मैनेजर, गोरखपुर रेन्ज के कार्यालय में भी २८ व २९ अप्रैल, १९६५ को ए० टी० आई० के पदों का चुनाव हुआ है ? यदि हां, तो पद कितने थे, कितने चुने गये तथा कितने हरिजन लिये गये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी हां। ७ पद थे। चुनाव का परिणाम घोषित नहीं हुआ है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

६ पदों के लिये १६ व्यक्ति चुनने का क्या मकसद है और उन १६ व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जितने पद होते हैं उनसे अधिक ही चुने जाते हैं। ६ के बाद उन १६ में से ५ और ले लिये गये हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

१६ के नाम और पते बता दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

नाम और पते इतने आदमियों के नहीं पढ़े जायेंगे।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

जो २ हरिजन लिये गये हैं क्या वे जनरल मैनेजर के कार्यालय के क्लर्क थे और उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

सूचना चाहिये।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २८/२९ अप्रैल को ए० टी० आई० जो की आवश्यकता पड़ी और गोरखपुर में चुनाव हुआ, तो आज तक चुनाव की घोषणा न करने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जिन पदों के लिये यह चुनाव हुआ था उनकी स्वीकृति अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां से नहीं गई है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या यह बात सही है कि जो १६ उम्मीदवार चुने गये हैं उनमें से ८ मुसलमान हैं और केवल १ हरिजन है और बाकियों का चुनाव चुनने के लिये नहीं, बल्कि दिखाने के लिये किया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह मुसलमान और हिन्दू का सवाल नहीं है। जैसा मैंने इस आदरणीय सदन में कई बार निवेदन किया है, प्रश्न योग्यता और अयोग्यता का है। अगर मुसलमान योग्य हो और चुना जाये तो शिकायत नहीं हो सकती है। आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि किसी अधिक योग्य व्यक्ति के मुकाबले में उससे कम योग्य व्यक्ति को क्यों लिया गया,तो मेरी समझ में नहीं आता।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कई एक इन्टर पास और बी० ए० पास हरिजनों को न लेकर हाई स्कूल पास हरिजनों को ले लिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

श्रीमन्, मैंने तो कहा कि परिणाम की घोषणा अभी नहीं की गयी है।

मड़ियाहूं तहसील में बिजली

*३१---श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजनानुसार मड़ियाहूं तहसील (जौनपुर) के अन्तर्गत कितने ग्रामों को विद्युत् दी गई तथा कितने ग्रामों में बिजली देने की योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

तृतीय पंचवर्षीय योजना में मड़ियाहूं तहसील (जौनपुर) के निम्नलिखित ६ गांवों को बिजली देने का प्रस्ताव है जिनमें प्रथम ४ का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है :

१---शीतलगंज (अहिरौली)	२---निगोह	३---रामपुर
४---गोपालपुर	५---रामपुर नद्दी	६---सुदनीपुर

*३२---श्री जगन्नाथ राव---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मड़ियाहूं विकास क्षेत्र में मईडीह, शुदनीपुर पाली, रामपुर नदी तथा रामनगर विकास क्षेत्र में नेवड़िया बाजार, जमालपुर इटाव, तेजगढ़ में कब तक बिजली लग सकेगी ? क्या सरकार इन ग्रामों का सर्वेक्षण करा कर शीघ्र बिजली देने का कष्ट करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मड़ियाहूं विकास क्षेत्र में रामपुर नद्दी व सुदनीपुर ग्रामों का विद्युतीकरण १९६५-६६ में करने का प्रस्ताव है। इसी विकास क्षेत्र के पाली एवं मईडीह ग्रामों तथा विकास क्षेत्र रामनगर के नेवढ़िया बाजार, जबलपुर एवं तेजगढ़ ग्रामों का विद्युतीकरण १९६६-६७ में करने का प्रस्ताव है। इटाव ग्राम का विद्युतीकरण, राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंड से जिसके अनुसार १,००० जन संख्या पर डेढ़ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन बनाई जा सकती है, संभव नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या माननीय मंत्रीजी को ज्ञात है कि रामनगर ब्लाक में नेवड़िया बाजार में बिजली का खंभा लगा दिया गया लेकिन फिर हटा दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इसकी सूचना मंगा ली जायगी ।

श्री जगन्नाथ राव---

जिन ६ गांवों के नाम आपने बताये क्या उनमें से केवल ४ गांवों में ही बिजली उपलब्ध हुई है ७२ गांवों में नहीं हुई है ? इन दो गांवों में बिजली उपलब्ध न करने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यही तो मैंने अपने उत्तर में कहा था कि अभी दो गांवों में बिजली नहीं लगायी जा सकती है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मड़ियाहूं तहसील में एक हजार से अधिक आबादी वाले और दो हजार से अधिक आबादी वाले कितने गांव हैं जिनको अभी तक बिजली नहीं दी गयी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से गांव होंगे जिनकी आबादी ज्यादा होते हुए भी उनमें अभी तक हम बिजली नहीं लगा पाये हैं ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बजट सेशन में मैंने गांव का नाम देकर सवाल किया था जिसके उत्तर में यह कहा गया था कि गांव का सर्वे हो रहा है लेकिन अभी तक उसका सर्वे नहीं हुआ है और न बिजली ही दी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस समय तो मेरी इसके बारे में सूचना नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो इसको दोबारा दिखवा लेंगे ।

टांडा नहर से पानी न मिलना

*३३---श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में टांडा नहर से पानी न मिलने से गन्ने की फसल सूख रही है जिसके कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जी हां।

*३४---श्री बृजबिहारी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रश्न कर्ता ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, टांडा कैनाल, फैजाबाद तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ को इस संबंध में हाल ही में पत्र लिख कर उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जी हां ।

*३५--श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार तत्काल ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि किसानों को पानी शीघ्र मिल सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री बृजबिहारी--

क्वा माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बहुत से गन्ने के खेत पानी न मिलने के कारण सूख गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह बात सही है । इसका हमें बड़ा दुख है कि हम लोगों को पानी न दे सके । पानी का कोई इन्तजाम न होने के कारण । पंप मंगा रहे हैं लेकिन उसके आने में देरी होगी । पंप आने पर इन्तजाम कर सकेंगे ।

श्री बृजबिहारी--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिन लोगों ने किसी अन्य प्रकार से गन्ने को सींच लिया है उनसे भी पानी का कर वसूल किये जाने की योजना चल रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी तो मुझे सूचना नहीं है लेकिन अगर चल रही है तो वह गलत है और उसको हम देखेंगे कि ऐसा न हो ।

शाहजहांपुर बस स्टेशन का किराया

*३६--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शहर में राजकीय रोडवेज बस स्टेशन के मालिकान को कितने साल से रोडवेज ने किराया नहीं दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३७--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह किराया वह कब तक अदा करने की स्थिति में होंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

*३८--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार उत्तर प्रदेश रोडवेज को एक ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में रूपान्तरित करने पर ध्यान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री मुजफ्फर हसन--

सरकार उत्तर प्रदेश रोडवेज में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में परिवर्तित करने के प्रश्न पर ध्यान दे चुकी है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*३९--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को इस सम्बन्ध में नियोजन आयोग ने भी कोई सुझाव दिया है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

नियोजन आयोग ने सरकार को इस संबंध में सुझाव दिया है।

स्याना क्षेत्र में रजबहे

*४०--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर, में जो नहरी रजबहे सिंचाई करते हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र की सिंचाई की उन्नति के लिये क्या सरकार पुनः ध्यान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--

गंगा नदी में पानी की कमी के कारण।

भावरी क्षेत्र में सिंचाई

*४१--श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कमायूं सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी द्वारा सन् १९५४ व ५५ में भावरी क्षेत्र पर कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध था और अब इस चालू वर्ष में कुल कितनी एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

कथित स्थान पर १९५४-५५ में कुल ३३,०५२ एकड़ भूमि की नहरों द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध था। चालू वर्ष की खरीफ की सिंचाई जारी है। अतः उसके आंकड़े अभी देना सम्भव नहीं है।

जिला रायबरेली में मोटर दुर्घटनाएं

*४२--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६५ से १६ जून, १९६५ तक गवर्नमेंट बस द्वारा कितने एक्सीडेंट हुये हैं और कितने ट्रक द्वारा एक्सीडेंट हुये हैं और इन एक्सीडेंटों में कितने बालक, बालिकायें, पुरुष और स्त्रियों की मृत्यु हुई हैं ? जो ट्रक वाले बहुत तेज स्पीड से चलते हैं, उनकी स्पीड कम करने के लिये सरकार के सामने कोई स्कीम विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

उक्त अवधि में १ एक्सीडेंट गवर्नमेंट बस द्वारा तथा ६ ट्रक द्वारा हुये। इन दुर्घटनाओं में कुल ४ पुरुषों तथा १ बालक की मृत्यु हुई।

एक्सीडेंट की रोकथाम के लिये नगरपालिका तथा टाउन एरिया में गति निश्चित की गई है और शहर के चौराहों पर चंदवा बनवा दिये गये हैं।

उटरावली रजबहा बन्द होना

*४३—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजबहा उटरावली जो रबूपुरा होकर माइनर तनाजे तक जाता है जिसके किनारे बड़े-बड़े गांव खानीबुर्ज, बैलाना, खाजपुर चौकी, उटरावली, रबूपुरा, मुन्ना तगा, मुरादगढ़ी, तिलथरी, नगला, भटौना-नगला, हुकुम सिंह आदि गांवों में सिंचाई होती थी, वह बन्द कर दिया गया है और सिंचाई नहीं हो पाती है ? वहां के किसानों में बैचेनी है इस रजबहे को पुनः चालू करने का आदेश दिया जायगा, यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल—

उटरावली रजबहा दिनांक १-४-६४ से बन्द कर दिया गया है। इस रजवहे के समस्त क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सिंचाई हो रही है।

*४४—श्री जसराम—

क्या सरकार को विदित है कि इस रजबहे के किनारे ट्यबवेल रबूपुरा, तिलथरी, मयाना नगला हुकुम सिंह बनाये गये है, बन्द पड़े है, ट्यबवेल की नाली अभी तक नहीं बनी है, कुलावे उखाड़ दिये गये और रजबहा बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो जब तक यह ट्यबवेल ठीक काम न करे, रजबहा चालू करने की आज्ञा दी जाय जिससे किसानों की अति बेचैनी दूर हो जाय ?

श्री गिरधारीलाल—

समस्त नलकूप चालू दशा में हैं और उनसे नहर के कुलाबों को मिला कर पर्याप्त मात्रा में पक्की गूलें बना दी गई है। अतः रजबहा को चालू करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

फर्रुखाबाद ब्रांच नहर की सर्विस रोड

*४५—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री लोकपालसिंह, श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद नहर शाखा के मील २२ से ३२ मील तक नहर की सर्किस रोड (उत्तरी पटरी) पर कई स्थानों पर बहुत ही खराब एवं रेतीले भाग हो गये हैं जिस-से विभागीय अधिकारियों को दौरा करने में कारों के सुविधापूर्वक निकालने में अत्यन्त कठिनाई रहती है ? यदि हां, तो ऐसा खराब एवं रेतीले भागों का सर्वेक्षण करके उन पर कंकड़ कुटवाकर पक्का कराने की व्यवस्था करवायेंगे ताकि यह कठिनाई दूर हो जावे तथा पटरी और अधिक खराब होने से रुक सके ?

श्री गिरधारीलाल—

फर्रुखाबाद ब्रांच के मील २२ से ३२ मील के बीच की सर्विस रोड (Service Road) कहीं-कहीं रेतीली है। विभागीय अधिकारियों को दौरा करने में कारों को सुविधापूर्वक निकालने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है।

इस समय इसको पक्का करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गौरीबाजार क्षेत्र में नलकूप

*४६—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला के गौरी बाजार ट्यूबवेल ग्रुप में कुल कितने ट्यूबवेल है ? प्रत्येक ट्यूबवेल मे कितनी-कितनी मील पक्की नालियां है अलग-अलग बताया

जाय ? जिन ट्यूबवेलों की नालियां तीन मील से कम हैं उन्हें पूरा करने तथा अधिक पक्की बनाने की कब तक व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल--

२८ नलकूप। पक्की कूलों की सूचना संलग्न १ में दी है। नलकूपों पर तीन मील पक्की गूलें बनवाने के लिये कोई सरकारी आदेश नहीं है। अतः तीन मील गूलों के पक्के बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

*४७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त सभी ट्यूबवेलों की १ जनवरी, १९६५ से २१ जून, १९६५ तक कितने-कितने एकड़ खेतों (भूमि) की सिंचाई की है ? उपरोक्त सभी ट्यूबवेलों में उक्त अवधि में कितने-कितने घंटों में कितनी-कितनी बिजली जली है ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना संलग्न २ में दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६६९-६७० पर।)

*४८--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि देवरिया जिले के गौरी बाजार ट्यूबवेल ग्रुप के ट्यूबवेल नम्बर ३८, लक्ष्मीपुर के आपरेटर ने क्या न्याय पंचायत बेलकुन्डा में किसी किसान के विरुद्ध मुकदमा दाखिल किया है ? यदि हां, तो क्या विभाग से इजाजत ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विभागीय इजाजत न लेने के कारण कोई अनुशासनहीनता की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

देवरिया जिला के गौरी बाजार ट्यूबवेल ग्रुप के ट्यूबवेल नम्बर ३८ लक्ष्मीपुर के आपरेटर ने किसी किसान के विरुद्ध कोई मुकदमा न्याय पंचायत बेलकुन्डा में दाखिल नहीं किया है। अतः विभाग से इजाजत लेने तथा अनुशासनहीनता की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अरमापुर के निकट बस दुर्घटना

*४९--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या यह सत्य है कि ६ अप्रैल, १९६५ को कानपुर में एक राजकीय परिवहन की बस अरमापुर के पास उलट गयी जिसके परिणाम स्वरूप आधे से अधिक यात्री घायल हो गये ? यदि हां, पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां, ६ अप्रैल, १९६५ को बस सं० यू० पी० आई० ५५१७ पनकी से गुमटी नं० ५ को आते समय अरमापुर स्टेट के निकट खजूर वाले पल के समीप एक साइकिल सवार को बचाने में उलट गई थी। बस में १६ व्यक्तियों को चोटें आयीं जिन्हें उपचार हेतु भेजा गया। इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है और जिलाधीश कानपुर को भी जांच के लिये लिख दिया गया है।

ओवरा बांध के मजदूरों की पेय-जल व्यवस्था

*५०--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ओवरा डैम, जिला मिर्जापुर के निर्माता ५ हजार मजदूरों को गन्दे नाले का पानी पीना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या कारण है और क्या सरकार उन्हें स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं ।

ओबरा बांध, मिर्जापुर में काम करने वाले मजदूरों को स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था ठेकेदार की तरफ से की गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उढेर बांध

१--श्री बेदराम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सोरों विकास खंड, जिला एटा के अन्तर्गत आने वाले उढेर बांध का इस वर्ष पुनर्निर्माण न कराने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--

उढेर बांध का पुनर्निर्माण प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह गंगा नदी के meander belt में स्थित है ।

२--श्री बेदराम--

क्या इस बात को देखते हुये कि यदि यह बांध न बना तो हजारों एकड़ जमीन सैलाब आने से कट जावेगी तथा लगभग २५ ग्राम कटने की स्थिति में आ जावेंगे ? यदि हां, तो सरकार इनके बचाव के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल--

इतनी हानि होने की सम्भावना नहीं है तब भी वर्तमान बांध को हर साल मरम्मत कराने का प्रबन्ध है ताकि जहां तक सम्भव हो सके प्रभावित क्षेत्र की रक्षा हो सके ।

लहरपुर को बिजली देने की योजना

३--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत कस्बा लहरपुर में करीब ३७ लोगों ने बिजली कनेक्शन लेने के लिये अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक १२ जनवरी, १९६५ को दिये थे ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां ।

४--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या यह सही है कि उपरोक्त ३७ लोगों से प्रति कनेक्शन ५० रुपया अग्रिम जमा करवा कर उनको रसीदें दे दी गईं ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां ।

५--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या यह सही है कि जिन लोगों ने अपना रुपया पेशगी जमा किया है उनको यह विश्वास दिया गया था कि ३१ जनवरी, १९६५ तक जरूरी खम्भे लगवा दिये जायेंगे और उन्हें बिजली का

कनेक्शन दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो आज उन्हें बिजली का कनेक्शन न मिलने की क्या वजह है और बिजली के खम्भे क्यों नहीं लगवाये गये ?

श्री गिरधारीलाल---

ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। बिजली देने के लिये सर्वेक्षण हो चुका है और आवश्यक एस्टीमेट बन गया है जिसकी स्वीकृति के लिये कार्यवाही की लिये जा रही है। एस्टीमेट की स्वीकृति के बाद शीघ्र ही विद्युत् लाईन बनाने व कनेक्शन देने का कार्य शरु कर दिया जायेगा।

नानकसागर बांध

६---श्री जगन्नाथ राव---

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि राज्य के नानक सागर बांध के दोनों ओर की दीवालों में दरार पड़ गई है? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा इससे अनुमानित हानि क्या होगी ?

श्री गिरधारीलाल---

नानक सागर बांध की दोनों ओर की दीवालों में कोई दरार नहीं पाई गई है अतः इस कारण किसी हानि का प्रश्न नहीं उठता।

पनियाली ग्राम को बरसाती पानी से बचाने की प्रार्थना

७---श्री खुशीराम---

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी में ग्राम पनियाली को मौसम बरसात में सरकार गधेरे के कटाव से उत्पन्न खतरे को बचाने के लिये कुमायूं सिंचाई खंड नैनीताल द्वारा कोई योजना सरकार अथवा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के पास भेजी गई है ?

श्री गिरधारीलाल---

ऐसी कोई योजना सरकार अथवा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

८---श्री खुशीराम---

यदि हां, तो क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आने वाले बरसात में योजना के स्वीकृत होने तक सम्बन्धित ग्राम की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल---

ग्राम पनियाली को इस वर्ष सम्भावित बाढ़ से घोड़ियां तथा तट बांध बनाकर बचाने का प्रयत्न किया गया है।

बुढ़गंगा नाला से सिंचाई करने का सुझाव

९---श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे कि बुढ़गंगा नाला जिला एटा से सिंचाई कार्य किये जाने पर विभाग विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल---

बुढ़गंगा नाला जिला एटा से सिंचाई कार्य किये जाने पर विचार किया गया परन्त यह योजना कार्यरूप में परिणात करने योग्य नहीं पायी गई।

१०—श्री ऊदल—

[हटा दिया गया ।]

गांव शाहगंज व सआदतनगर में सिंचाई

११—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार शाहाबाद रजबहा में गांव शाहगंज, जिला शाहजहांपुर म ७ मील पहली फर्लांग पर चार इंच का एक कुलाबा जल्दी ही लगवाने की आवश्यकता पर विचार करके उसे लगाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

१२—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार जिला सीतापुर, तहसील मिसरिख के गांव सआदत नगर में आबपाशी हेतु जल्दी ही सरकारी ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं ।

सदन के बाहर अनधिकृत रूप से पर्चा बांटने पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, आज सदन के बाहर माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ एक पर्चा बंटा है...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, वह मुझे आपने बता दिया है ....

श्री लखपत राम शर्मा—

श्रीमन्, यह माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ पर्चा छपा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे पत्र के खिलाफ सी० आई० डी० की जांच कराई जाय कि यह पर्चा किस तरह से तकसीम हो रहा है.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो मेरे कक्ष में आपने बता दिया, मैं जान गया। मैं उचित व्यवस्था उसके सम्बन्ध में कर रहा हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, यह सदन में बंट रहे है, प्रेस का नाम इसमें नहीं है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह तो दिया कि इसकी जांच करा रहा हूं कि कहां छपा है...

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह बहुत निम्न स्तर पर चले गये हैं। मुख्य मंत्री के आचरण के विरुद्ध यह पर्चा छपा है, ऐसी बदतमीजी हो रही है और हम भूखों मर रहे हैं, इन झगड़ों में ही यह मंत्रिमंडल फंसा है....

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि मैं जांच करा रहा हूं।

श्री लखपतराम शर्मा--

प्रेस ऐक्ट के अनुसार बिना नाम के कोई पर्चा प्रेस नहीं छाप सकता और न वह तकसीम किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें तो, मैंने कह दिया मैं इन सब बातों की जांच करा रहा हूं....

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, यह हाउस में बंट रहा है....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, उसकी जांच मैं कराऊंगा।

इलाहाबाद में घटित घटना के विषय पर ६ अगस्त, १९६५ के गृह-मंत्री के भाषण में कथित गलत बयानी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब विशेषाधिकार के सम्बन्ध में एक सूचना है, यह माननीय हरगोविन्द सिंह के विरुद्ध आया है। लेकिन उन्होंने सदन में इस सम्बन्ध में अपना खेद प्रकट कर दिया है इसलिये मैं समझता हूं कि इसे उठाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

माननीय गृह मंत्री जी ने खेद प्रकट कर दिया अच्छा हुआ, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जिलाधीश और एस० एस० पी० जिनके गलत बयानों पर मंत्री जी को गलत बयानी करनी पड़ी और फिर माफी मांगनी पड़ी, इसलिये मैं चाहता हूं कि इन दोनों के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक इन जिलाधीश और एस० एस० पी० महोदय का प्रश्न है या जो अधिकारी सूचना देते हैं उनके विरुद्ध हम यहां विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते। उन के सम्बन्ध में आप मंत्री जी से अवश्य कह सकते हैं कि अगर गलत रिपोर्ट हुई है तो वह उचित कार्यवाही करें। यह सदन की प्रथा रही है और वही पूर्वगामी अध्यक्षों ने भी निश्चित की है कि गलत सूचना आने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उन अधिकारियों के विरुद्ध नहीं उठाया जा सकता बल्कि केवल मंत्री जी से कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में वह उचित कार्यवाही करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इलाहाबाद के लिये यह नई बात नहीं है। सन् १९६२ में भी कोतवाली के सामने फारूक हत्याकाण्ड हुआ था और उस पर कमिश्नर की इन्क्वायरी हुई थी और उसकी फाइंडिंग थी कि उसमें कोई सोशलिस्ट दल का हाथ नहीं था हालांकि आरोप लगाया गया था कि उसमें हमारे दल का हाथ था। वहां की पुलिस के दिमाग में यह चीज निरन्तर चलती रहती है और उसी के अनुसार वह ऐसी रिपोर्ट देती है कि इसमें एस०

एस० पी० का हाथ है। हम चाहते हैं कि ऐसी आदत पुलिस की छुड़ाना चाहिये और उनके खिलाफ निश्चित कार्यवाही होनी चाहिये। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इस विशेषाधिकार के प्रश्न को स्वीकार करें और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को अवश्य भेजें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, यह सचमुच बड़ा गम्भीर विषय है, आये दिन मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं, घटनायें घटती ह और समय-समय पर अधिकारियों के बयानों के आधार पर यहां मंत्रीगण बयान देते हैं और यह कहना विषयान्तर न होगा कि यहां पर जो अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारियों से बयान आते हैं, उन्हें भी तोड़-मरोर कर उत्तर दिया जाता है। यह भी सही है कि अधिकांश अधिकारी उनको गलत स्टेटमेंट भेजते हैं और उसके आधार पर माननीय मंत्री गलत बयान देते हैं। इस पर तो आपने व्यवस्था दे दी कि जो संबंधित विषय है उसके बारे में हम माननीय मंत्री जी से कहें और उन्हें अधिकार है कि वे अपने अधिकारियों के विरुद्ध जो उचित कार्यवाही समझें करें परन्तु यह समझ में नहीं आता कि हम लोगों को कैसे मालूम पड़े कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है। वे अधिकारी एक झूठ बात लिख कर माननीय मंत्री जी को गुमराह करते है और उसी के कारण उन्हें सदन में क्षमा मांगनी पड़ती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या स्टप लिए गय और मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ताकि सारे सदस्यों को लिखित सूचना मिल जाय और हमारे जिले के अधिकारी फिर ऐसे कार्य न करें ?

श्री अध्यक्ष---

हां, इसके ऊपर कुछ होना चाहिए।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, इस पर आपने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष---

सरकारी कर्मचारियों के किसी कृत्य का सदन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने पर ही उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है अन्यथा नहीं। यह पृष्ठ ३०९ पर १९५२-१९६२ के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संहित संकलन में है। इसमें है कि जो सूचनाएं अधिकारियों द्वारा माननीय मंत्रियों को प्राप्त होती हैं उन सूचनाओं के सम्बन्ध में अगर वे ग़लत हैं, तो माननीय मंत्री जी से आग्रह किया जा सकता है कि वे, जैसा कि अभी कहा गया है, जो उचित कार्यवाही समझें, करें। इस सम्बन्ध में नेताओं को बुला कर परामर्श करूंगा और अगर नियमों में कुछ हो सकता है तो वैसी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, जैसा कि आपने संकेत किया कि इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तो नहीं उठाया जा सकता है लेकिन जो माननीय मंत्री ग़लत बातें कहता है उसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है क्या,यह आपकी व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी अगर ग़लत बयानी करते हैं और वह डेलीबरेट फाल्सहुड है तो हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

६ अगस्त, १९६५ को स्वायत्त शासन मंत्री के उपस्थित न होने के फलस्वरूप सदन की बैठक स्थगित किये जाने के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री, उपनेता सदन एंवं संसदीय मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष—

वही मैं कह रहा हूं । एक माननीय कमलासिंह जी और माननीय चन्द्रजीत यादव का माननीय चतुर्भुज शर्मा, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री.....

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरा माननीय नेता सदन के खिलाफ भी है ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं निवेदन कर दूं । मुझे आदरणीय चतुर्भुज शर्मा का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने कहा है कि "मेरी अनुपस्थिति के कारण सदन १० तारीख के लिये स्थगित हुआ । एतदर्थ मुझे हार्दिक दुख है" । मैं समझता हूं कि यह काफी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (ज़िला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, जिस स्थिति में सदन स्थगित कराया गया मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति में एक अद्भुत घटना थी कि जब एक विधेयक जो कि सेलेक्ट कमेटी से होकर आया हो उसको सदन के सामने पेश कराने के मौके पर माननीय मंत्री स्वयं अनुपस्थित थे ।

दूसरे सिद्धान्त यह है कि अगर उनके मंत्रि मंडल का कोई सदस्य किसी भी कारण से उपस्थित नहीं था तो यह मानी हुई बात है कि अगर संयुक्त उत्तरदायित्व जो मंत्रि मंडल का होता है अगर उनका प्रधान नेता, जो सदन में मौजूद था, उन्हें यह बिल प्रस्तुत कर देना चाहिये था । आपने ३ बार बुलाया और मंत्रि मंडल के कई सदस्य वहां पर थे पर उनमें से किसी ने भी यह नहीं उचित समझा कि चूंकि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री अनुपस्थित थे तो उनमें से कोई बिल पेश करने के लिए खड़ा हो जाता । अतः मैं समझता हूं कि इस तरह से सदन के कार्य में रुकावट हुई है कि इसमें सदन को प्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर कार्यवाही करना चाहिये । इसलिये कार्यवाही करना चाहिये कि हमारी मंत्रणा समिति के एक सिफारिश सदन के सामने की कार्यक्रम दिया जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया, सदन ने उसको अस्वीकार किया और उस काम के लिए सदन ने समय निर्धारित किया । उस निर्धारित समय के अनुसार हम को काम करना था । लेकिन एक मंत्री की अनुपस्थिति के कारण और सदन के उपनेता जो यहां बैठे थे उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया, जिसके कारण आपको सदन स्थगित करना पड़ा और जिस स्थिति में सदन आपने स्थगित किया, मैं समझता हूं आप को स्वयं इसका खेद था, आपने सदन की भावना को देख कर कि मंत्रिमण्डल किस प्रकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रहा है, उसको आपने देख कर ही ऐसा किया । मैं कहना चहता हूं कि अगर मंत्री स्वायत्त शासन अनुपस्थित थे तो माननीय उपनेता सदन ने इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही इसलिये नहीं की, जिससे सदन चलता कि उनकी पार्टी में गुटबाजी है.....

(शेम, शेम की आवाजें)

इसलिये सदन का स्थगित किया जाना, जिस पर हजारों रुपया खर्च करते हैं, उसको बिना किसी विशेष कारण के स्थगित होना खेद की बात है। आप जानते हैं सदन को स्थगित करने के बहुत कम अवसर आते हैं। आपकी व्यवस्था भी है कि अगर कोई माननीय सदस्य लखनऊ में मर जाता है तब ही सदन स्थगित करते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिये जिस काम के लिये हम हजारों रुपये प्रति दिन खर्च करते हैं वह काम पूरा होना चाहिये। इस मौके पर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने लापरवाही दिखायी। अगर इस प्रकार मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति में ऐसी दोष-पूर्ण व्यवस्था पैदा होती है तो यह निन्दनीय है। इसलिये मैंने तीन आदमियों के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने खेद प्रकट कर दिया इसकी मुझे खुशी है। लेकिन मैंने उपनेता सदन के विरुद्ध भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, वह उस समय हेड थे और सदन में मौजूद थे। संसदीय मंत्री का यही काम है कि अगर किसी कारणवश एक मंत्री नहीं आता है तो उसकी व्यवस्था करें, उसका प्रबन्ध करें इसलिय उन्होंने भी अपने दायित्व को नहीं निभाया। अतः उनके खिलाफ़ भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है।

मेरा निवेदन है कि आप हल्के-फुल्के ढंग से इस काम को न लें। मैं चाहता हूं कि इन की सदन को भर्त्सना करनी चाहिये, मैंने कहा है कि सदन की कार्यवाही में यह अवहेलना की है, अपमान किया है इसलिये सदन इस काम के लिये इन-इन व्यक्तियों की भर्त्सना करता है, इनके काम से सदन के काम में बाधा पड़ी है, इसलिये आप मेरी सूचना को स्वीकार करें।

*श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो हम लोगों ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उसको पढ़ कर सदन के सामने सुना दिया जाय। दूसरी चीज यह कि जहां तक ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी का सवाल है अगर स्वायत्त शासन मंत्री यहां उपस्थित नहीं थे तो उस वक्त कर्तव्य था उपनेता सदन का कि वह खुद या अपने किसी मंत्रि परिषद् के सदस्य द्वारा उस काम को करवाते ताकि सदन का समय बेकार नष्ट न होता। स्थगन से हजारों रुपया बर्बाद हुआ है इसलिये भी मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी या मंत्रि परिषद् इसके लिये जिम्मेदार है और इस तरीके पर हमारी विजनेस कमेटी का निर्णय जो सदन के प्रस्ताव द्वारा पास कर दिया गया हो अगर उसका भी संचालन ठीक तरीके पर न हो और यहां मंत्रि परिषद् के लोग ही स्वयं उसका उल्लंघन करें तो यह मैं समझता हूं कि शोभा की बात नहीं होती। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूगा कि हम लोगों ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उसको आप सदन में पढ़ दें। और उसके बाद मंत्री जी को जो नोटिस हमने भेजा था उसका उन्होंने जो कुछ जवाब दिया हो उसको भी हमको सुनाने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नेकराम शर्मा का नाम पुकारने के उपरान्त) मैं चाहूंगा कि प्रिविलेज पर बहुत ही संक्षेप में कहें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जी मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। इस सदन में व्यवस्था हो चुकी है कि सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है और यही नहीं कि मंत्री किसी बिल को पेश करें बल्कि कोई सदस्य भी जिसे अधिकृत कर दिया जाय वह भी पेश कर सकता है, जैसे कि सहकारिता की रिपोर्ट श्री रामायणराय जो ने श्री बनारसी दास जी के स्थान पर यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

सदन में पेश की थी। मुझे यह सूचना मिली है कि माननीय चतुर्भुज शर्मा जी किसी कार्यवश चले गये थे और उपनेता सदन मौजूद थे, संसदीय मंत्री उपस्थित थे तो उनकी मौजूदगी में आपको सदन को स्थगित नहीं करना चाहिये था। आपको उपनेता से कहना चाहिये था कि वह इस बिल को पेश करते लेकिन ऐसा न करके आपने सदन के कार्य में बाधा डाली तो इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है और इसको आप विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं यहां उपस्थित था। मैंने उस दिन यह देखा कि श्री जयराम जी उस बिल को प्रस्तुत करने के लिये खड़े हुए और चूंकि उनको उस बिल के बारे में विशेष ज्ञान नहीं था, और जहां तक मुझे ज्ञात है, आपने भी इसके बारे में यही कहा होगा और यह कह कर सदन स्थगित हुआ। मंत्रिमंडल की तरफ से जब एक आदमी खड़ा हुआ, अगर वह मंत्रिमंडल में है तो पूरे मंत्रिमंडल पर लांछन आ ही नहीं सकता क्योंकि श्री जयराम वर्मा जी खडे हुए थे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि मंत्री जी ने माफी मांग ली लेकिन जैसा कमला सिंह जी तथा नेकराम जी ने कहा,संयुक्त मंत्रिमंडल की उसके प्रति जिम्मेदारी है। अगर कोई मंत्री खड़ा होता है विधेयक पेश करने के लिये ,तो यह भी संयुक्त मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। संयुक्त मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है, इस सिद्धान्त को सामने रख कर आपको हुकुम दना चाहिये था कि वह विधेयक पेश करते। अब शर्मा जी तो माफी मांग कर अलग हो गये, लेकिन आप और मंत्रिमंडल कैसे अलग होते हैं, यह देखना है।

श्री अध्यक्ष---

इसे आप अलग से लिख कर दे दीजियेगा।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

अध्यक्ष महोदय, मैं सख्त जबान का इस्तेमाल नहीं करता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि ग्रुपिज्म के खयाल से बिल पेश करने की व्यवस्था मैंने नहीं की यह सर्वथा सत्य से परे है, मैं ऐसी बात सोचता नहीं। इतिफाक से शर्मा जी चले गये। मुझे मालूम नहीं हुआ। जब पुकारे गये और गैर हाजिर पाये गये तो मैंने वर्मा जी से कहा कि खड़े हो जाओ। वह खड़े हो गये जसा कि कुंवर श्रीपालसिंह ने भी कहा। उसके बाद सदन स्थगित हो गया। तो यह सवाल कहां आता है कि उप नेता सदन ने लापरवाही की? मैं लापरवाही कभी नहीं करता, बड़ा सतर्क रहता हूं, इलजाम भले ही कोई लगा दे।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

अध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि कोई भी बिल संयुक्त जिम्मेदारी को लेकर सदन में मंत्रिमंडल पेश करता है। अगर कोई मंत्री किसी बिल को पेश करता है तो पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे शर्मा जी किसी कारण गायब थे या नहीं पेश कर सकते थे और कोई दूसरा उसे पेश करता तो वह भी संयुक्त जिम्मेदारी में माना जाता। अब उपनेता ने जानबूझ कर नहीं किया यह मैंने माना, लेकिन हो गयी यह गलती। इसके लिये पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। ग्रुपिज्म की बात हम नहीं सोच सकते आपक अन्दर चाहे जितनी ग्रुपिज्म हो लेकिन इस सम्बन्ध म आप जो भी निर्णय दें वह यह समझ कर द कि संयुक्त रूप से जिम्मेदारी मंत्रिमंडल पर है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उपनेता सदन ने कहा कि माननीय जयराम वर्मा जी बोलने के लिये खड़े हुये थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। इसका नतीजा यह

हुआ कि सदन की बर्खास्तगी की जिम्मेदारी आपके ऊपर चली जाती है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब तक आप इस कुर्सी पर रहेंगे तब तक यहां इस पर विचार कैसे होगा ?

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। प्रस्तुत विषय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, किस नियम के अन्तर्गत माननीय रामायणराय जी खड़े होकर बोल रहे हैं ?

श्री रामायणराय—

मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

श्री उग्रसेन—

क्या आपने हुक्म दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां, वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, अपने यहां की कार्य-संचालन और प्रक्रिया नियमावली के नियम २१७ को आप देखें। इसके रहते हुये प्रवर समिति के कोई भी माननीय सदस्य प्रवर समिति के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत होने पर इस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने आपकी आज्ञा लेकर माननीय अध्यक्ष यानी सहकारिता मंत्री द्वारा अधिकृत होने पर सहकारिता समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तब समझ में नहीं आया कि माननीय शर्मा जी जैसे विद्वान, इस नियम के रहते हुये यह भ्रम उठाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष—

हो गया। इस तरह से बहस नहीं होती है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि वह पेश कर सकते थे या कोई माननीय सदस्य पेश कर सकते थे, इसलिये आपका उत्तरदायित्व...

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, किसी नियम के होते हुये आप ने एक बात कह दी और उन्होंने एक बात कह दी...

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैंने उन्हीं की बात कही जैसे कि माननीय रामायण रायजी ने कहा कि समिति के अध्यक्ष द्वारा अधिकार मिलने पर कोई भी उपमंत्री, सभा सचिव या माननीय सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे थे और उसको वे किसी भी माननीय सदस्य के जरिये से विधेयक प्रस्तुत हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि मंत्रिमंडल में फूट थी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

एक बात यह है कि व्यवस्था में व्यवस्था कैसे उठ सकती है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैं तीन बार उठा...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। आपकी व्यवस्था सुन ली जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन् जिस समय माननीय सदन स्थगित किया गया उस समय मैं उपस्थित था। यह बात जो कई माननीय सदस्यों ने उठाई कि माननीय जयराम वर्मा खड़े हुये थे। यह बात सही है कि उस समय माननीय शर्मा जी उपस्थित नहीं थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने सदन को एकाएक स्थगित कर दिया। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि माननीय जयराम वर्मा जी को अधिकार था, सरकार को सामूहिक जिम्मेदारी होने के कारण ,पेश करने का लेकिन यह कारण समझ में नहीं आया कि आपने सदन को क्यों स्थगित कर दिया ? सदन को स्थगित करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने गलत तरीके से सदन को स्थगित किया और माफी माननीय चतर्भुज शर्मा जी न मांगी ,इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो आपको खेद प्रगट करना चाहिये था कि आपने गलत व्यवस्था दी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन् , मैं यह व्यवस्था मांगता हूं कि ६ तारीख को जब माननीय जयराम वर्मा जी खड़े हुये थे तो आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप पेश नहीं कर सकते हैं, आपको क्या जानकारी है ? अब यह प्रश्न उठाया जाता है कि जहां वे उसको पेश कर सकते थे लेकिन आपकी व्यवस्था के नाते अब यह प्रश्न उठता है कि क्या मंत्री की अनुपस्थिति में कोई उपमंत्री, सभा सचिव या अधिकृत माननीय सदस्य प्रस्तुत कर सकते है अथवा नहीं ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सदन के सामने यह प्रश्न रखा गया। मुझे यह निवेदन करना है कि हर चीज पर आप व्यवस्था नहीं दे सकते। एक बिल जब सदन के सामने आया तो मंत्री इंचार्ज अनुपस्थित थे। मंत्री इंचार्ज, बिल के हर मामले से तैयार हो कर आता है, वह हर चीज को अवगत करवाता है, वह बतलाता है कि हम इसलिये इस बिल को सदन के सामने रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि परसों के प्रश्न को छोड़ भी द। लेकिन प्रश्न यह है कि जब दूसरा व्यक्ति उस बिल को हाथ में लेता है और कहता है कि इस बिल को प्रस्तुत करूंगा, तो आप खानापूरी पर विचार करेंगे या इस पर विचार करेंगे कि बिल को प्रस्तुत करने का जो आशय है वह पूरा हो ? तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई दूसरा आदमी मिनिस्टर इंचार्ज की जगह पर प्रस्तुत कर सकता है, कौन-सी ऐसी परिस्थिति है जब नहीं कर सकता है, इस पर हम विचार कर सकते हैं।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था में व्यवस्था नहीं पैदा होती है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आपने कई लोगों को मौका दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

उप नेता सदन ने वर्मा जी को हुक्म दिया । वर्मा जी बिल को पेश करने के लिये खड़े हुए । २५ आदमियों ने बोलने नहीं दिया । इस पर यह सदन स्थगित हुआ । सरकार की कमी से स्थगित नहीं हुआ ।

श्री राजनारायण मिश्र—

मेरी एक बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठ जाइये ।

आदरणीय सदन ने अपने विचार रख दिये । मैंने काफी सुन लिया । सुनने के बाद मैं अपना निर्णय देना चाहता हूं । यह विषय ऐसा नहीं है जिस पर दिन भर बहस हो । प्रश्न यह है कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जाय या न किया जाय । जहां तक माननीय चतुर्भुज शर्मा का प्रश्न है वह समाप्त हो गया । अब प्रश्न यह है कि माननीय नेता सदन और उन मंत्रियों पर विशेषाधिकार का प्रश्न आता है या नहीं आता है । साथ ही साथ एक कारोलरी इसकी और है कि अध्यक्ष ने भी गलती की ।

श्री जे० पी० मिश्र—

इतना और जोड़ लें कि २५ आदमियों ने बोलने नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बता देना चाहता हूं कि अगर २५ आदमी शोर मचा रहे थे तो उनके शोर मचाने की वजह से मैंने स्थगित नहीं किया । ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । जो मेरे हृदय में बात है वह मैं जानता हूं, और कोई नहीं जानता है । मैं जितना नियम समझा हूं, उस नियम को आपके सामने रख दूं । इस विधेयक के मिनिस्टर इन्चार्ज माननीय चतुर्भुज शर्मा थे और हैं, यह तो निश्चित है । माननीय चतुर्भुज शर्मा नें इसको पाइलट करके प्रवर समिति में भिजवाया । प्रवर समिति से प्रतिवेदन आया । कुछ माननीय सदस्यों के मन में यह भ्रम है कि यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, ऐसी बात नहीं है । माननीय रामायणराय ने अधिकृत रूप में केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । आप देखेंगे कि विचाराधीन विधेयक पर सदन के सामने विचार करने के लिए प्रस्ताव था । उसमें लिखा है "स्वायत्त शासन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय ।"

अब यह हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम है जिसको मैं पढ़ कर सुना रहा हूं—१३४ (१) यथास्थिति किसी विधेयक पर सदन की प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरान्त भार-साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि :—

(क) यथास्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय:

[श्री अध्यक्ष]

तो भार-साधक मंत्री माननीय चतुर्भुज शर्मा थे और मैं ऐसा समझता था कि और कोई माननीय सदस्य या मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता था। यह मेरा विचार था और इस विचार के आधार पर मैंने यह कहा कि माननीय जयरामवर्मा जी, आप उस प्रस्ताव को नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, आप क्या जानते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बहुत नम्रता-पूर्वक किसी के ऊपर कटाक्ष न करके केवल निवेदन करना चाहता हूं, जिस बात को कि माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि जब विचार के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो क्या हम उसस यह आशा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कि वह उसके उद्देश्य और कारणों को सदन के सामने बतलावे कि जनसमाज में प्रस्तुत कौन से दोषों के निवारण के लिये या साधारण जन-समुदाय की कौन सी कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह विधेयक रखा गया है और इसका प्राविधान क्यों किया गया है। इसके ऊपर हमें विचार करना है। क्या यह सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि एक माननीय सदस्य जिनके पास उस विधेयक की प्रतिलिपि भी नहीं थी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि माननीय बंशीधर पांडेय ने जाकर माननीय जयराम वर्मा के हाथ में एजेंडा रख दिया; अगर उस समय माननीय जयराम वर्मा खड़े होकर उसे सदन के सामन रख दत और यह कह कर कि मैं इसको विचार के लिये उपस्थित करता हूं, बैठ जाते, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रदेश की ७ करोड़ जनता के साथ तथा उसके प्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ नहीं होता। मैं आदरणीय सदन से पूछना चाहता हूं कि मेरे लिये यह कहां तक उचित था कि मैं किसी से भी कहता कि तुम हमारे साथ खिलवाड़ करो। मेरा निश्चित मत यह है कि अगर कोई गलती है तो उसके लिये सजा दीजिये, जो जी में आये कीजिये, लेकिन मैं अपने हृदय से इस बात को कहता हूं कि हम सदन में बैठ कर जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त मैंने पुकारा, सदन उपनेता नहीं खड़े हुये। इस बात का मुझे खेद है कि यह विचार एक बहुत ही विचारशील व्यक्ति श्री चन्द्रजीत यादव के हृदय में उत्पन्न हुआ कि माननीय उपनेता सदन ने किसी आपसी गुटबन्दी स प्रेरणा पाकर ऐसा किया।

एक आवाज—

यह बात सही है।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन मैं यहां बैठकर कम से कम यह प्रिज्यूम करने के लिये तैयार नहीं हूं। किसी माननीय सदस्य की नीयत पर एकदम से आरोप कर देना न हमको शोभा देता है और न इस सदन को शोभा देता है। मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं और अगर यह स्वीकार कर लेते हैं तो फिर प्रत्येक अधिकारी के ऊपर, मेरे ऊपर भी यह दोषारोपण हो सकता है। तो मैं आपसे निवदन कर रहा हूं कि म इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि किसी भी माननीय मंत्री न गुटबाजी से प्रेरित होकर ऐसा काम किया जिससे किसी के ऊपर लांछन आता हो। मैंन दखा ह कि यहां कितनी परेशानी थी। माननीय हरगोविन्द सिंह, माननीय उपनेता सदन और माननीय जयराम वर्मा, माननीय बंशीधर पांडेय जी सब परेशान थे कि क्या किया जाय और उस परशानी म उनकी समझ म नहीं आया कि क्या किया जाय। उसके साथ-साथ में अपने लिये कहता हूं और स्पष्ट कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि मेरी भी परशानी थी और इधर स अधिक शोर गुल होने की वजह से और कुछ विघ्नों के कारण मैं सदन को बजाय आध घटे के लिये स्थगित करने के दिन भर के लिये कर गया। मैंने बाद को यह अनुभव किया है कि कदाचित् मैंने गलती की है और मैंने जाकर अपने सचिव से कहा कि मैंने जरूर गलती की है और उसको मैं स्वीकार करता हूं। अगर मैंने थोड़ी देर के लिये सदन को स्थगित किया होता तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन उस वक्त शोरगुल में परेशानी के कारण पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिया।

श्री जे० पी० मिश्र—

यही मैं कह रहा था ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन केवल वही कारण नहीं था ।

(व्यवधान)

आप सब बैठ जायं ।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैंने उस समय स्थगित कर दिया । अब चूंकि मैं यह आरोप स्वीकार नहीं करता कि किसी माननीय मंत्री ने गुटबाजी के अधीन होकर उस समय कार्य नहीं किया इस वजह से जो विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने प्रस्तुत किया है उसको अस्वीकार करता हूं और अब यह अध्याय समाप्त ।

श्री राजनारायण मिश्र—

मैं एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं जो विशेषाधिकार के संबंध में नहीं है ।

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने जो यह व्यवस्था दी है कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को केवल संबंधित मंत्री ही पेश कर सकते हैं, अगर मैं सही समझा हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको नियम १३४ पढ़कर सुना दूं । "यथास्थिति किसी विधेयक पर सदन की विधेयक पर सदन की प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरान्त भार-साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर बिचार किया जाये आदि-आदि । अब जरा कृपया "भार-साधक सदस्य" की जरा व्याख्या पढ़िये । "विधेयक भार-साधक सदस्य" का तात्पर्य सरकारी विधेयक के संबंध में किसी मंत्री से और अन्य विधेयकों के संबंध में उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो या उस सदस्य से है जो किसी ऐसे सदस्य द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिये लिखित रुप से प्राधिकृत किया गया हो, या यदि विधेयक परिषद् द्वारा भेजा गया हो तो उस मंत्री या सदस्य से है जिसने यह प्रस्ताव करने के मंतव्य की सूचना दी हो कि विधेयक पर विचार किया जाय । इसमें है कि या तो उन्होंने पुरःस्थापित किया हो या लिखित रूप से किसी को प्राधिकृत किया हो । माननीय शर्मा जी ने मुझे लिखकर के भेजा है, मैं चाहता नहीं था कि उनका पत्र पढ़ा जाय लेकिन भ्रम दूर करने के लिये उसका पढ़ना आवश्यक है । उसमें आपने लिखा है कि तारीख ७ अगस्त को जब मेरा विधेयक आवास एवं विकास परिषद् आने को था तब मैं काफी देर पहले से सदन में उपस्थित था । इत्तिफाक से कुछ जरूरी काम से मैं कुछ मिनटों के लिये चला गया था और श्री जयराम वर्मा, उपमंत्री जी, से यह कहा गया था कि यदि मेरी अनुपस्थिति में यह विधेयक पुकारा जाय तो वे संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर दें ।" प्रतिवेदन प्रस्तुत पहले ही हो चुका था । उन्होंने न जाने यह कैसे लिख दिया । इसमें प्रस्ताव यह था कि बिचार किया जाय । उसमें वह यह लिखते हैं "मैंने माननीय जयराम वर्मा जी से यह कहा था कि विधेयक यदि पुकारा जाय तो वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दें ।" तो प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना था, विचार करने के लिये करना था और जैसा मैंने कहा था मैंने उस समय जो स्थगित किया था उसका कारण यह था कि विधेयक भार-साधक सदस्य केवल उस सूरत में स्वयं

[श्री अध्यक्ष]

रखता है या उसके द्वारा लिखित रूप से जो प्राधिकृत किया गया हो वह रख सकता है। अब यह सही हो या गलत, उस समय मेरा यही खयाल था। इसके लिये जब मैंने माननीय जयराम वर्मा जी को कहा कि यदि वे प्राधिकृत हो तो रख सकते हैं तो मैंने ३ मर्तबा पुकारा और माननीय जयराम वर्मा खड़े नहीं हुए। तब यहां से बंशीधर जी पांडेय वहां गये और उन्होंने उनके हाथ में एजेन्डा रखा तब वह लेकर खड़े हुए।

श्री चरणसिंह—

इस समय सवाल यह नहीं है कि आपने ३ दफा उनको बुलाया और वे खड़े नहीं हुए या उस वक्त ऐसा वातावरण था कि आप पूरी तरह से विचार नहीं कर सकते थे; यह प्रश्न सामने नहीं है। यह आपका फरमाना सही हो सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात से कन्सर्न्ड हूं कि मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपकी यह व्यवस्था हमेशा के लिये १३४ के मातहत है कि सिर्फ संबंधित मिनिस्टर ही किसी रिपोर्ट को, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को, पेश कर सकता है कि इस पर विचार किया जाय और दूसरा डिप्टी मिनिस्टर उसको पेश नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात पर आपको जरा फिर गौर करना चाहिये और इसे आपको अपनी अन्तिम व्यवस्था नहीं समझना चाहिये। मैं समझता हूं यह आप अपनी अन्तिम व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह अंतिम नहीं है।

श्री चरणसिंह—

तो फिर माननीय जयराम जी वर्मा या कोई उपमंत्री उसको पेश कर सकता था।

श्री अध्यक्ष—

यह रूल में साफ लिखा हुआ है।

श्री उग्रसेन—

अभी पहले आपने कहा था कि व्यवस्था आपने दे दी और अब उनसे कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं दी ?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अगर आप कहते हैं कि व्यवस्था नहीं दी तो वह जो पहले आपने कहा वह क्या था ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा है कि उस समय जब मैंने इसको स्थगित किया तो मैंने १३४ नियम के आधार पर समझ कर स्थगित किया। अब जब १३४ का प्रश्न आयेगा तो तब देखा जायगा। उस समय माननीय जयराम जी वर्मा ने यह नहीं कहा कि वे प्राधिकृत हैं। वह बैठे रहे।

श्री नेकराम शर्मा—

इस संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने रखा गया। उस पर आपने व्यवस्था दे दी। उस व्यवस्था को देने के बाद आपने यहां पर यह कहा कि अब यह अध्याय समाप्त हुआ। उसके बाद आप किस नियम के अनुसार कृषि मंत्री जी को अवसर देते हैं ? उनको अवसर देने के बाद आपने कह दिया कि यह व्यवस्था मैंने नहीं दी। मैं समझता हूं आपने बिलकुल व्यवस्था दी है। तो इन सारी बातों का आप स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मेरा जो कुछ वक्तव्य था वह केवल इस बात पर था कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं और उस संबंध में मैंने यह कहा कि १३४ के आधार पर मैं यह समझा था कि वह पेश नहीं कर सकते। अब आप सवाल उठाते हैं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं, तो मैंने कहा कि प्रस्तुत करने के बारे में मेरी व्यवस्था यह नहीं है कि भार-साधक सदस्य ही प्रस्तुत करे। माननीय रामायण राय ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भार-साधक मंत्री या उनसे अधिकृत व्यक्ति की बात कही थी, वह पेश कर सकता है।

(व्यवधान)

आप सब लोग बैठ जायं।

(व्यवधान; सदस्यों के स्थान न ग्रहण करने पर)

चूंकि आप लोग बैठ नहीं रहे हैं इसलिये सदन आध घंटे के लिये स्थगित किया जाता है।

(इस समय १२ बजकर ४६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चरणसिंह जी एक स्पष्टीकरण चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

मुझे ताज्जुब है कि मैं ज्यों ही खड़ा हुआ आप सदन से चले गये और उसे स्थगित कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये --

(व्यवधान) वह बात खत्म हो गयी।

*श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि नियम १३४ के शब्द हैं :--

"यथास्थिति किसी विधेयक पर सदन की प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरान्त भार-साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि--

(क) यथास्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

उस रोज का जो एजेन्डा है उसमें यह है कि स्वायत्त शासन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय। १३४ (क) में यही दिया हुआ है कि भार-साधक सदस्य इस तरह का प्रस्ताव करेगा कि प्रतिवेदित विधेयक पर विचार किया जाय। तो अब देखना यह है कि माननीय चतुर्भुज शर्मा ने यह लिख दिया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजेन्डे में यही था कि उस पर विचार किया जाय और रूल में यह है कि विचार किये जाने का प्रस्ताव कोई भी भार-साधक सदस्य कर सकता है। भार-साधक सदस्य की क्या परिभाषा है ? इसमें लिखा है—

"संकल्प अथवा प्रस्ताव के सम्बन्ध में 'भारसाधक' सदस्य का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने ऐसा संकल्प अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो।" इसमें ही "विधेयक भारसाधक सदस्य" का तात्पर्य सरकारी विधेयक के सम्बन्ध में किसी मंत्री से और अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो या उस सदस्य से है जो किसी ऐसे सदस्य द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिये लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया हो। यहां अधिकृत करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि गवर्नमेन्ट बिल था। १३४ में जो स्वीकृति है वह गवर्नमेन्ट बिल से है। प्राइवेट बिल १३३ में आ जाता है। भार-साधक सदस्य भी मान लें तो सदस्य की डैफीनीशन देख लें। सदस्य की डेफीनीशन में यह है कि —"सदस्य का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और उसमें मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं।" और फिर "मंत्री" का तात्पर्य मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें। इस तरीके से इस बिल को पेश करने का अधिकार डिप्टी मिनिस्टर को था। यह बात क्लीअर है। अगर आपकी व्यवस्था यही होती है कि जो मिनिस्टर हो वही मोशन पेश कर सकता है, फिर तो काम करना असम्भव हो जावेगा। मान लीजिये कि मिनिस्टर बीमार हो तो डिप्टी मिनिस्टर काम नहीं कर सकता ? यह व्यावहारिक दृष्टि से बिलकुल इम्प्रेक्टिकेबुल बात हो जावेगी। टैक्नीकल दृष्टि से भी मैंने अर्ज कर दिया है और व्यावहारिक दृष्टि से भी मैंने अर्ज कर दिया है। यह बात कि किन उद्देश्यों के लिये प्रस्तुत किया है, यह केवल मिनिस्टर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, अगर आप माफ करेंगे तो इसमें दो त्रुटियां हैं। पहली बात यह है कि जिस वक्त बिल इन्ट्रोड्यूस किया था और जब सैलेक्ट कमेटी में जाने के लिये विचार हुआ था तो उस समय सब पर बहस हो गयी। उस वक्त भी डिप्टी मिनिस्टर पेश करत सकते थे, या कोई भी माननीय सदस्य पेश कर सकता था। इस समय उसका सवाल नहीं उठता।

दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि सात करोड़ जनता के जो रिप्रेजेन्टेटिव हैं वह अपने कर्त्तव्य से गिरें या उससे च्युत हों। तो आप यह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आप उनको कर्त्तव्यपालन पर दृढ़ रक्खें कि वे विचलित न हों अपने कर्त्तव्य पालन से ? जहां तक भावना का सम्बन्ध है, कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं इतना अर्ज करूंगा कि आपको यह तय करने का अधिकार नहीं कि फलां डिप्टी मिनिस्टर जो है वह इस सिलसिले में जानता है या नहीं जानता है। आपकी भावना का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उससे एग्री करता हूं लेकिन जहां तक कानून और उसकी टेक्नीकैलिटी का सवाल है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

एक बात और। माननीय जयराम वर्मा जी को केवल प्रस्ताव रखना था, उस पर किसी व्याख्यान देने की जरूरत न थी। मुझे, अध्यक्ष महोदय, यहां इतने दिन से काम करने का तजुरबा है, उसकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि कभी भी बिल पेश करते समय भी शुरू में व्याख्यान देने की जरूरत नहीं होती। केवल यह कह दिया जाता है कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में सब चीज मौजूद है माननीय मित्रों की बात सुनने के बाद ही उसके बारे में कहा जायगा,

बाद में जवाब दे दिया जायगा । कभी कभी बजट पेश करते समय भी केवल यही मोशन होता है कि मैं बजट पेश करता हूं । ऐसी स्थिति में आपका यह कहना सारी मिनिस्ट्री और विशेष रूप से मिनिस्टर कन्सर्न्ड पर प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप में लांछन हो जाता है मानो कि वह अपने कर्त्तव्य से च्युत हुये हों ।

माननीय चतुर्भुज शर्मा जी ने माफी मांग ली है । अच्छा किया । उनको माफी मांगनी चाहिये थी । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम था कि वे बराबर मौजूद थे, शुरू से बैठे हुये थे....

श्री अध्यक्ष—

मुझे मालूम नहीं था।

श्री चरणसिंह—

ठीक उसी वक्त उठ कर चले गये । बेहतर तो यह होता कि आपके पास वह इस बारे में चिट्ठी भिजवा देते कि मैं मजबूरी में जा रहा हूं लेकिन अगर उन्होंने यह नहीं किया तो मैं नम्र निवेदन करता हूं कि उससे आपकी जिम्मेदारी में कमी नहीं आ जाती है । आपको ज्यादा से ज्यादा ५–१० मिनट के लिये पोस्टपोन कर देना था ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने कह दिया ।

श्री चरणसिंह—

लेकिन जो नुकसान हो गया, उसका क्या इलाज है, उसका क्या होगा ? आप जो कुछ कहते हैं उसका बड़ा भारी प्रभाव होता है। अखबारों में तो आ गया कि एक्शन आफ दि मिनिस्टर कंसर्न्ड वाज मोस्ट आब्जेक्शनेबिल, जो हरगिज भी आपकी मंशा नहीं थी । जिस पद पर आप आसीन हैं, उससे जो भी कुछ कहा जाता है उसका इस मिनिस्ट्री पर, इस हाउस पर और उसके हर मेम्बर के काम पर बड़ा भारी असर पड़ता है ।

अगर आपकी रूलिंग हो गयी है तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि उस पर आप पुनर्विचार करें । इसके अतिरिक्त हर रूलिंग रूलिंग भी नहीं होती । जैसे हाई कोर्ट के सब जजमेंट क्वोट नहीं किये जा सकते हैं। हाई कोर्ट उनके बारे में तय करता है कि कौनसी रूलिंग पब्लिश की जाय और कौन सी न की जाय । इस प्रकार से सब रूलिंग रूलिंग नहीं होतीं । इस प्रकार आप भी तय कर सकते हैं कि वह रूलिंग नहीं थी । वरना अगर आप यह तय करते हैं कि वह रूलिंग थी तो आप कृपया उसको रिवाइज करें । माननीय हुकुमसिंह, जी उपनेता सदन, यहां मौजूद हैं । उनकी ओर से भी मैं अपने इन विचारों को व्यक्त कर रहा हूं कि अगर आपकी यह रूलिंग है तो आप उसके लिये यह कह दें कि वह ऐसी रूलिंग नहीं है जो भविष्य में हम लोगों पर लागू है । अगर आप उस रूलिंग को बिलकुल सही समझते हैं और आगे के लिये हम लोगों पर बांइंडिंग होगी, तो आप रूल में अमेंडमेंट करने की बात सोचें ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, आपसे जो इस रूलिंग को बदलने का आग्रह किया गया है यह ठीक नहीं है । जो आपने व्यवस्था दी है, जहां तक प्रक्रिया नियमावली का संबंध है, जहां तक मैं समझता हूं, वह बिलकुल ठीक व्यवस्था है । हमारे माननीय मंत्री जी ने जो भारसाधक सदस्य की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शारदा भक्तसिंह]

व्याख्या पढ़कर सुनाई, उसमें यह भी बताया कि मंत्री शब्द का तात्पर्य क्या है । उन्होंने कहा "मंत्री" का तात्पर्य मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं "इसमें राज्य मंत्री" शब्द के बाद 'कामा' दिया गया है ; और उसके बाद लिखा गया है—"उप मंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें ।"

आपने निश्चित रूप से कह दिया कि ३ बार पुकारने पर भी माननीय जयराम वर्मा खड़े नहीं हुये और जब दूसरे सदस्य ने जाकर उन्हें वह कागज देकर कहा कि आप कुछ कह दें तब उन्होंन कहना आरम्भ किया । यह इससे नहीं माना जा सकता कि माननीय चतुर्भुज शर्मा ने पहले से उनको अथाराइज कर दिया था । अगर ऐसा होता तो वर्मा जी फौरन खड़े हो कर कहते कि उनकी ओर से मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं । उप मंत्री तब उस पर विचार करने को कह सकते हैं जब मंत्री उनको अथाराइज करें, सदस्य और उपमंत्री में उन्होंने कोई भिन्नता नहीं की है । उसमें लिखा है कि मंत्री का तात्पर्य "मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री, तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं" जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें । अगर उप मंत्री को मंत्री जी ने अथाराइज कर दिया था तब तो वह रख सकते थे । लेकिन, जैसा आपने कहा, जो व्यवहार उन का था और यहां तक कि जब नेता विरोधी दल ने विरोध में कहा कि वह नहीं पेश कर सकते उस समय भी वर्मा जी खड़े नहीं हुये । इससे यह निश्चित है कि जैसा श्री चतुर्भुज शर्मा ने कहा कि मैं कह कर गया था वह सही नहीं है क्योंकि जब उनसे दूसरे साहब ने जाकर कहा और कागज दिया तब वह खड़े हुये पहलें से खड़े नहीं हुये, उन्होंने जब कहा कि वह है नहीं, लाज बचाने के लिये आप ही कुछ कह दें" । इससे स्पष्ट है कि उनको किसी प्रकार से भी पहले से अथारिइज नहीं किया गया था । और उनके द्वारा किसी तरह से भी वह बिना अथाराइज किये हुये पेश नहीं किया जा सकता था । इसलिये आपकी जो व्यवस्था हो चुकी है वह ठीक है, उसको बदलने की कोई जरुरत नहीं है ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव आया है कि आप अपनी व्यवस्था को बदलें, मैं उसका समर्थन करता हूं । एक तो मंत्री की परिभाषा में, जैसा कि बताया गया उपमंत्री आता है लेकिन न भी आता हो तब भी मुझे आप कही एक व्वयस्था याद है जब आपने माननीय नेकराम शर्मा द्वारा आपत्ति उठाने पर कि यह मंत्री नहीं है और उन के पास लिखित अधिकार नहीं है, आपने व्वयस्था दी थी कि लिखित यदि न भी हो तब भी यदि वह कहते हैं कि मेरे को अधिकृत किया है तो उनका कहना मात्र काफी है । यदि ऐसी बात है और यदि आप कहना मात्र काफी मान चुके हैं तो सदन को स्थगित करने के पूर्व आपको पूछना चाहिये था कि वर्मा जी को इस तरह अधिकार प्राप्त है या नहीं, लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया । यह कहना कि आपने तीन बार बुलाया और इस पर भी कोई खड़ा नहीं हुआ, मुझे तो इसकी याद नहीं है, हो सकता है आपने पुकारा हो लेकिन यह सत्य है कि उस समय वर्मा जी खड़े हो चुके थे और उसके बाद आपने सदन को स्थगित किया था....

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि इसका क्या तात्पर्य है कि मंत्री में और भार–साधक सदस्य में कोई अन्तर है या नहीं । ठीक है, काफी हो गया आपने कह दिया कि आप समर्थन करते हैं । कार्यस्थगन की बात दूसरी है ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यहां पर तीन बातें कही गईं । एक तो यह कि आपने वर्मा जी को तीन बार बुलाया और वह नहीं खड़े हुये और पेश कौन कर सकता है इस पर भी चौधरी साहब ने काफी दलील पेश की हैं लेकिन आपने कहा कि नहीं पेश कर सकते.....

श्री अध्यक्ष--

उस पर आप न जाइये, उस पर श्री चरण सिंह जी काफी कह चुके हैं....

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, बात कहने से पहले थोड़ी भूमिका आरम्भ होती है, वह मैं अभी कह रहा हूं। बिना एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स के ५ बिल पास हो गये....

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल इस समय नहीं है, आप कृपा करके इसी विषय पर बोलें। अगर व्यवस्था के प्रश्न पर आप बोलना चाहते हैं, तो बोलिये।

श्री नेकराम शर्मा--

आपने व्यवस्था दी है। जो आप व्यवस्था देते हैं, श्रीमन्, उसका इफैक्ट होता है।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, जहां तक मैम्बर इन्चार्ज का सवाल है, माननीय शारदाभक्तसिंह ने एक बड़ी दलील दी है। इसकी अंग्रेजी की प्रतिलिपि में लिखा हुआ है कि...

श्री अध्यक्ष--

अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में पढ़िये।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आप भी तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं।

"Minister" means a member of the Council of Ministers and includes a Minister of State, a Deputy Minister and any Member of the Assembly to whom such Minister may delegate any function."

श्री अध्यक्ष--

डैलीगेशन की ही तो बात है।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, डैलीगेशन की बात गलत है। श्रीमन्, आपने कहा था कि वह लिख कर दे दें। एक दिन माननीय बंशीधर पांडेय किस आधार पर यहां बोलें, मैंने आपत्ति उठाई। आपने कहा वे पेश कर सकते हैं। आपने उस दिन कहा था कि माननीय माल मंत्री ने कह दिया था। तो माननीय वर्मा जी भी तो डिप्टी मिनिस्टर हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं सिर्फ आपसे यह निवेदन करता हूं कि जो प्रश्न उठा है वह सिर्फ यह है कि नियम १३४ के अन्तर्गत माननीय उप मंत्री बोल सकते हैं अथवा नहीं। जहां तक माननीय चरणसिंह जी ने बहस रखी है उसको मैं अस्वीकार करता हूं। कारण उसका बता दूं। नियम १३४ में हिन्दी प्रतिलिपि में यह लिखा हुआ है कि "उपरान्त भार-साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा" अंग्रेजी की प्रति में यह दिया हुआ है "औन दि मेम्बर इन्चार्ज मे मूव"। तो भार-साधक सदस्य का भ्रम उत्पन्न हो गया। तो इस वजह से उस वक्त मेरा खयाल यह हुआ कि और कोई महानुभाव प्रस्तुत नहीं कर सकता लेकिन अंग्रेजी और हिन्दी की प्रतियों को देखते हुये वस्तुतः यह पोजीशन नियम १३४ में ऐसी प्रतीत होती है कि उसका भार-साधक सदस्य ही प्रस्ताव कर सकेगा। लेकिन जहां तक उसमें सारे मंत्रियों के शामिल होने का सवाल है.....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, तो आप अपनी व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो शोर मचाने लगते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया आप न बोलिये।

श्री उग्रसेन—

यदि हम आप पर आक्षेप नहीं कर सकते हैं तो आप भी हम पर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं बोल रहा हूं तो आप हल्ला कर रहें हैं। अब सिर्फ प्रश्न यह है कि मैंने उस दिन इस आदरणीय सदन को किन परिस्थितियों में स्थगित किया था। उन परिस्थितियों को बताते हुये मैंने सदन का ध्यान नियम १३४ की ओर आकृष्ट किया है और यह कहा है कि भार-साधक सदस्य किन परिस्थितियों में प्रस्ताव ला सकता है। हिन्दी और अंग्रेजी की प्रतियों को देखते हुये यह स्पष्ट है कि नियम १३४ का मन्तव्य विधेयकों से है। वह विधेयक के अध्याय में है और उस अध्याय में होने के कारण भार-साधक सदस्य का मतलब विधेयक भार-साधक सदस्य समझा जायगा और उसमें पहला ही वाक्य यह है कि विधेयक भार-साधक सदस्य का तात्पर्य सरकारी विधेयक के संबंध में किसी मंत्री से है और मंत्री में उप मंत्री आ जाते हैं। इस वजह से वह विषय समाप्त होता है।

श्री बृजभूशणशरण—

मान्यवर, मैं व्यवस्था के संबंध में कुछ नहीं कह रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आइन्दा को इसी किस्म की बात न हो जाय, दरअसल यह आपकी महानता है, आपका इंटरप्रिटेशन 'भार-साधक सदस्य' पढ़ने की वजह से गलत हो गया। अगर 'विधेयक भार-साधक सदस्य' नियम १३४ में होता तो यह इन्टरप्रिटेशन न होता। इस-लिये उचित यह होगा कि रूल १३४ में 'भार-साधक सदस्य' की जगह 'विधेयक भार-साधक' सदस्य लिखा जाना चाहिये।

लखनऊ में हुए "अलीगढ़ विश्वविद्यालय पुरातन छात्र संघ सम्मेलन" से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अलीगढ़ के संबंध में जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, तो आज शाम को उस विषय पर बहस हो रही है इसलिये उसमें ले लीजियेगा।

बड़ी गण्डक नदी के पानी के दबाव के कारण छितौनी बांध के टूट जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन ने दिया है जिसको मैंने नियम ५२ में स्वीकार किया है वक्तव्य के लिये। वह इस प्रकार है : "दिनांक ७ अगस्त को गंडक नदी की बाढ़ के बचाव हेतु

निर्मित छितौनी बांध पर बड़ी गंडक के पानी का ज्यादा दबाव पड़ा उसके रक्षार्थ विभाग की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी, जिसके कारण रात को बांध टूट गया और उस क्षेत्र के पचासों गांव में पानी भर गया है जिससे वहां की जनता का जीवन संकटापन्न स्थिति में है।

माननीय मंत्री जी इस पर वक्तव्य कब देंगे ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

१७ तारीख को देंगे। इस बीच में इन्तजाम वहां करा देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जरा मंत्री जी बता दें कि उसके रक्षार्थ क्या काम कर रहे हैं। उसका फूटन तो तुरन्त बन्द करने की आवश्यकता है।

कानपुर स्थित म्योर मिल के अनिश्चित काल के लिए बन्द करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय हिम्मतसिंह, नाथूराम शिक्षक और साथ ही श्री शिवनाथसिंह का एक प्रस्ताव म्योर मिल्स के सम्बन्ध में है।

"प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर स्थित म्योर मिल के प्रबन्धकों द्वारा अकस्मात मिल अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिये जाने के कारण तीन पालियों में काम करने वाले लगभग ६,५०० मजदूर बिल्कुल बेरोजगार हो गये हैं।"

माननीय मंत्री जी इसके सम्बन्ध में कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

१७ तारीख को वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब चूंकि नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, अतः शेष सभी अस्वीकृत।

लखनऊ में हुए "अलीगढ़ विश्वविद्यालय पुरातन छात्र संघ सम्मेलन" से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें—(क्रमागत)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैं अपने कामरोको प्रस्ताव के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचीन छात्रों के नाम पर यहां लखनऊ में एक मुसलिम सम्मेलन हुआ और उसमें नाम केवल प्राचीन छात्रों का था। उसमें साम्प्रदायिकता का विष वमन किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई लाभ नहीं है। आप उस वक्त उसका भी उल्लेख कर सकते हैं, यह उसी से सम्बन्धित है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

जितने नियम ५२ के अन्तर्गत आये हैं उनको सम्बन्धित मंत्री जी को तो भेज ही दें।

श्री अध्यक्ष---

सूचनायें सब मंत्रियों के पास चली जायंगी। नियम ५२ की सूचना पर जो नोट मैंने लिखा है उसे आप देख लें।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---

यहां दूसरे प्रदेश के लोग आयें और लूटें, तो कम से कम मेरे प्रश्न को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में ही ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

यहां वायदा नहीं कर सकता। आप आइयेगा तो देखा जायगा।

चपरासियों व सचिवालय के कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने से संबंधित राजाज्ञाओं के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

सदन को यह ज्ञात है कि यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश को एक बड़ी योजना कार्यान्वित करना है, तो हमें अपने साधनों को अधिक मात्रा में बढ़ाना अनिवार्य है और जो सीमित साधन उपलब्ध हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक है। इसका एक तरीका यह है कि प्रशासन व्यय को अधिक न बढ़ने दिया जाय और बड़ी योजना भी कम से कम प्रशासकीय व्यय से चलाई जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार हर एक स्तर पर मितव्ययिता की चेष्टा कर रही है। प्रयत्न यह है कि अनुत्पादक मदों पर व्यय न किया जाय। यह समझा जाता है कि इस समय जो अर्दली, चपरासियों पर व्यय हो रहा है वह अधिकतम अनुत्पादक है व उसमें कमी हो सकती है। साथ ही साथ यह भी कहना आवश्यक है कि मितव्ययिता अर्दली, चपरासियों के अलावा हर प्रकार के पदों पर की जा रही है।

हाल ही में जो सरकारी आदेश गये हैं उनके अनुसार इस समय जो अर्दलियों की स्वीकृत संख्या है उसको ५० प्रतिशत घटाया जायगा बशर्ते कि एक दफ्तर के अब दो अफसरों के बीच में कम से कम एक चपरासी रहेगा। जितने भी अर्दली चपरासी अधिक पाये जायंगे उनको नौकरी से नहीं निकाला जायगा परन्तु जो भविष्य में रिटायरमेंट आदि के कारण या चौथी योजना के अन्तर्गत योजनाओं के विषय में पद निकलेंगे उनमें उनको ले लिया जायगा। किसी अर्दली, चपरासी की छटनी का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सही है कि सरकार ने १५ अगस्त तक यह चाहा है कि जो ऐसे अर्दली, चपरासी हैं जिनको और पदों पर लेना है उनकी एक सूची ज्येष्ठता के आधार पर बना दी जाय। साथ ही साथ उस समय तक जब तक इन अर्दली, चपरासियों को दूसरी नौकरियां न मिल जायं, नई भर्ती बन्द कर दी जायं। इन चपरासियों को दूसरी नौकरी दिलाने का काम एम्पलायमेंट एक्सचेंज डायरेक्ट ट्रेनिंग एंड एम्पलायमेंट द्वारा किया जायगा व जहां तक सम्भव होगा चपरासियों को उसी जिले व उसके पास के जिले में काम दिलाया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, सदन को यह ज्ञात है कि हम अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना अधिक से अधिक बड़ी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सफलता प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि हम अपने साधनों को बढ़ायें और अनावश्यक तथा अनुत्पादक व्यय को अधिक से अधिक कम करें। इसलिये कोशिश यह की जा रही है कि प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता की जाय ताकि योजना का आकार चाहे बड़ा हो जाये किन्तु प्रशासकीय व्यय उस अनुपात से न बढ़े। सरकार ने मितव्ययिता कई मदों में की। सचिवालय के कार्य बोझ को देखते हुये एक यह भी निर्णय लिया कि प्रवर वर्ग सहायक के कार्य के परिमाण को १० प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है और इससे यह भी उम्मीद थी कि कार्यक्षमता भी कुछ बढ़ेगी। इस कार्य परिमाण बढ़ाने की वजह से प्रवर वर्ग सहायकों में १० प्रतिशत कमी होना आवश्यक हो गया। बाकी जो कर्मचारी हैं उनका कार्य बोझ प्रवर वर्ग सहायक के कार्य बोझ से संबंधित है। इसलिये उनकी स्वीकृत संख्या में भी १० प्रतिशत कमी करना उचित समझा गया; साथ-साथ अफसरों की संख्या भी दस प्रतिशत घटाई जा रही है।

इन कमियों के कारण किसी कर्मचारी की सेवायें समाप्त नहीं की जायेंगी। न कोई छटनी होगी। आइन्दा जो रिक्तियां रिटायरमेंट आदि द्वारा या चौथी परियोजना के अन्तर्गत होंगी, उनमें इन लोगों को खपा लिया जायगा। जब तक यह रिक्तियां नहीं होती हैं तब तक यह लोग पूर्ववत काम करते रहेंगे।

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एस.दो./बीस.ई–१–६५, दिनांक ३० अप्रैल, १९६५, में केवल १० प्रतिशत कर्मचारी कम करके बताया गया था कि किस शाखा में कितने अधिक कर्मचारी हैं। वह संख्या अन्तिम नहीं है और कार्य परिमाण के अनुसार कार्य अध्ययन करने के बाद हर विभाग के कर्मचारियों की उचित संख्या तय की जायगी। अधिक व्यक्तियों से भविष्य की रिक्तियां भरी जायेंगी।

(इस समय १ बज कर ४९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५७ में ढाई रुपये की चपरासियों की बढ़ोत्तरी की गई तो छटनी २५ प्रतिशत हुई, १९६० में---रुपये बढ़ी तो छटनी १० प्रतिशत हुई, १९६४ में ५ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई तो छटनी दस प्रतिशत हुई और अब, श्रीमन्, १९६५ में, जब अभिनवीकरण समिति ने तीन रुपये की बढ़ोत्तरी की है, तो ५० प्रतिशत यानी ११ हजार चपरासियों की छटनी हुई है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही यह सब कार्य हुआ है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, इसमें छटनी का तो कोई सवाल नहीं है बल्कि मापदंड यह रखा है कि जितने चपरासी इस समय काम कर रहे हैं वे करते रहेंगे और आइन्दा जहां आवश्यकता होगी वहां वे लगाये जायंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो इतने सचिवालय के कर्मचारी और चपरासी निकाले जायेंगे उससे कितने रुपये की बचत हो जायगी?

श्री उपाध्यक्ष--

वे कहते हैं कि निकालेंगे नहीं बल्कि जब जगहें होंगी उनको वहां रखा जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा--

इस तरह की कार्यवाही से कितनी बचत हो जायगी जिसे योजना में लगा सकेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, इसमें बचत का सवाल नहीं है। इस समय हर एक अफसर के पास एक एक चपरासी है। अब नियम यह है कि दो अफसरों के बीच में एक चपरासी रहेगा। इससे कितने आदमी सरप्लस होंगे, इसके आंकड़े अभी नहीं आये हैं। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वह ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिये और उसमें जहां तक सम्भव हो मितव्ययिता की जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अगर आपके पास सही आंकड़े नहीं हैं तो अन्दाज से बताइये कि कितने रुपये बच जायंगे? यह मेरा सवाल है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी चपरासियों को निकालने की बात नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि, जैसा आपने कहा कि प्रशासन व्यय में कमी करने के लिए चपरासियों और कर्मचारियों की छटनी का निश्चय किया है, इस प्रकार से कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे और उनके द्वारा प्रशासन में कितना व्यय घट जायगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रयास किया जा रहा है कि अफसरों और कर्मचारियों में भी कमी की जाय। कितना रुपया बच सकेगा, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं एक सैद्धान्तिक प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। हम समाजवाद के लिए प्लेज्ड हैं। अगर ११ हजार चपरासी चौथी योजना के सिलसिले में रिट्रेंच हों और उन्हीं को लगाया जाय तो ११ हजार आदमी नौकरी नहीं पा सकेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि पैसा बचाने के लिए कितने बड़ी तनख्वाह वाले चौथी योजना में रिट्रेंच किये जाने वाले हैं?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

हमारे प्रदेश में ८३ फीसदी सरकार के कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह २०० और उससे कम है। साढ़े ९३ फीसदी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह ३०० या उससे कम है। साढ़े ६ फीसदी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह ३०० से ऊपर और साढ़े ३ हजार रुपये तक है। तो साफ है कि जितना सेलरी बिल का भार है वह उन्हीं कर्मचारियों पर है जो तीन सौ से नीचे हैं। तो हम इस बात की कोशिश में हैं, करीब करीब साढ़े ६ लाख आदमी उत्तर प्रदेश की सरकार में नौकर हैं, उनका हम कोई रेशनलाइजेशन करें और चौथी योजना में ही नहीं, पांचवीं योजना में भी इन्हीं आदमियों से काम चले। टेक्निकल आदमियों को, जैसे मेडिसिन, साइंस इंजीनियरिंग के हों, उनको जरूर भर्ती करें। वरना इसी स्ट्रेन्थ से काम चलाएं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

यह सही है कि कोई आदेश ऐसा गया है कि दो कोर्ट के बीच में एक चपरासी रखा जाय, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्रियों ने भी यह फैसला कर लिया है कि कई मंत्रियों के बीच में एक चपरासी रखें? इसका भी निर्णय ले लिया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी मेरी सूचना नहीं है, कि दो कोर्ट में एक चपरासी होगा। लेकिन यह जरूर आदेश दिये गये हैं कि ऐसी छंटनी करें जिससे काम में नुकसान न हो और सम्भव हो तो दो आदमियों के बीच में एक आदमी रहे।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी ने चतुर्थ योजना के लिए साधन जुटाने के लिए ११ हजार को निकाल दिया, यह निकाला ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि छंटनी के मानी छंटनी। तो क्या मंत्री जी जितने उत्तर प्रदेश के अफसर हैं जो ६, ७ सौ से अधिक तनख्वाह पाते हैं सब की तनख्वाह घटाकर ६, ७ सौ कर देंगे जिससे चतुर्थ योजना के लिए काफी पैसा मिल सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अफसरों में भी कमी किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी जो उन्होंने कहा कि चपरासियों को हटायेंगे नहीं बल्कि उनको दूसरी जगह लगा दिया जायगा, तो क्या उनके सेवा काल पर और उनकी वेतन वृद्धि पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ?

श्री राममूर्ति--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, अभी जो मैंने अर्ज किया, उस पर गौर नहीं किया। पहले प्लान, दूसरे प्लान और तीसरे प्लान के अन्दर जितने विकास कार्य हुए उनमें सर्विसेज भी काफी बढ़ीं। हम इस कोशिश में नहीं हैं कि किसी को उसकी रोजी से हटा दें। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि जो आगे प्लान का एक्सपेंशन हो उसमें जितने लोग हमारी सर्विसेज में हैं उन्हीं को उनमें लगा दें, किसी को निकालें नहीं। जहां तक आफिसरों की बात है, उनकी संख्या भी घटायी गयी है। सेक्रेटेरिएट के अन्दर ही ३५० आफिसरों में से १० परसेंट कम कर दिये गये हैं। ऐसी बात नहीं है कि आफिसरों को घटाया नहीं गया है। हर स्तर के ऊपर कर्मचारियों की संख्या घटायी गयी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी जो उन्होंने कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाने के लिये मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, तो इसी सदन की प्राक्कलन समिति ने जो मितव्ययिता के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं सरकार को, खासतौर से सेक्रेटेरिएट के बारे में कि हमारे सचिवालय में आफिसरों की अनावश्यक रूप से बहुत बड़ी फौज है, जैसे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंण्डर सेक्रेटरी की, इनमें से बहुत से पदों को तोड़ देना चाहिये, तो क्या सरकार समिति की उस सिफारिश के अनुसार इन पदों में मितव्ययिता करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

जैसा कि हमारे मित्र यादव जी ने फरमाया--उस कमेटी की सिफारिशों का ही वह एफेक्ट है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही यह सब काम किया जा रहा है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि ज्यादातर संख्या उन लोगों की है जिनको २०० रुपये से कम तनख्वाह मिलती है, कदाचित् उनकी मंशा यह है कि उनको छटनी में न रखें तो फाइनेंस पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या सारे कर्मचारियों के वर्कलोड को एग्जामिन करके और उनका सूक्ष्म परीक्षण करके यह हिसाब लगा लिया गया है कि कहां-कहां काम बढ़ाया जायगा और कहां-कहां काम घटाया जायगा ? आप इस तरह का कोई वातावरण पैदा करना चाहते हैं तो क्यों नहीं इसको नीचे से शुरू करने के बजाय ऊपर से ही शुरू करें ?

श्री राममूर्ति—

ऐसा ही किया जा रहा है। एकोनामिक कमेटी की सिफारिशों के ऊपर प्रदेश भर के हर डिपार्टमेंट विचार कर रहे हैं और वे देख रहे हैं कि उनके यहां कितने आफिसर या कर्मचारी अधिक हैं, यह नहीं है कि किसी को हटा दिया जाय। हर डिपार्टमेंट विचार कर रहा है कि कितने कर्मचारी रखे जायें और कितने बाकियों को दूसरी जगह भेजा जाए।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के ऊपर आधारित जो राजाज्ञायें निकाली गयी हैं, उनमें किस सिद्धान्त का पालन किया गया है जिसके कारण छोटी तनख्वाह वाले लोगों पर ही प्रभाव पड़ा है, बड़ी तनख्वाह वालों पर नहीं ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री जगन्नाथ राव—

मितव्ययिता की दृष्टि से जो पग आपने उठाया है, उसके अन्तर्गत क्या सरकार छोटे कर्मचारियों से पूर्व बड़े कर्मचारियों की छंटनी के प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है ?

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा अर्ज करूं कि छटनी नहीं की जा रही है। चपरासियों से हमें भी उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि उग्रसेन जी या अन्य सभी माननीय सदस्यों की है लेकिन रेशनलाइजेशन के हिसाब से काम करना ही पड़ता है।

श्री झारखण्डेराय—

मैंने पूछा था कि वेतन अभिनवीकरण समिति की राय के सिलसिले में जो राजाज्ञाएं जारी की गयी हैं उनमें किस सिद्धान्त का पालन किया गया है जिसकी वजह से रिट्रेंचमेंट का प्रभाव कम वेतन वालों पर पड़ा है और उसके मुकाबले में बड़ी तनख्वाह पाने वालों पर कम या बिलकुल नहीं पड़ा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बारबार साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि कोई भी कर्मचारी हाटाया नहीं जा रहा है और जब उनको दूसरी जगह न दे दी जाय वे अपनी जगह पर काम करते रहेंगे। कमी एक आदमी की नहीं की जायगी, हां जो नये आदमी रखने थे वह अब नहीं रखेंगे। केवल इतनी बात है।

श्री उग्रसेन—

हमारे पास दो जी० ओ० हैं। एक पांडेय जी का ४,१६६ ह ६ फरवरी का जिसमें २०५ निकालने का और दूसरा दास साहब का है २ नम्बर का और इन दोनों में लिखा हुआ है पहले तो मुझे उनके अंग्रेजी में होने पर ही एतराज है किन्तु उनका अनुवाद है हिन्दी में कि २०५ और ११ हजार कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त घोषित किये जायेंगे। मन्त्री जी यहां बयान देते हैं कि छंटनी नहीं हो रही है, यथास्थिति कायम रहेगी। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि ये जो अराजपत्रित कर्मचारी अतिरिक्त घोषित किये जायेंगे, उससे उनकी सेवा शर्तों, सीनियारिटी, ेशन, ग्रैचुइटी और उनकी अर्जित कमाई के नियम और सिद्धान्त बदलने नहीं दिये जायेंगे।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

न मालूम आप यह १० हजार की बात कहां से ले आये। यह सूचना हमारे पास नहीं है। हमने आपसे निवेदन यह किया कि अतिरिक्त घोषित करने का मतलब यह है कि इन आदमियों

को दूसरी जगह एम्प्लायमेंट सरकार से मिलना चाहिए। ये लोग अपनी जगह उस समय तक काम करते रहेंगे जब तक उन को दूसरी जगह काम न मिल जाय। यह निश्चय किया गया है कि १० फी सदी जो अतिरिक्त घोषित किये जायेंगे उनको आगे जो जगह खाली होंगी उन पर रखा जायगा। इनकी लिस्ट बनायी जायगी और जहां पर जगह होती जायगी उनको रखा जायगा। इनको निकाला नहीं जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इनकी सीनियारिटी वगैरह ऐसे ही रहेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो डिटेल की वर्किंग है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में यह कहा कि यह आदेश दिया गया है कि २ अफसरों के बीच में एक चपरासी रहेगा। इस तरह का आदेश हर जिले में चला गया है। कल मैं कचेहरी में था तो वहां पर ऐसा आदेश चला गया है कि २ अफसरों के बीच में एक चपरासी रहेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इजलास में काम करने वाले अधिकारी हैं उनके इजलास अगर एक साथ चलते हैं तो उन दोनों के बीच में चपरासी किस तरह काम कर सकता है। यह अव्यावहारिक है और इस तरह से उनका काम नहीं चलेगा। तो जो जी० ओ० भेजा गया वह अव्यावहारिक है। सरकार को इस सवाल पर फिर विचार करना चाहिए ताकि इस का अव्यावहारिक रूप दूर हो जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने सबसे पहले यह कहा कि जितनी भी छटनी हो रही है उसके लिए कह दिया गया है कि एफिशियेन्सी में कोई फर्क न आये। कुछ बचत हो जाय इस बात को ध्यान में रखकर छटनी की जा रही है। एक अर्दली होता है और दूसरे आफिस पीयून होता है। जो दफ्तरों में अर्दली हैं उनमें भी छटनी करने की बात है। अगर किसी दफ्तर में ५, ६ आदमी काम करते हैं तो वहां पर एक चपरासी से काम चल सकता है, लेकिन जहां कहीं भी ऐसा है कि एफिशियेंसी में फर्क पड़ने वाला है तो वहां इस तरह की छटनी नहीं होगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब छटनी की जायगी, तो खास कर बड़े अफसरों, ऊंची तनख्वाह पाने वालों के पास दो, तीन, चार अर्दली घर का काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, या और कामों के लिए रहते हैं, उनमें कमी की जायगी अथवा नहीं ताकि काम उन का भी ठीक से चलता रहे ?

श्री राममूर्ति—

हमारे माननीय सदस्य ने बड़ा व्यंग खींचने की कोशिश की, लेकिन सदन के लोग समझ नहीं पाये। उपाध्यक्ष महोदय, दो मर्तबा इस बात पर जोर दिया गया कि जितने भी पीयून्स और आर्डरलीज हैं उनमें जहां यह समझा गया है कि वे जरूरत से ज्यादा हैं उन को नहीं रखा जायगा, जब तक काम नहीं चलेगा तब तक वह रहेंगे। यह आप की इच्छा की पूर्ति के लिए ही किया जा रहा है। पहले मिनिस्टर के पास चार चपरासी होते थे, अब तीन ही रहते हैं। जरूरत होगी तो दो कर दिये जायेंगे।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं आपकी सूचना के लिए बतला दूं कि आई० जी० पुलिस के पास १९८ अर्दली सिपाही हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो चपरासी दूसरे विभागों को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा दिये जायेंगे, उनमें यदि किसी चपरासी की सर्विस आपके यहां २० साल की है तो नये विभाग में क्या उसकी नौकरी शुरू से मानी जायगी और उस पर ५८ साला का नियम लागू होगा अथवा नहीं? उतने दिन की सर्विस उसकी सर्विस में मानी जायगी या नहीं जितनी कि वह कर चुका है?

श्री राम मूर्ति--

उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात के लिए समय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक साधारण उसूल है कि जो आदमी निकाले जायेंगे वे सीनियारिटी के बेसिस पर निकाले जायेंगे। जिसकी सर्विस सबसे कम होगी, वह सब से पहले निकाला जायगा और उसके बाद उससे ज्यादा सर्विस वाला निकाला जायगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने आदमी आप एक महकमें से हटा कर दूसरे महकमें में भेजेंगे उनको आप एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये भेजेंगे और इसका मतलब यह है कि उनकी सर्विस अज सरे नो मानी जायगी? तो क्या पुरानी सर्विस के आधार पर उनको ग्रेचुइटी आप उनको देंगे और जब उनकी नयी सर्विस काउन्ट करेंगे तो उनको ५८ साला से एक्जेम्पशन देंगे या नहीं?

श्री राममूर्ति--

यह बहुत व्योरे का सवाल है। इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

जैसे पहली अगस्त से यह अतिरिक्त कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, तो इन अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हमारे पास तो उतनी ही खबर है जितनी कि आपने मांगी थी। अब और अगर कुछ आप सूचना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस चाहिए। जो अतिरिक्त घोषित किया गया है उसका मतलब यह नहीं है कि वे निकाल दिये जायेंगे, वे काम करते रहेंगे, (व्यवधान)।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अतिरिक्त छंटनी की बात कही जा रही है उसमें कलेक्टर, कमिश्नर और डाइरेक्टर वगैरह भी आते हैं या नहीं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जो प्रश्न पूछा गया था उसकी ही सूचना मेरे पास इस समय है। कलेक्टर्स के बारे में अलग से सवाल कर लीजिये, उसका जवाब आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह समाप्त हुआ (व्यवधान)।

सदन का परिवर्तित कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे एक सूचना देनी है। पहले जन्माष्टमी की छुट्टी २० अगस्त को घोषित की गयी थी, अब २० के स्थान पर १९ अगस्त की जन्माष्टमी की छुट्टी होगी और जो कार्य-क्रम १९ तारीख के लिए था वह २० को होगा। १३ तारीख को असरकारी दिवस होगा।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अभी मैं प्रोग्राम बतलाऊंगा, उसमें, श्रीमन्, १३ तारीख की छुट्टी रहेगी, उसके सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल की भी सहमति मिल चुकी है (व्यवधान) ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हमसे १३ तारीख के लिये कोई समझौता नहीं हुआ है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, १३ तारीख की छुट्टी का प्रस्ताव पहले माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने ही पेश किया था और मैंने उसको मान लिया क्योंकि मैं अपने अन्य साथियों की भावनाओं का भी खयाल करता हूं, अनादर नहीं करता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि १३ अगस्त को छुट्टी कर दी जाय।

श्री राममूर्ति--

सरकार को इस में कोई एतराज नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस सप्ताह का प्रोग्राम यह रहेगा कि १०, ११ को बढ़ती हुई मंहगाई तथा आवश्यक वस्तुओं के भावों के सम्बन्ध में चर्चा, १२ तारीख को रक्षाबन्धन की छुट्टी तथा १३ को निश्चित कर दिया है कि सदन की छुट्टी रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

बाकी प्रोग्राम वैसे ही रहेगा।

महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर में हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत का वक्तव्य

मुख्य मन्त्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

उपाध्यक्ष महोदय, महेश्वरी देवी जूट मिल्स कं० लि०, कानपुर, ने अपने स्पिनिंग व प्रीप्रेटरी विभाग में अगस्त, १९६४ से आधुनीकरण करने का मन्तव्य व्यक्त किया। इस प्रस्तावित आधुनिकीकरण से कुछ श्रमिक कार्य की आवश्यकता से अधिक हो जाने वाले थे और अन्य श्रमिकों को जिन्हें कि नयी मशीनों पर कार्य करना था उनके वेतन को तय करने का प्रश्न उठ पड़ा हुआ अतएव, श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर के समक्ष दिनांक २०-८-६४ को श्रमिकों व प्रबन्धकों के मध्य एक समझौता कराया गया जिसमें कि उक्त दोनों प्रश्नों को हल किया गया।

इस समझौते के पैराग्राफ संख्या ६ में यह तय हुआ कि जिन श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रहेगी और जो दूसरे काम पर जाना पसन्द नहीं करेंगे उनके विषय में यह समझा जायगा कि उन्होंने स्वतः इस्तीफा दे दिया है और उनके समस्त पावने ३० अक्तूबर, १९६४, तक दे दिये जावेंगे। उक्त पावने में श्रमिकों को सवेतन छुट्टी का पावना, अन्य कानूनी पावने तथा उनकी प्रति वर्ष की नौकरी पर १५ दिन के वेतन जैसा कि उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद कानून की धारा ६ एन० में दिया गया है दे दिया जायेगा। इसी तारतम्य में यह भी तय हुआ कि यह श्रमिक उस समय तक प्रतिष्ठान की नौकरी में रहेंगे जब तक कि उन्हें उनका समस्त पावना नहीं दे दिया जायेगा और उस अवधि में उन्हें इसका औसत वेतन मिलता रहेगा।

उक्त समझौते के आधार पर लगभग १३८ श्रमिकों ने स्वतः इस्तीफा दे दिया किन्तु प्रबन्धकगण ने उक्त समझौते के अनुसार केवल १३ श्रमिकों को भुगतान दिया, शेष १२५ श्रमिकों का भुगतान करने में असमर्थ रहे। जब श्रमिकों को समझौते के अनुसार उनका भुगतान नहीं मिला, तब पुनः नवम्बर, १९६४, में श्रमिकों में अशान्ति उत्पन्न हुई। प्रबन्धकों ने इस पर

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

पुनः २ नवम्बर, १९६४, को एक नोटिस लगाकर यह आश्वासन दिया कि वे उक्त तिथि से २ सप्ताह के अन्दर शेष इस्तीफा देने वाले श्रमिकों का पूरा हिसाब दे देंगे और श्रमिकों से प्रार्थना की कि वे इस अवधि तक लगन के साथ कार्य करते रहें ।

इसके उपरान्त प्रबन्धकों ने पुनः ऊपर दिये गये अपने आश्वासन का पालन नहीं किया और इसलिए पुनः श्रमिकों का आन्दोलन हुआ और दिनांक १६–११–६४ से श्रमिकों ने कार्य करना बन्द कर दिया तथा बठे-रहो हड़ताल कर दी । इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए पुनः दोनों दलों में दिनांक १८–११–६४ को एक आपसी समझौता हुआ । इस समझौते में प्रतिष्ठान के उत्पादन के वितरक व महाजन एक श्री मांगी लाल ने भाग लिया और समझौता पर हस्ताक्षर प्रतिष्ठान के मैनेजर श्री ओ०पी० अग्रवाल तथा कुछ श्रमिकों की ओर से कानपुर मजदूर यूनियन (ए० आई० टी० यू० सी०) के सभापति श्री घनश्याम शरण सिनहा ने हस्ताक्षर किये। इस समझौते के बाद पुनः दिनांक १८–११–६४ के दोपहर को २ बजे से कार्य प्रारम्भ हुआ। समझौते की पहली शर्त थी कि प्रबन्धकगण इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के समस्त पावने दिनांक १ दिसम्बर, १९६४, तक दे देंगे और शेष ८७ श्रमिकों के भुगतान जब तक न कर देंगे तब तक वे उन मशीनों पर उस समय तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि मशीनें चलती रहें या भुगतान न दे दिया जाय ।

इस समझौते द्वारा प्रबन्धकों ने केवल ३८ श्रमिकों को ही भुगतान किया, शेष ८७ श्रमिकों का भुगतान पुनः नहीं किया और इस प्रकार यह समझौता भी प्रबंधक पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं कर सके। जब प्रबन्धकों ने ३१ दिसम्बर, १९६४, तक इन शेष ८७ श्रमिकों का भुगतान नहीं किया तो श्रमिकों में पुनः असन्तोष फैला, और कुछ श्रमिकों ने दिनांक १–१–६५ से कार्य बन्द कर दिया। इस प्रकार इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए दोनों दलों को बुलाकर पुनः वार्ता की गयी और दोनों दलों में एक पुनः समझौता प्रति श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र, के कार्यालय में हुआ। उक्त समझौते में यह तय हुआ कि शेष ८७श्रमिकों में से ७० श्रमिकों के पावने प्रबन्धक प्रतिमास ७ व्यक्तियों के हिसाब से कर देंगे और भुगतान पाने वाले श्रमिकों की एक तालिका भी बना दी गयी। शेष १७ श्रमिकों के बारे में दोनों दलों में मतभेद था। प्रबन्धकों का कहना था कि इन १७ श्रमिकों ने अपना इस्तीफा वापिस ले लिया है और अन्य के काम करने की इच्छा प्रकट की है किन्तु श्रमिक संघ इसे नहीं मानता है अतएव इस प्रकार इन १७ श्रमिकों के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। इस समझौते पर प्रतिष्ठान के मैनेजर तथा डिप्टी मैनेजर एवं श्रमिकों की ओर से श्री एस० एस० यूसुफ तथा श्री बद्रीप्रसाद ने हस्ताक्षर किये।

इस समझौते के अनुसार प्रबन्धकों ने जनवरी, फरवरी व मार्च, १९६५ को भुगतान पाने वाले श्रमिकों का कुल मिलाकर २५ व्यक्तियों का भुगतान किया और पुन : आगे भुगतान करना बन्द कर दिया। पावना न मिलने पर श्रमिकों में पुनः बेचैनी हुई और उन्होंने प्रबन्धकों के पास पावना देने की प्रार्थना की किन्तु प्रबन्धकों ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि वे उक्त समझौते से बाध्य नहीं हैं और किसी समझौते के अन्तर्गत कोई पावना देने के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। प्रबन्धकों के इस रुख के कारण श्रमिकों में अत्यधिक बेचैनी बढ़ गयी।

इसी अवधि में प्रबन्धकों ने १३ स्पिनर्स को दिनांक १७ व १९ जुलाई, ६५ को इस आशय का अभियोग पत्र दिया कि उन्होंने कम कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है अर्थात् १० स्पैन्डिल्स चलाने के स्थान पर वे ८ स्पैन्डिल्स चला रहे हैं और ये जांच के दौरान में सरसरी तौर पर ४ दिन के लिए निलम्बित कर दिये गये। यह सभी वे कर्मचारी हैं जिनका भुगतान ८–१–६५ के समझौते के अनुसार होना था अथवा हो जाना चाहिए था । दूसरी ओर से श्रमिकों का कहना था कि वे उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि वे सदैव से करते चले आ रहे हैं और उन्होंने काम म किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की है। अभी तक इन अभियोग पत्रों की जांच प्रबन्धकों ने नहीं की है, अतएव वास्तविकता का पता नहीं चल पाया है ।

दिनांक २३–७–६५ को उक्त निलम्बित कर्मचारियों में से एक श्री सुखराम, जिन्हें कि अप्रैल, १९६५ में पावना मिल जाना चाहिए था, ने प्रबन्धकों से बार-बार प्रार्थना की कि उनको पावना दे दिया जाय, किन्तु प्रबन्धकों द्वारा कोई आश्वासन न मिलने के कारण वे प्रतिष्ठान की पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गये और वहां से चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगे कि यदि उन्हें अपना पावना नहीं दिया जावेगा तो वे टंकी के ऊपर से कूद कर आत्महत्या कर लेंगे। प्रबन्धकों ने इस पर स्थानीय पुलिस के उड़न दस्ते को बुलाया और उड़न दस्ते के आने पर श्रमिकों में अत्यन्त आतंक फैला तथा सभी श्रमिक बाहर निकल आये और प्रतिष्ठान में कार्य बन्द हो गया। इस के बाद से आज तक श्रमिकगण बैठे रहे और हड़ताल कर रहे हैं।

प्रति श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर द्वारा कई बार दोनों दलों में समझौता कराने का प्रयास किया गया। दिनांक २७ जुलाई, ६५, ३० जुलाई, ६५ तथा ३ व ४ अगस्त, ६५ को भी दोनों दलों से वार्तालाप की गयी। वार्तालाप के दौरान में श्रमिकों की ओर से निम्नलिखित ७ मांगें रखी गयीं :—

(१) १ जुलाई, १९६३ से जूट वेतन समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की जायं।

(२) सन् १९६२, १९६३ व १९६४ के वर्षों का बोनस वितरित किया जाय।

(३) श्रमिकों को स्थायी घोषित किया जाय।

(४) श्रमिकों के लिए ग्रैचुइटी की स्कीम बनायी जाय।

(५) जिन १३ श्रमिकों को हड़ताल के पूर्व अभियोग पत्र दिये गये हैं, उन्हें तुरन्त वापिस लिया जाय।

(६) जनवरी के समझौते के अनुसार जिन २८ श्रमिकों को ग्रैचुइटी अप्रैल, ६५ से जुलाई, ६५ तक मिल जानी चाहिए थी उन को भुगतान किया जाय।

(७) रविवार को काम लेने की प्रथा का अन्त किया जाय।

प्रबन्धकों की ओर से श्रमिकों की मांगों पर निम्नलिखित बातें कही गयीं :—

(१) जूट वेतन समिति की सिफारिशों को शासन से स्पष्टीकरण पाने के बाद लागू कर दिया जावेगा।

(२) सन् १९६२ का बोनस ३० सितम्बर, १९६५ तक जूट वेतन समिति की सिफारिशों के अनुसार बांट दिया जावेगा। सन् १९६३ व १९६४ के बोनस के प्रश्न पर इसके बाद आपस में विचार-विमर्श किया जावेगा।

(३) प्रतिष्ठान में केवल १,२०० श्रमिक कार्य करते हैं, जिस में लगभग ९५० श्रमिक स्थायी हैं। शेष श्रमिकों को अस्थायी रखने का प्रबन्धकों को पूर्ण अधिकार है अतएव वे स्थायी नहीं घोषित किये जा सकते हैं।

(४) किसी ग्रैचुइटी स्कीम बनाने के विषय में प्रबंधक विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

(५) श्रमिकों पर दिये गये अभियोग पत्र वापिस ले लिये जायेंगे, यदि श्रमिकगण प्रबन्धकों को लिखित आश्वासन देंगे कि जिस प्रकार से वे कार्य रहे थे वे कार्य करते रहेंगे।

(६) जहां तक इन २८ श्रमिकों को ग्रैचुइटी देने का प्रश्न है जिन्हें अप्रैल, ६५ से जुलाई, ६५ तक भुगतान हो जाना चाहिये था, प्रबन्धक भविष्य में प्रतिमास श्रमिकों को उनका पावना भुगतान करते रहेंगे।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

(७) रविवार को प्रतिष्ठान खुला रहेगा, यदि कोई श्रमिक कार्य पर नहीं आना चाहता है तो उसके विरुद्ध प्रबन्धक अनुशासन की कार्यवाही नहीं करेंगे। श्रमिकों की मांगों की वस्तुस्थिति इस प्रकार है:—

मांग संख्या १—

वेतन मंडल (जूट) की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित कराया गया है पर कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में कुछ दिक्कतें पैदा हुयीं, जिनका स्पष्टीकरण हो गया है और निकट भविष्य में इस स्पष्टीकरण के आधार पर दोनों पक्षों से वार्तालाप करने के पश्चात् उन सिफारिशों को अति-शीघ्र कार्यान्वित कराने का प्रयत्न किया जावेगा।

मांग संख्या २—

श्रमिकों की ओर से ३ साल के बोनस की मांग की गयी है। सेवायोजक एक वर्ष के बोनस का भुगतान ३० दिसम्बर, १९६५ तक कर देने के लिए सहमत हैं। कारखाने का वित्तीय वर्ष अक्टूबर से सितम्बर तक होता है। सन् १९६२ के बोनस का तात्पर्य वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के बोनस से हो सकता है। सेवायोजक बोनस बांटने के लिए तैयार हैं, वह उन के अनुसार वेतन मंडल (जूट) की सिफारिशों के अन्तर्गत पहला बोनस होगा, वेतन मंडल की सिफारिशें जुलाई, ६३ से लागू हुई हैं अतएव औद्योगिक बोनस १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष का होगा। इस प्रकार केवल १९६३–६४ वित्तीय वर्ष का बोनस जो देय हो चुका है, के देने का प्रश्न शेष रह जाता है जिसके सम्बन्ध में संवायोजक किसी प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। यहां पर एक प्रश्न यह भी उठ खड़ा हुआ कि बोनस वेतन मंडल (जूट) की सिफारिशों के अनुसार दिया जायेगा या बोनस अध्यादेश के अनुसार श्रमिकों की ओर से; इस बात की मांग की गयी है कि १९६३–६४ का बोनस अध्यादेश के अनुसार बांटना चाहिए, किन्तु सेवायोजकों के अनुसार अध्यादेश के अन्तर्गत प्रथम बोनस १९६४–६५ का होगा, जो कि सन् १९६६ में देय होगा जिसका कि अभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

मांग संख्या ३—

प्रतिष्ठान में लगभग १३०० श्रमिक काम करते हैं जिस में से केवल ९५० श्रमि स्थायी और शेष अस्थायी हैं। सेवायोजकों का कहना है कि ९५० से अधिक श्रमिकों को अब स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वेतन मण्डल (जूट) ने अपनी सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा है कि १ जनवरी, १९६३ को प्रतिष्ठान में काम करने वाले कुछ श्रमिकों की संख्या में कम से कम ८० प्रतिशत श्रमिकों को स्थायी किया जावेगा, और यह प्रतिशत २ वर्गों में बाट कर ८५ कर दिया जावेगा। ८० प्रतिशत के हिसाब से स्थायी श्रमिकों की संख्या लगभग वेतन मण्डल (जूट) की सिफारिशों के अनुकूल है परन्तु यह संख्या अभी तक ८५ प्रतिशत तक नहीं पहुंची है अतएव सेवायोजकों का यह कहना कि श्रमिकों के स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता, न्यायोचित नहीं है। श्रमिकों की ओर से इस विवाद के निराकरण के लिए यह भी सुझाव दिया गया है कि इस मसले को पंच निर्णय के लिए दे दिया जाय, परन्तु सेवायोजक उसके लिए तैयार नहीं हैं।

मांग संख्या ४—

ग्रैचुइटी स्कीम के सम्बन्ध में सेवायोजकों का निश्चित मत है कि वेतन मण्डल ने श्रमिकों की इस मांग को पूर्णतः निराधार पाया है अतएव किसी एक कारखाने के लिए ग्रैचुइटी स्कीम बनाने का प्रश्न नहीं उठता। वस्तुस्थिति इससे कुछ भिन्न है। वेतन मण्डल ने ग्रैचुइटी स्कीम की मांग को पूर्णतः निराधार नहीं पाया है, बल्कि उन्होंने इस के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है। दूसरी ओर श्रमिकों का कहना है कि कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग एवं अन्य कई उद्योगों में से ग्रैचुइटी स्कीम की मांग को सेवायोजकों की ओर

से स्वीकार कर ली गयी है और कई ग्रैचुइटी स्कीम चालू भी हैं। प्रान्त में एक दूसरे बड़े उद्योग चीनी के कारखाने में भी ग्रेचुइटी स्कीम लागू है अतएव कोई कारण नहीं है कि कानपुर के जूट उद्योग में ग्रैचुइटी स्कीम न लागू की जाय। श्रमिकों की ओर से ग्रैचुइटी स्कीम की मांग को भी पंच निर्णय में देने के लिए प्रस्ताव रक्खा गया परन्तु सेवायोजक इस प्रस्ताव को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

मांग संख्या ५--

सेवायोजक श्रमिकों की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

मांग सख्या ६--

जहां तक इस्तीफा दिये हुये श्रमिकों के ग्रेचुइटी के भुगतान का प्रश्न है, इस में कोई संदेह नहीं कि सेवायोजकों ने अपने किसी समझौते का ठीक तरह से प्रतिपालन नहीं किया है। प्रथम समझौते के अनुसार इस सब का भुगतान ३१ अक्तूबर, १९६४ तक हो जाना चाहिए था। इस अवधि में कोई भुगतान नहीं हुआ। पुनः जनवरी में इसी सम्बन्ध में एक दूसरा समझौता हुआ जिस के अनुसार ७० श्रमिकों को ७ श्रमिक प्रति माह के हिसाब से ग्रैचुइटी का भुगतान किया जाना चाहिए था। यह समझौता भी केवल तीन माह तक प्रतिपालन किया गया और उसके बाद अप्रैल मास से किसी भी श्रमिक को भुगतान नहीं किया गया। इसका कारण चाहे जो भी हो सेवायोजक समझौते के भंग करने की इस जिम्मेदारी से किसी प्रकार मुक्त नहीं किये जा सकते हैं। अब से ४ श्रमिक प्रतिमास के हिसाब से ग्रैचुइटी का भुगतान करने के लिए दूसरा वादा कर रहे हैं, जिस को कि श्रमिक मानने के लिए तैयार नहीं हैं, यदि इस प्रकार ४ श्रमिकों को प्रतिमाह भुगतान होता रहे तब भी ११ माह का समय पूर्ण भुगतान होने में अभी और लगेगा साथ ही श्रमिकों को इस बात का भी विश्वास नहीं है कि वह इस वादे पर भी सेवायोजक अगले ११ महीने तक अटल रहेंगे और सब का भुगतान हो जायगा। इस भुगतान में करीब १ साल का समय पूरा हो चुका है अतएव उचित तो यह होग कि काम से कम अवधि में में शेष ४५ श्रमिकों को ग्रेचुइटी का भुगतान कर दिया जाय। इसके लिए प्रति माह भगतान की संख्या ४ से कहीं अधिक बढ़ानी होगी। श्रमिकों की ओर से यह भी कहा गया कि यदि ७ श्रमिकों के हिसाब से प्रति माह पिछले अप्रैल, मई, जून और जुलाई में जिन श्रमिकों का भुगतान हो जाना चाहिए था, यदि उनका भुगतान अभी कर दिया जाय तो बाकी श्रमिकों के लिए प्रतिष्ठान की आर्थिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए वे ७ की संख्या कम करने के लिए तैयार हैं। सेवायोजक अपनी स्थिति इस प्रस्ताव को मानने की हालत में नहीं पाते हैं।

श्री उग्रसेन--

सेवा-योजकों ने समझौते तोड़े और मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या सक्रिय कदम उठाया ?

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

इसी के साथ मेरा सवाल यह है कि १५ दिन से काम बंद है लेकिन मालिक एग्रीमेंट नहीं मानते हैं। एक एग्रीमेंट में हम भी शामिल हैं। एग्रीमेंट हुए, लिखा पढ़ी हुई, रजिस्टर हुए, लेकिन मालिक कुछ नहीं मानते हैं। तो सरकार क्या कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बात सही है कि समय-समय पर जो समझौते हुए उन्हें सेवा-योजक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्यादातर उन्होंने उसे मना किया है। लेकिन स्ट्राइक इल्लीगल है। हम लोग इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह स्ट्राइक किसी तरह से लीगल हो। इल्लीगल स्ट्राइक के आधार पर हमारा भी हाथ बंधा रहता है। वस्तुस्थिति को देखते हुए सरकार इस बात को

[श्री बंशीधर पांडेय]

सोचती है कि सेवा-योजकों और मजदूरों के बीच में कोई समझौता अवश्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार आगे और कोई कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार कर सकती है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

यह देखते हुए कि शुगर, टैक्सटाइल्स और लेदर इंडस्ट्री में ग्रेचुएटी की योजना चालू है, क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है कि जूट में भी ग्रेचुएटी की स्कीम जल्द से जल्द लागू की जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय---

हम ने बता दिया है कि सरकार का क्या रुख है। उसे माननीय सदस्य देख लें।

श्री उग्रसेन---

माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य छपवा कर हम लोगों को दे दें।

प्रदेश में खाद्यान्नों और उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव तथा उनके मूल्यों में वृद्धि के विषय पर विवाद

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खाद्य की वस्तुस्थिति सम्बन्धी एक विवरण-पत्र सभी माननीय सदस्यों की सेवा में भेज दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण सभी नागरिकों में बड़ी चिन्ता व्याप्त है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है उनको इस चिन्ता का आभास होना स्वाभाविक है। इस वर्ष रबी की पैदावार कुछ सन्तोषजनक रही और हमें यह आशा थी कि मूल्य आमतौर पर साधारणतया ठीक हो जायेंगे। मगर जैसा कहते हैं, कारण तो किसी चीज के अनेकों होते हैं, मगर हम लोग दैव को भी एक कारण मानते हैं। इसमें शक नहीं कि आजकल श्रावण और भादों के मासों में जब कि घन-घमंड गर्जत घन घिरा होना चाहिए था उस समय मई और जून की चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है।

मैं प्रारम्भ में ही यह कह देना उचित समझता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार की नीति, चाहे किसी भी वस्तु के बारे में हो, वह उत्पादन बढ़ाने के हित पर आधारित होती है। जितने नियम इत्यादि इसके अधीन बनते हैं उनमें हम इस बात को दृष्टि में रखते हैं कि उनसे उत्पादन का हित होता है या अहित होता है। इसमें शक नहीं कि उपभोक्ता की वस्तुओं और जिन चीजों की काश्तकारों को जरूरत पड़ती है उन सबकी कीमतों का स्तर बहुत ऊंचा है। इस वर्ष बमुकाबले पिछले साल के उत्पादन अधिक हुआ है, तो भी इस साल फसल के समय में कीमतें गत वर्ष से ऊंची ही रहीं। सहानुभूति के तौर पर एक चीज की कीमत का दूसरी चीज की कीमत पर असर पड़ता है उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ीं। जब तक अनाज ६५,७० रुपए क्विंटल तक रहा तब तक हम उसे असाधारण बढ़ोत्तरी नहीं मानते रहेहैं क्योंकि अन्य चीजों के मुकाबले में काश्तकार को भी अनाज का उतना ही मिलना चाहिए। हमने यह चेष्टा की कि फसल के बाद कोई ऐसा कार्य न किया जाय जिससे उत्पादक को मजबूर होकर अपनी चीजों को सस्ता बेचना पड़े और उसका अनुचित लाभ मध्यवर्ती, यानी आढ़ती, न उठायें जिससे वे कमी के दिनों में ऊंची कीमतों पर बेचें। हमारे ऊपर कोई इल्जाम न आवे, इसलिए हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा, ऐन्टी होर्डिंग आर्डर को भी ठीक कर दिया, जिससे उत्पादक अपने पास रख सके। २०, २१, २२ रुपए तक, जो न्यूनतम कीमत थी, उस पर तो हम हमेशा ही खरीदने के लिए तैयार रहते मगर थोड़ा-सा बफर स्टाक बनाने के लिए हमने स्वेच्छा से यह चाहा था कि हमको हस्बमामूल कीमत पर कुछ अनाज मिल जाय। हमने कोई कम्पलसरी प्रोक्योरमेंट या प्राइस फिक्सेशन कुछ नहीं

किया, बल्कि इस बात को भी कर दिया कि मूवमेंट पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जिससे कल ो किसी को यह कहने का मौका न रहे कि सरकार की छेड़खानी से, इनके प्रतिबन्धों की वजह से, कीमतें बढ़ती हैं, जैसा कि हमारे भाइयों का जो स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में हैं, कहना था। हमने इस बात की कोशिश की उनके सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, यह स्पष्ट उदाहरण हो जाय कि क्या फी मार्केट पर हम निर्भर कर सकते हैं, क्या वे कीमतों को सही स्तर पर रखने में हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यह आशा तो दुराशा हुई। यह बात नहीं है कि उनके जाल में फंस कर हमने कीमतें निर्धारित नहीं कीं और गल्ला वसूल नहीं किया। हम दूसरी तरफ भी उसे देखना चाहते थे कि हमारी खरीदारी से, जो कीमतें पिछले साल की अपेक्षा इस साल स्वतः ही बढ़ी हुई थीं, वे अधिक न बढ़ जावे। इसलिए हम उसकी खरीदारी में नहीं जाना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि हम फसल के समय काश्तकारों को मजबूर नहीं करना चाहते थे कि हम कम कीमत पर उनका अनाज ले रहे हैं, ऐसी बात दिल में न हो। वे यह न समझें कि अगर यह सरकार न लेती तो हम उसको अच्छी कीमत पर बेच सकते। ऐसे लांछन से बचने के लिए हमने ऐसा किया है। यह बात सही है कि इसे इन वर्षों में आना है और कम से कम जब तक यह प्लानिंग चल रही है, योजनायें चल रही हैं, फ़्री ट्रेड को कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार न करेगा। क्योंकि ऐन मौके पर स्वतन्त्र व्यापार कभी भी सेबोटेज करके सारी योजना को खत्म कर सकता है। यद्यपि अगर स्वतन्त्र व्यापार कर दिया जाय तो सरकार की सारी जिम्मेदारी ही समाप्त हो जाती है और कन्ट्रोल के साथ बहुत सी बुराइयां हैं लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस बात को देखते हैं कि अगर हमारे किसी कपड़े में लीचेज हो जाते हैं तो उनके डर से हम कपड़े को नहीं छोड़ देते लेकिन उनको हटाने का प्रयत्न करते हैं। व्यापारी आजकर लीचेज का ही काम करते हैं। इसलिए हमको उसके लिए कोई उपाय ही सोचना होगा। यह राशनिंग ही उसका इलाज है। यद्यपि सब चीजों के दाम बढ़ते हैं लेकिन जब अन्न के ऊपर दाम बढ़ते हैं तो लोगों को अधिक फील होता है। गोकि बहुमत समुदाय—किसान को उससे लाभ ही होता है। इसी लिए कोई भी उसके खिलाफ कम से कम गांवों में नहीं कहता, यहां भले ही कुछ कह दे। गांवों में कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन क्योंकि यह हर आदमी को टच करता है इसलिए अन्न में जरा भी ऊंचनीच होती है तो उपभोक्ताओं को उससे बड़ा कष्ट होता है इसलिए सब उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होते हैं।

इस का उपाय क्या हो सकता है? एक मात्र उपाय यही है कि कि आज हम परीक्षण करके देख लें। यह बात जरूर है कि कन्ट्रोल में बुराइयां हैं, उसके खिलाफ आवाजें हैं हम भी उसको पसन्द नहीं करते लेकिन फिर भी जब नमक की कमी होती है, मिट्टी के तेल की कमी होती है तो कहा जाता है कि सरकार क्या सो रही थी और फिर उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा था कि योजनाकाल में इन चीजों पर प्रतिबन्ध करना ही पड़ेगा। इस बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच बहुत दिनों से विचार-विमर्श हो रहा था और अन्ततोगत्वा हम इस निर्णय पर पहुंचे कि कम से कम अरबन एरिया में हमें इसको लागू करना है। अब अरबन एरिया में भी फर्क है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है वह सारे अन्न को खरीद सकते हैं, तेज भी खरीद सकते हैं। हमारे प्रदेश में जब कि ८०–८५ रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का भाव था, बम्बई में १३० रुपया क्विंटल है, मैंने मद्रास और मैसूर में भी भाव मालूम किए वहां भी डेढ़ सौ रुपए के करीब का भाव था। वही हालत चावल की है। जिन की पर्चेजिंग कैपेसिटी कम है वहां से माल ज्यादा कैपेसिटी वाले स्थान को खिंच जाता है। हमारे यहां से गेहूं, चावल, दालें, अरहर सब चीजें उस क्षेत्र को खिंच सकती हैं। फ्री ट्रेड में तो डिमान्ड सप्लाई के हिसाब से कीमत चलती है लेकिन जब कमी होगी तो जिस के पास पर्चेज करने की ज्यादा ताकत होगी वह खरीद लेगा, वही माल को खींच लेगा। वह लोग यह चाहते थे कि शहरी क्षेत्रों में जहां क्रयशक्ति अधिक है, माल को खींचने की ताकत ज्यादा है वहीं राशनिंग किया जाय और जब ५,००० तक राशनिंग हो जाय तब उस के बाद देहाती क्षेत्र में हो जाय क्योंकि वहां मांग ज्यादा न होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो शायद कीमतें उचित

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

स्तर पर आ जायं। लेकिन यह सही है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि स्टेट ट्रेडिंग हो या कोई कार्य हो वह एक दिन में नहीं होता और वह आरम्भ में लाभप्रद भी नहीं होता। एक साल में भी नहीं होता, समय लगता है। जबतक कि किसी चीज के लिए या किसी शहर में राशनिंग करना है तो कम से कम ४–६ मास का बफर स्टाक पास न हो तो वह शुरुआत करना भी खतरे से खाली नहीं है। ३ साल की खराब फसल के बाद एक साल की एक फसल अच्छी हुई, पिछला गैप था और अब फिर पानी नहीं बरस रहा है, अब किसान ने सोचा कि कौन अपना माल बाहर निकाले कहीं खरीफ खराब न हो जाय। यह सोचकर किसान ने अपना माल रोका, उसे भी बुद्धिमानी से अपना काम करना पड़ता है, उस ने सोचा कि कहीं बाद में दिक्कत न हो अपना माल इस वक्त क्यों निकालें। सरकार के पास २ ही मार्ग हैं एक तो अन्दर की खरीदारी और दूसरे बाहर से इम्पोर्ट। अन्दर की खरीद कैसे होती, ३ फसल खराब हुई तब एक फसल कुछ अच्छी आई, पिछले साल से भी इस साल कीमतें ज्यादा रहीं। अगर हम खरीद करते तो शुरू में ही कीमतें और बढ़ जातीं। यह बात दूसरी है कि हम ने केवल ५० हजार टन वालंटरी तरीके पर खरीदने की बात की और उस से भी पूर्वी और पहाड़ी जिलों को अलग रखा। मुझे मालूम हुआ कि श्री भानु प्रताप जी अपना कुछ गल्ला देने को तैयार हैं, मैं उनका आभारी हूं। जहां तक इम्पोर्ट की बात है वह हमेशा बहुत रिस्की है और यह उचित नहीं है कि केवल उसी पर निर्भर किया जाय। कभी मेरीन की कभी डाक की हड़ताल हो जाती है, कभी केन्द्रीय सरकार को फारेन एक्सचेन्ज की दिक्कत हो जाती है। मैं केन्द्रीय सरकार को दोष नहीं देता, उन्होंने कोशिश कुछ न कुछ की। वह अपने वादे को पूरा करें। मगर उन्होंने १,०५ हजार २ महीने में देने का वादा किया था लेकिन वे अपने वायदे पर नहीं रहे। कभी ६४ हजार, कभी ५७ हजार, फिर ६५ हजार और फिर ६० हजार देने का वायदा किया और उसमें भी १७ हजार के करीब ही कभी कभी पहुंच पया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी कामराज के डर से नहीं कह रहे हैं। यह क्यों नहीं कहते कि माननीय सुब्रामनियम ने आपकी बात नहीं सुनी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले उनकी बात सुन लीजिए फिर आपको जो कहना है कह लीजिए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

असल में बात यह है कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें सब इमानदार ही मालूम पड़ते हैं और अगर हमारे अन्दर कोई कपट है तो हमें दूसरों को भी कपटी ही समझेंगे। तो वे तो हमें गेहूं चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने हमको इतना कम गेहूं दिया कि बड़ी मुश्किल है पर इतना कम सामान होने पर अगर माननीय उग्रसेन और उनके साथी भगवान से यह प्रार्थना करें कि भगवान मुझे अन्नपूर्णा वाला डंडा दे दें तो मैं जादू करके उस कमी की पूर्ति कर लूं तो मैं बड़ा खुश हूंगा। वस्तुतः जितनी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति न तो विदेशी आयात से ही हो सकती है और न इन्टरनल प्रोक्योरमेंट से ही हो सकती है। इसीलिए स्टेट ट्रेडिंग आवश्यक है पर यह एक साल में नहीं हो सकता है। मेरी राय में स्टेट ट्रेडिंग का जो सिलसिला पहले साल में चला था उसको रखना चाहिए था। उसको निरन्तर बढ़ाते रहना चाहिए था।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, इसके लिए २१ करोड़ रुपया रखा गया था पर कुछ नहीं खरीदा गया। इसके दोषी आप हैं। अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो गद्दी छोड़िए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हां, मैं छोड़ दूंगा, आप के लिए।

श्री उग्रसेन--

अगर यह सरकार नहीं खिला सकती है तो सरकार को गद्दी छोड़नी चाहिए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जरा सुन तो लीजिए। अगर किसी आदमी को फांसी दी जाती है तो उसकी भी बात पहले सुन ली जाती है। मेरी बात तो आप सुन लें।

श्री उग्रसेन--

हम तो बहुत धीरज से सुन रहे हैं पर इससे क्या होने वाला है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर हम लोग गद्दी छोड़ देंगे तो आपका अहित हो जायगा। शायद यह बात आप समझते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग की या कोई नेशनल फूड पालिसी की बात स्टेट के अन्दर तय नहीं होती है। इसमें चाहे केन्द्र की गल्ती हो या हम सब की गल्ती हो, पर हम यह सब जानते हैं कि अगर देश को हानि होती है तो कांग्रेस पार्टी को या सोशलिस्ट पार्टी को ही हानि नहीं होती सारे देश-वासियों को हानि होती है, मगर एक बात यह है कि इसमें झगड़े बढ़ गए हैं। हर पार्टी में अलग-अलग विचार होते हैं, अलग-अलग विचारधाराएं होती हैं। स्टेट ट्रेडिंग के सिलसिले में निवेदन है कि जब इम्पोर्टेड गेहूं आने लगा तो स्टेट ट्रेडिंग को खत्म कर दिया गया और जब हमने इन्टरनल प्रोक्योरमेंट करना आरम्भ कर दिया तो हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि तुम यह नहीं कर सकते हो। अगर मैं इंडिपेन्डेन्ट होता, अगर फूड का विषय इंडिपेन्डेन्ट होता तो आप मुझे जिम्मे-दार ठहरा सकते थे और कुछ कह भी सकते थे। वह विषय कांकरेन्ट विषयों की सूची में है और इसी कारण से गवर्नमेंट आफ इंडिया का हमारे ऊपर हाथ रहता है। डी० आई० आर० में, हमने जो मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगायी थी, उन्ह विथ ड्रा कर दिया और यह कहा गया कि एक महीने के अन्दर जितनी रिस्ट्रिक्शन्स होंगी व रैटीफाई की जाती हैं। जहां तक यू० पी० का सवाल है यहां पर गेहूं और चावल के लिए जोन था, मोटे अनाज के लिए कोई जोन नहीं था और हमारा मोटा अनाज, तीन ही चीजों को देखा जाय, दो, तीन साल के अन्दर ज्वार, बाजरा और मक्का १९ हजार टन हमारा एक्सपोर्ट होता था और पिछले साल १ लाख २५ हजार टन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां चना, गेहूं और बाजरा ५० प्रतिशत के करीब खाते हैं। तो जब गेहूं और चावल पर मुनहसिर करने लगेंगे, गो कि १९५७-५८ में यू० पी० में कोई चावल इम्पोर्ट नहीं किया गया, बल्कि पिछले १, २ वर्षों में ४० हजार टन केन्द्रीय सरकार और अन्य स्टेटस को हमने दिया। लेकिन जहां तक कोर्स ग्रेन का सम्बन्ध है उसके लिए निरन्तर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लड़ते रहे कि कोर्स ग्रेन का एक्सपोर्ट रुकवा दें तो अच्छा होगा। लेकिन वह नहीं माने। हमने जबरदस्ती यहां की तो उन्होंने यह कानून पास कर दिया और अब इस मीटिंग में बराबर मैंने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम और मोटे अनाज रुकने चाहिए। हमें खुशी है कि इस समय ग्राम और मोटे अनाज पर हमको अधिकार मिल गया है कि उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर मोटा अनाज बाहर जाता है तो बड़ी पर्चेजिंग कैपेसिटी वाले जो शहर में वे ज्यादा कीमत देते हैं और जब जौ और चने की गेहूं से ज्यादा कीमत हो जायगी तो नेचुरल प्राइस पैरिटी नहीं रहेगी। इसलिए मैं अनुमान करता हूं कि, इस रेस्ट्रिक्शन से नेचुरल प्राइस पैरिटी मेनटेन रहेगी। अब दैवी प्रकोप पर तो किसी का बस नहीं है और अगर हमारा बस होता तो कभी सूखा और बाढ़ न होती। मेरा अनुमान है कि कोर्स ग्रेन और ग्राम के रुकने से जो काश्तकार इस विचार में थे कि हम इसको बाहर भेज कर फायदा उठायेंगे और उसकी वजह से जो दबाव चावल और गेहूं पर था वह अब ढीला पड़ जायगा, क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो हमारे बैन को अवैधानिक बता दिया था और जिसकी वजह से व्यापारी यह सोचते थे या बड़े प्रोड्यूसर्स यह सोचते थे कि बैन लिफ्ट हो जायगा, इसलिए माल को रोके हुए थे।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

लेकिन अब वह नहीं रोक सकेंगे और उनको मन्डी में लाना ही पड़ेगा नहीं तो वह सड़ जायगा। अब जब मंडियों में एराइवल्स होंगे तो उसकी वजह से भाव जरूर गिरेंगे और गेहूं और चावल पर जो प्रेशर था वह कम होगा। कोई घबराने की बात नहीं है। गत वर्ष हम घोर चिन्ता में थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे प्रदेश में भुखमरी फैल जाय।

श्री उग्रसेन—

वह तो हो गया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जैसा कहा गया जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, उनको बड़ा कष्ट है लेकिन जितने काश्तकार एवरेज के ऊपर हैं उनको कोई कष्ट नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि गत वर्ष उनके सामने यह दिक्कत थी कि वे अपनी जान बचायें या आश्रितों की जान बचायें क्योंकि पिछले साल गल्ले की कमी थी लेकिन अब की दफा उनके पास इतना गल्ला है कि वे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और मानवता का परिचय भी दे सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

यह किताबी बात है। हमारे यहां हजारों लोग भूखे मर गए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो मानवताहीन है और जो केवल भौतिकवादी हो गए हैं उनके लिए कुछ नहीं है। मैंने गर्मी के मौसम में पूर्वी जिलों में किसी दूकान को बन्द करने के लिए नहीं कहा।

श्री उग्रसेन—

पूर्वी जिलों के कलेक्टर्स ने सभी दूकानों को बन्द कर दिया था।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां जरूरत नहीं थी वहां बन्द कर दिया होगा। मेरे पास लिस्ट है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या पूर्वी जिलों के कलेक्टरों ने फिर लिख कर भेजा है कि एक महीने बाद या १५ दिन के अन्दर सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी जायं क्योंकि गल्ले की वहां आवश्यकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं हर जिले पर आ रहा हूं।

श्री उग्रसेन—

मैं बतला दूं कि १ हजार आदमी देवरिया में मर गए। खाने को कछुवे का गोश्त तथा आमों की गुठली नहीं मिली। मन्त्री जी नहीं मरेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

बार-बार टोकने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देवरिया में १०४ दूकानें देहातों में चल रही हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

बिलकुल गलत है। दूकानें कागज पर लिखी हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जहां तक मरने और बचने का सवाल है यह तो मानव के लिए लगा हुआ है। यहां कोई अमर होकर नहीं आया है। मुमकिन है कि उग्रसेन जी अमरत्व प्राप्त करके आए हों।

श्री उग्रसेन---

पटना में गोली चल गयी। डाक्टर लोहिया गिरफ्तार हो गये। स्थिति देखिये। जब ज्वालामुखी यहां फूटेगा तो मन्त्री जी कहां रहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो हर शब्द पर टोकते हैं। आप बैठें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अगर ऐसी स्थिति आएगी तो न मैं रहूंगा, न उग्रसेन जी रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ही न रहूं।

श्री बांकेलाल---

लोग कहते हैं कि सरकार मिट्टी का तेल पी गई। उसके बारे में कुछ बताइए।

श्री उपाध्यक्ष---

बांके लाल जी आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने जो पत्र बांटा है उसमें मिट्टी के तेल का सारा विवरण लिख दिया है। सारा सवाल यह है कि यह सारे सदन की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है क्या आपको इससे कुछ मतलब नहीं है ?

श्री उग्रसेन---

इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एक महीने से हमारे घर अन्धेरे में रहे हैं, चोरियां हो रही हैं और बर्मा शेल वालों ने दो करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है।

श्री उपाध्यक्ष---

डिबेट हो रही है उसमें वह भी कहें, आप भी कहें। इस तरह से आप उनको बोलने नहीं देंगे। आप देर लगाएंगे और कहेंगे कि देर हो गई।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो आयल कम्पनीज हैं उनके जरिए हमारा फारेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च हो रहा था। अब वह भी घटाया गया है। जहां तक डीजल का ताल्लुक है उसमें कोई कमी नहीं है। हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जितनी चीजें उपलब्ध हैं उसके हिसाब से ट्रैक्टर के लिए पहले प्राथमिकता देने के लिए लिखा।

श्री उग्रसेन---

जितने निकम्मे लोग हैं वे ही सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। हमने बार-बार कहा है कि कलेक्टर के पद तोड़ दिए जायं। ये लोग सब क्लबों में मौज करते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं सुनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाइए। उनको दस मिनट बोलने दीजिए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उपाध्यक्ष महोदय, सब ही कलेक्टर्स खराब हो गए, निकम्मे हो गए, केवल विरोधी दल ही अच्छा हो गया।

श्री उग्रसेन---

हां, हम ही अच्छे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, यह तरीका डिबेट का नहीं है।

श्री उग्रसेन---

यही तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइए, मैं आपको मौका दूंगा।

श्री उग्रसेन---

मन्त्री जी जब सवाल उठाते हैं तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप हर मौके पर बोलते हैं।

श्री उग्रसेन---

जवाब तो देना ही पड़ेगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

श्रीमन्, उनसे ही मतलब है। सदन की बात तो हमें भी सुनना है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं। आप भी सुन लीजिए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि भिन्न परिस्थितियों में यह हुआ। मैं यह भी बता रहा था कि जरा-सी कमी होती है कि बहुत से लोग उसका अनुचित लाभ उठाने के लिये तैयार होते हैं। नमक की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लोगों ने कह दिया कि कमी है और उसी में पैसे कमाने शुरू कर दिये। मैं जानता हूं कि कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं और उनके निवारण के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। मगर मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन देखने सुनने वाले समझ सकते हैं कि जब यह हालत सदन में है तो बाहर क्या होगी।

श्री उग्रसेन---

बगावत।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्हें कहने दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके मानी हैं भेड़िया वाली बात।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जितने घूस लेते हैं अफसर उनको एक जगह से उठा कर दूसरी जगह डाल देते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जितनी उग्रता यह दिखा रहे हैं, सारे कारनामे देखने और समझने वाले जानते हैं। जब उनका उद्देश्य ही बगावत करना है तो इसका इलाज लुकमान के पास भी नहीं है ।

श्री उग्रसेन--

यह समझ बैठे हैं, कि १०० वर्ष राज्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप उग्रसेन जी से कोई बात न कीजिये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं इतना समझ पाता हूं कि जब ऐसी बुद्धि वाले अपोजीशन में बैठे हैं, अपोजीशन कभी गवर्नमेन्ट नहीं बना सकता। मैं इतना ही समझ बैठा हूं। यदि आप को सद्बुद्धि आ जाय तो हमारा बहुत कम समय रहेगा।

श्री बांकेलाल---

माननीय मन्त्री जी खाद्यान्न पर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बांके लाल जी, अगर १० मिनट में खड़े हुए तो ठीक नहीं होगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

"ठीक नहीं होगा" शब्द वापस लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आप वापस लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये नहीं तो सदन छोड़ दीजिये ।

(श्री चन्द्रबलीसिंह ने अपना स्थान ग्रहण किया ।)

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) आप डिबेट नहीं चलने देना चाहते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आप धमकी मत दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कायदे से चलिये। एक-एक मिनट पर उठते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

उस शब्द को वापस ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, कोई शब्द वापस नहीं लिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

व्यवस्था का सवाल है। जब कोई माननीय सदस्य बिना आपकी आज्ञा के बोलना चाहते हों सदन में तो नियमानुकूल आपको अधिकार है कि यहां पर उनको बैठने के लिये कहें और यदि वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन करें तब आप उनको सदन छोड़ने के लिये कहें और उस पर भी यदि वे आपकी आज्ञा न मानें तो आप उनको निलम्बित कर दें। लेकिन नियमों में आपको यह अधिकार कहीं नहीं है कि आप किसी से यह कहें कि "अगर नहीं बैठेंगे तो ठीक नहीं होगा।" मैं समझता हूं कि यह हमारे इस सदन का अवमान है और जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं उस कुर्सी के लिये अपमान की बात है कि आप ऐसे व्यक्ति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। इसका असर यह पड़ेगा कि बहुत से माननीय सदस्य आपका अनुकरण करेंगे और अनुकरण करने के माने हो जायेंगे कि यह सदन सम्मानित सदन न होकर एक दूसरा ही रूप धारण कर लेगा। इसलिये मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे शब्दों को कृपा करके आप प्रयोग में न लावें और भविष्य में कत्तई न लावें, यह हमारी आपसे प्रार्थना है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विवाद में थोड़ी गर्मी आ गयी, "ठीक नहीं होगा" शब्द को लेकर। आपको अपनी व्यवस्था बहुत सोच-समझ कर देनी चाहिये और ज्यादा अच्छा होता अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप न करते। इस तरह के शब्दों का प्रयोग भविष्य में आप हम लोगों के लिये न करें।

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल यह है कि मैंने बार-बार कहा कि अगर इस तरह से आप किसी माननीय सदस्य को टोकेंगे तो वे बोल नहीं सकेंगे। नामुमकिन हो जायगा इस तरह से किसी का बोलना।

श्री उग्रसेन--

जो शब्द आपने कहे, क्या आपको कहना चाहिये था ?

श्री उपाध्यक्ष--

पचासों दफा मैंने कहा कि इस तरह से न टोका जाय। बीच-बीच में कभी-कभी आप स्पष्टीकरण के लिये टोक सकते हैं लेकिन जैसा व्यवहार आपने किया वैसा नहीं होना चाहिये, इसलिये मुझे ये शब्द कहने पड़े। बाकी मेरा कोई वैसा इरादा नहीं था।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)--

किसी परिस्थिति में भी आपको ये शब्द नहीं कहने चाहिये थे, फिर आपने यह क्यों कहा ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपको यह अधिकार नहीं है कि किसी को बोलने ही न दें।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

क्या आपको अधिकार है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनसे कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे दूसरी कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह–

कभी भी आपको यह नहीं कहना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष––

क्या नहीं कहना चाहिये था। मैंने तो उनसे कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी––

श्रीमन्, जैसा कि और माननीय सदस्य जानते हैं उसी प्रकार से मैं भी एम० एल० ए० हूं और जनता की कठिनाइयों को जानता हूं और आपकी दिक्कतों को स्वयं महसूस करता हूं। यह तो उसी तरह की बात आपकी हुई कि अगर सास के साथ उसकी सास ने बुरा व्यवहार किया हो तो वह भी अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव करे। अगर हमसे कहीं गलती हो गयी है तो आप बतला दें, हम उसको सुधारने के लिये तैयार हैं। अगर हम अपने रास्ते में बेरास्ते चलते हैं तो हमें आप समझा दें। वैसे सीमेन्ट आदि के लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से हमारा पत्र-व्यवहार होता रहता है। बजाय इसके कहने के कि लोग भूखों मर रहे हैं आप का फर्ज है कि आप हमारे सामने इस बात को कहें, इसको मैं बुरा नहीं मानता। आप कोई गंवार आदमी तो हैं नहीं। आप लोग सभ्य, शिक्षित और सुसंस्कृत लोग हैं, आप सब बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता था कि आप अपनी तरफ ईमानदारी के साथ सब बातों को हमारे सामने कहेंगे और यदि कोई गलती हुई है तो हम उसको सुधारने के लिये तैयार हैं। श्री महावीर त्यागी का जवाब आया है। मैंने सीमेन्ट के बारे में डाक्टर ए० बी० राव से बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम सारी कमी तो पूरी नहीं कर सकते परन्तु भविष्य में सीमेन्ट वितरण के समय इसका ध्यान रखेंगे कि इस कमी का सारा बोझ सिर्फ यू० पी० पर न डाला जाय बल्कि मांग के अनुपात के अनुसार सभी प्रदेशों के कोटे में कटौती की जाय। उन्होंने यह भी बताया कि सीमेन्ट साढ़े ८ या ९ लाख टन प्रतिमास तैयार होता है जब कि मांग २२ लाख से अधिक की है। तो मैं बताऊं कि हम अपने प्रयत्न में चाहे गल्ले के बारे में, चाहे सीमेन्ट, चाहे केरोसीन आयल किसी चीज के बारे में हो पत्र-व्यवहार के अलावा जितना अपनी शक्ति भर कर सकते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं मगर मैं इस बात को कह रहा था कि इन चीजों के बावजूद भी अगर कमी रहती है तो आपका और हमारा फर्ज है कि आप हमारी कठिनाइयों को समझें और जो बेचारी अशिक्षित जनता है उनको समझावें न कि बगावत करें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)––

क्या समझाया जाय जब गड़बड़ सभी है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी––

वही समझाइए कि क्या वास्तविकता है।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)––

इस वक्त सीमेन्ट परमिट से नहीं मिलता लेकिन ब्लैक से वही सीमेन्ट बिक रही है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी––

ब्लैक के लिये तो मैं नहीं जानता किन्तु कौन ब्लैक करता है इसमें आप बहुत मत जाइये। मैं तो अब एक सैद्धान्तिक बात कहता हूं और केवल एक ही रास्ता है कि प्रोडक्शन पर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट और उसका सही वितरण उसके लिये कोई दूसरा मार्ग

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

अपनाना पड़ेगा और रूरल एरिया में तो राशनिंग दुश्वार है, उसके लिये प्रयास भी नहीं करना चाहिये मगर जहां तक अरबन एरिया का संबंध है हम उस काम को कर सकते हैं और करना चाहिये और चाहे ५, ७ वर्ष लगें परन्तु अन्ततोगत्वा यह एक तरीका होगा। अगर उस बीच में इतना माल पैदा हो जाता है कि उसको फेंकने की जरूरत पड़े और डिमान्ड के मुकाबले में सप्लाई ज्यादा हो जाय तो फिर केवल स्टेट ट्रेडिंग की जरूरत प्राइस सपोर्ट के लिये पड़ेगी। इस वक्त जरूरत पड़ती है प्राइस को नीचा करने के लिये रखा जाता है लेकिन उस वक्त दूसरी स्थिति आ जायगी।

अन्त में मैं यह बताऊंगा कि इस वक्त ६० हजार टन के करीब कोटा इस महीने हमें मिला है, अगले महीने में कुछ बढ़ जाय या परिस्थिति विपरीत होतो घट भी जाय तो ६० हजार टन हमें मिला मान लो और ५० हजार टन के करीब हमने ६५ रुपये क्विन्टल में खरीदा है और उसके लिये भी किसी पर जोर नहीं दिया। उसके लिये था कि जो देना चाहे वह दे और जो न देना चाहे न दे। ऐसी सूरत में ५० हजार टन के करीब हमने खुले बाजार से लिया। इतना मिलना कोई कम बात नहीं है। हम इस बात की भरपूर चेष्टा करते हैं कि जो कुछ हमारे पास सामान है उसको उन क्षेत्रों में दें जिनमें वाकई कमी है। उन लोगों तक वह सामान पहुंच जाय इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं और यह आशा करते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आयेगी जिसमें किसी तरह से बहुत ज्यादा कमी पैदा हो। मैं कहता हूं कि हमको हमदर्दी है और करने के लिये जो कुछ हो सकता है करते हैं मगर अनुपात के हिसाब से जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम करेंगे मगर फिर भी इतना अर्ज करता हूं कि इससे कोई लाभ प्रदेश का और जनता का नहीं होगा। अगर हम अनर्गल बातों से इस समस्या को हल करना चाहें तो वह हल नहीं होगी। मैं पुनः आशा करता हूं कि आप असली मन्शा को समझें और आपका सहयोग हमको प्राप्त होता रहेगा।

लोक लेखा समिति, बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्स काउंसिल में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष---

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। जिन समितियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि आज ५ बजे तक थी उनका समय बढ़ा दिया गया है। वे समितियां ये हैं लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश, महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश नर्सरी ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, इनके नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि आज १० तारीख के ५ बजे तक नियत थी। अब इनका समय ११ तारीख के ५ बजे तक बढ़ा दिया गया है।

प्रदेश में खाद्यान्नों और उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव तथा उनके मूल्यों में वृद्धि के विषय पर विवाद (क्रमागत)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय खाद्य मंत्री ने भाषण दिया और इतनी देर तक वह अपना भाषण देते रहे। आपका और हम लोगों का भी ऐसा अनुभव है कि सदन में कुछ मंत्री ऐसे हैं कि जब वे खड़े होते हैं तो विरोधी दल के सदस्यों में एक बड़ी खलबलाहट होती है। उसका कारण यह है---मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि नेगी जी ऐसे हैं या दूसरे ऐसे हैं---इससे मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा मतलब यह है कि वह समस्या जो आपने हाथ में ली है वह समस्या इतनी गंभीर है, इतनी जटिल है कि उस पर सम्भवतः गहराई के साथ सोचा नहीं जाता। उस पर उतावली में कितना उधर से गलत स्टेटमेन्ट आता है यह समझ में नहीं आता है। अभी माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने एक वाक्य का प्रयोग किया जिससे मुझे चिन्ता हुई। तो बजाय इसके कि मैं सारे वक्तव्य का उत्तर दूं उस पर निवेदन करना चाहता हूं। मैं नीति के संबंध में कुछ सुझाव दूंगा और उनका ही अधिक चर्चा करूंगा किन्तु पहले मैं उस वाक्य के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। एक संदर्भ में मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि न तो बाहर के अन्न से और न भीतर के पैदा होने वाले अन्न से जरूरत उचित रूप से पूरी हो सकती है। आज १४ वर्ष की प्लानिंग के बाद और १८ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भोजन के बारे में हमारे खाद्य मंत्री जी की यदि यह भावना है तो यह कितनी लज्जाजनक बात है। आज १८ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद मंत्री जी कहते हैं कि हम असहाय हैं। हम भोजन के लिये कुछ नहीं कर सकते। न ऊपर से ला सकते हैं और न अन्दर से ले सकते हैं। इसके बारे में मैं विश्लेषण बाद को करूंगा।

(इस समय ३ बजकर ३८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

माननीय मंत्री जी अपने स्टेटमेन्ट में क्या कह गये। जैसा मैंने इंग्लन्ड और अमरीका के बारे में पढ़ा, वहां जिनके कंधों पर भार होता है वह वस्तुस्थिति को सदन में रख देते हैं ताकि सदन उस पर बिचार करे, सोचे और सुझाव दे और शुद्ध आलोचना करे। हम पिछले आंकड़ों को देखते ह, हालांकि मैं उनको बिलकुल सही नहीं मानता और मैं उनके जाल में भी फंसना नहीं चाहता, लेकिन आप इकसठ, बासठ, बासठ, तिरसठ और तिरसठ, चौसठ, हर वर्ष के आंकड़े देखें कि पैदावार में कितने प्रतिशत गिरावट होती गयी और इस पर जरा सोचें। आपके आने के पहले इतने सिंचाई के साधन नहीं थे, इनके जाने के पहले इतनी अधिक भूमि जोत में नहीं आयी थी और इनके आने के पहले देश में, कहते हैं कि उर्वरक का कोई प्रबन्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त जैसा कि यह कहा करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में अनुसन्धान नहीं हुआ था। जैसा यह कहते है वैसा ही मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर क्या बात है, कौन-सा कारण है कि इतने १४ साल के बाद जटिल परिस्थितियां क्या आ गयीं कि आप ने इतने करोड़ रुपया खर्च कर डाला तब भी यह नतीजा निकला कि आप असहाय की स्थिति में हैं। आप कहते हैं कि हम मजबूर हैं। हम आपको भोजन नहीं खिला सकते। केवल यही बात है, जिसके बारे में उग्रसेन जी ने कहा, केवल इसी बात पर आप को अपना पद छोड़ देना चाहिये, आपकी सरकार को पद छोड़ देना चाहिये। अगर आप असहाय की स्थिति में हैं, लेकिन पता क्या चलता है कि स्थिति को आप समझते नहीं। मैं इसके अतिरिक्त आप को दूसरी ओर भी ले जाना चाहता हूं। आप सोचें गंभीरता से, अंतरमुखी होकर। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नीति में कहीं बहुत भारी त्रुटि है। कहीं-कहीं आप केन्द्रीय खाद्य मंत्री पर दोषारोपण करते हैं, वह आप पर दोषारोपण करते हैं और जब आप अपना जबाब देते हैं तो उससे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस नीति से सहमत हैं। इसलिये दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि आप दोनों निपट लीजिये कि आप सही हैं या वह। (व्यवधान) आप धैर्य पूर्वक सुनिये। मैंने आपको बीच में छेड़ा नहीं था। आप देखें कि आपने स्थिति कैसी उत्पन्न कर दी है। माननीय कृष्णानन्द जी ने या किसी दूसरे सदस्य महोदय ने एक शेर पढ़ा था"आंखों ने कहा कि दिल का कसूर है, दिल ने कहा आंखों का कसूर है, जिस्म ने कहा, दोनों ने मिलकर कटा दिया।" दोनों ने एक दूसरे का कसूर ठहराया, लेकिन समाज मिट गया। अब स्थिति क्या है। आप की भाषा से बात खुल चुकी है। आपकी पालिसी से यह स्पष्ट होता है कि आप इस समय बिलकुल असहाय हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री ने इलाहाबाद में भाषण दिया कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हमारी क्या स्थिति हो गयी है। कितनी लज्जा की बात है। हम समाज के सामने कैसे

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

कह सकते हैं कि तुम भूखों मरो। इन शब्दों में आपने कह दिया। आपके आंकड़े, आप की पैदावार, आपकी नीति, आपकी करनी, इस ओर स्पष्ट संकेत करती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कुछ समय पहले कहा था कि जिले के कलेक्टरों ने और खास कर पूर्वी जिलों के कलेक्टर्स ने आपको लिखा या नहीं कि वहां सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी जायं। क्या आपने कहा? कितने दुख की बात है कि मंत्री जी आज सदन में खड़े होकर नहीं कह सकते कि हां, हमको अपने कलेक्टरों से यह सूचना मिली है। क्यों डरते हैं आप इस बात से? हम आपकी गद्दी तो नहीं छीन सकते हैं और न हम इस पर विश्वास करते हैं कि हम आपकी गद्दी छीन सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं आप शुद्ध आलोचना के लिये अपने को सही स्थिति में सदन के सामने रखते? इसके बाद मुझे बड़ी भारी चिन्ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी इन १४ सालों की प्लानिंग के बाद, डिकेड एण्ड हाफ की प्लानिंग के बाद और १८ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद लोगों की स्थिति आपने क्या ला दी। स्थिति जो थी उससे भी खराब आपने ला दी। एक चीज मैं बताता हूं। आपने ही कह दिया कि किसी जमाने में, जैसा कि हम कहा करते थे, एक रुपये का जितना घी मिला करता था उतना अब गेहूं मिल रहा है। चावल भी १२-१३ छटांक का मिल रहा है और दाल भी १२ छंटाक की मिल रही है और यह चावल खराब ही होगा। मुमकिन है कि कुछ अच्छा हो। आपने आंकड़े भी दिये हैं। उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इसका भाव कहीं-कहीं इससे भी मंहगा होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति क्या है? यह स्थिति तो वर्तमान की है। आज १४ वर्ष के बाद आप की नाव यहां आयी। मुझे एक बात याद आती है कि जहां बहुत इन्साफ था, वहां का प्रशासन आज कैसा है। किसी जगह अंग खाली नहीं है, सब जगह छिदा हुआ है। यह इनकी स्थिति है। यह अपने हर कृत्य में असफल रहे हैं। कोई काम इनका ऐसा नहीं मिलेगा जिनमें यह सफल हुए हों।

आज श्रीमन्, देहात की बात कह दी गयी। मैं कहता हूं कहीं खाने के लिये अनाज नहीं है। आंकड़ों के आधार पर यहां कुछ का कुछ कह दिया जाता है। ब्लैक में जितनी भी चीज आप चाहें मिल सकती है। आज जितना गल्ला है उस पर कम्पलीट राशनिंग कर दीजिये, लेकिन उसके बाद भी जितना गल्ला आप चाहेंगे आपको ब्लैक मार्केट में मिल जायगा। मुझ से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कुछ आदमी मिले थे, उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में इन्स-पेक्टर और रीजनल फूड कन्ट्रोलर लखपती बन जाया करते हैं। जिस दिन बिल बनता है, आप चल कर देख लें कितना प्रतिशत उनको मिलता है। कितना भ्रष्ट है प्रशासन आपका, यह आप इस से ही पता लगा लीजिये।

श्रीमन्, मैंने देहात में देखा है, वहां पर ५ फीसदी भी ऐसे आदमी नहीं हैं जो अपने पास गल्ला खाते हों, ९० फीसदी ऐसे मिलेंगे जो खरीद कर गल्ला खाते हैं, बाजार से उनको गल्ला खरीदना पड़ता है। आप किस मुंह से, किस आधार पर ऐसी बात कहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आती। आज ९० फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को गल्ला नहीं है। अभी माननीय उग्रसेन जी ने पूछा तो आपने कहा कि गल्ला भरा पड़ा है। फूड ग्रेन्स कमेटी की जिलों में मीटिंग हुई, उसने भी यही कहा। आंकड़ों के आधार पर यह सब बात कही जाती है जो गलत होती है।

श्रीमन्, १६ औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब १७६.३७ लाख टन अनाज की आवश्यकता है। अब इनके पास है कितना? कितना यह बाहर से मंगायेंगे? उसको इन्होंने श्रीमन्, बताया है, मैं दोहराऊंगा नहीं। एक मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप आंकड़ों पर विश्वास न करें। मैंने अभी पढ़ा था, यह निकाला गया कि १८ अरब ३७ करोड़ चूहे हैं। चूहे जो दिन में निकलते नहीं, रात में निकलते है पता नहीं किस तरह उनकी तादाद में निकाल

डाली गयी। मुझे तो इन आंकड़ों पर भरोसा है नहीं। फिर भी कांग्रेस सरकार ने सारे देश के यह आंकड़े बताये। जिस तरह से फूड की डिबेट का मखौल उड़ाने की बात कही जाती है, यह भी उसी तरह की बात है।

श्रीमन्, मैं यह बता रहा था कि १६ औंस के हिसाब से १३७.३७ लाख टन अनाज की आवश्यकता है। इसके अलावा बीज के लिए भी चाहिए। अकाल की स्थिति आ रही है उससे बचने के लिए भण्डारों में भी कुछ रखा जाना चाहिए। मैं पूछता हूं इस सब के लिए आपने क्या सोचा है ? आंकड़ों से हमें संतोष नहीं होता। मेरी करबद्ध प्रार्थना आपसे है, आप इस प्रश्न पर विचार करें और बतायें कि आपने क्या सोचा है।

अब आप देखें कि आपके सोर्सेज क्या हैं ? एक तो यह है कि आप अमेरिका आदि बाहर के मुल्कों से अनाज मंगायेंगे। श्रीमन्, बाहर से जो चीजें आती हैं वह किसी आधार पर आधारित होती हैं। न जाने वे कौन-सी शर्त लगावें। हो सकता है जो ऋण वे देते हैं वह दूसरी तरह से न दें। उस पर आप २५ प्रतिशत इन्टरेस्ट लगाते हैं। आप दूसरों पर निर्भर रह कर जनता को गड्ढे में डाल रहे हैं, यह बड़े धिक्कार की बात है। लेकिन आपने उस पर भरोसा नहीं किया जिस पर आपको भरोसा करना चाहिए था।

सुब्रमनियम साहब ने कहा कि भंडारों में हमारे पास बहुत अन्न है, किसी प्रकार की कमी नहीं हो पायेगी। लेकिन एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह वे सदा ही समय के अनुसार बात कहते हैं और पहली बात को पलट जाते हैं। अब वे कहते हैं कि यह समस्या हमारे मान की नहीं है।

नेगी साहब ने आज एक अजीब तर्क दिया कि बाम्बे वालों की परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वह ज्यादा दाम दे सकते हैं। इसलिए वे विभिन्न जोन्स बनाने जा रहे हैं चाहे सारे देश के अखबार और सारा देश क्यों न इसके खिलाफ चिल्लाये कि फूड जोन न बनाये जायं। यह आपकी कहां की पालिसी है कि पूर्वी यू० पी० भूखा मरे और पश्चिमी यू० पी० में नाज के भंडार भरे पड़े हों। यह आपकी पालिसी गलत है। सारे राष्ट्र को आपको एक यूनिट समझना चाहिए। आपकी जो भी नीति हो वह राष्ट्रीय नीति हो। यह कहां कि नीति है कि बाम्बे में १५० रुपया क्विंटल बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में ८० रुपया और पंजाब में ४० रुपया। आपकी यह नीति ठीक नहीं है। मान लिया आपने गल्ले का व्यापार बन्द कर दिया लेकिन आपने दूसरी चीज चोर बाजारी को खोल दिया। बस्ती जिले में बड़ी भारी स्मगलिंग होती है और अगर उस व्यक्ति का संबंध आपसे हो तो उसका कुछ हो नहीं सकता। चाहे चीन को कोई चीज जानी हो अथवा नेपाल को जानी हो, वहां नित्य प्रति स्मगलिंग होता है। अभी तारकोल के ५० टीन नेपाल की सरहद पर पकड़े गये। वहां स्मगलिंग तो आप रोक नहीं पाते हैं और दूसरे प्रांत में आप रोक लगाना चाहते हैं। इसका ही कारण है कि बाजार में ज्यादा दाम देकर चाहे जितना गल्ला खरीद लीजिए, चाहे जितनी सीमेंट खरीद लीजिए। इसका क्या इलाज है इसको आप सोचिए। विरोधियों की बात आप नहीं मानना चाहते हैं तो न मानिए, लेकिन इन समस्याओं पर आप सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो आपको अपनी पालिसी में परिवर्तन करना होगा। आप दिन पर दिन अलगाव की प्रवृत्ति पैदा करते जा रहे हैं, भविष्य में उससे न जाने क्या बनेगा। आपने कभी भी एक पुरुष, एक राष्ट्र, एक शरीर की चिन्ता नहीं की। इस दृष्टि से आपकी नीति बहुत ही खतरनाक है।

इसके अलावा आपने १६ आउन्स प्रति दिन प्रति व्यक्ति देने के बात कही है। विदेशों में १४ आउन्स के हिसाब से दिया जाता है। आप कहते हैं कि इसमें काम चल जायगा। कह दिया कि इस तरह से काम हो जायगा, लेकिन नहीं सोचा कि दूसरे देशों मे अलावा गल्ले के और साथ में खाया क्या जाता है, वहां के लोग केवल अन्न पर ही निर्भर न रहकर नाश्ते में अंडा, फल मक्खन और क्या क्या खाते हैं लेकिन भारतवासी होने के नाते यहां तो केवल अन्न या जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आप की इस संबंध में कितनी गलत भावना है

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

अब आप यह देखें कि कंट्रोल की दूकानें किस को दी जाती हैं। आप हमारी आत्मा के दुख को समझ लें लेकिन मैं जानता हूं कि भगवान की पूजा करने पर घंटा दो घंटा आत्मा को संतोष हो सकता है लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को भी आपके सामने रखने पर कोई असर नहीं होता, आप हमारी बात सुनते नहीं और न शरीर को और न आत्मा को ही कोई संतोष मिलता है। यह चीज बहुत गलत है। मैं अपने जिले में तमाम जगह गया वहां यही मालूम होता है कि परमिट किस को मिलता है जो कांग्रेस का समर्थक है, सब लाइसेंस कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही मिलते हैं और वह कांग्रेस के समर्थक बार्डर क्षेत्र को चोरी से माल सप्लाई करते हैं। एक अहीर ने मुझे बताया कि उस को जो चीनी दी गई वह ऐसी थी कि उस के यहां से बारात उस को छोड़कर उठ गई, इतनी खराब थी कि पानी पीने पर भी मुंह ठीक नहीं हुआ। मैंने नमूने के साथ सप्लाई आफिस और कलक्टर को सब को लिख कर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह तो वह दरबार है जहां किसी को कोई सुनवाई नहीं। उन का अभिमान सिवा ईश्वर के कोई चूर नहीं कर सकता। चीनी और सीमेंट सब वह मनमाने तरीके पर बांटते हैं, वह भगवान हैं जिस पर प्रसन्न हैं तो ठीक है वर्ना किसी की नहीं सुनते। माननीय मंत्री जी को याद होगा, मैंने २ चिट्ठियां भेजीं क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ३ साल से ज्यादा रहेगा वह हटा दिया जायगा, एक बार में रहा हो या अनेक बार में रहा हो वह हटा दिया जायगा। मैंने जब कलक्टर से कहा तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी की बात का यह तात्पर्य नहीं था। बस्ती, बनारस और गोरखपुर में कितने ही जिले में ऐसे लोग पड़े हैं जो ९-९, १०-१० साल से एक जगह पड़े हैं और अपने घर और किले बनाये हैं। मैं नहीं कहता वह घर न बनायें, भगवान करे वह करोड़पति हो जायं लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने इन खाद्यान्नों पर ८० प्रतिशत सूद दिया है उन के रक्त से इस तरह से यह सारी खिलवाड़ चल रही है। मुसलमानों ने आज जरा-सा झटका दिया है कि यह समझ लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि उन्हीं के वोटों से एलेक्शन में वह जीत कर आ पाते हैं। हम कितना ही कोई बात कहें इनकी समझ में नहीं आती लेकिन जब वह चैलेंज करते हैं तो इन की समझ में आ जाता है। इस तरह के प्रशासन से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। सप्लाई अफसर, मार्केटिंग अफसर ऊपर से नीचे तक जितने अफसर और क्लर्क हैं कोई टेरिलीन की कमीज से कम नहीं पहनता। कहां से इतना पैसा आता है। कोई पूछने वाला नहीं है। रोज चोरी से माल जाता हुआ सीतापुर में और कानपुर में सब जगह पकड़ा जाता है, लखनऊ में आता है पकड़ा जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता, रोजमर्रा की बात हो गई है। एक दिन तो माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया कि आप तो रोजमर्रा भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं, अगर मैंने ठीक सुना तो उन्होंने कहा इस तरह से तो फिर हमें आप की बात पर गौर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इन बातों को इग्नोर कर जाती हूं। भगवान जाने कि यह स्थिति हमें कहां ले जायगी। इन सप्लाई साफिसर्स द्वारा यह प्रशासन और प्रबंध कहां पहुंचेगा।

मैं कुछ अल्पकालिक सुझाव देना चाहता हूं। हमें आशा हुई थी कि उनकी उच्चस्तरीय कमेटी बैठी है बंगलौर के बाद और वह कुछ लाभप्रद नतीजे पर पहुंचेगी, हमने उसका बड़ा भरोसा लगाया था लेकिन उस से भी कुछ नतीजा नहीं निकला। मैं फिर अपने उसी प्वाइंट पर आता हूं कि पहले से ही हमारे मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री तथा केंद्रीय सरकार ने पता नहीं सोचा नहीं या क्यों हमार सामने कोई खाद्य संबंधी राष्ट्रीय नीति नहीं रखी। हम एक पार्सिंग रिफरेंस दे दें, बड़े दुख की बात है। कहते हैं कि दरोगा जब कहीं पर २ पार्टियों में फंस जाय और गवर्नमेंट या दरोगा पर हमला हो जाय तो ऐसा कर दो कि आपस में ही मर मिटें ताकि उन्हें फुरसत ही न हो। तो इन्हें फुरसत कहां है कि पब्लिक की बातों को सुनें।

जो सुझाव मैं देना चाहता हूं वह है कि इस सरकार की एक अखिल भारतीय नीति होनी चाहिए और उसी के संभरण के लिए एक उच्चाधिकार समिति आप नियुक्त करें। आप जो इस समय प्रयत्न कर रहे हैं, उससे हमें संतोष नहीं होता। सारे देश को एक शरीर समझकर ही एक नीति निर्धारण करनी चाहिए।

दूसरी बात जो आप अन्न क्षेत्र (फूड जोन्स) फिर रखना चाहते हैं उसको हटा दीजिए। इस प्रकार से जोन्स बनाकर आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चने के लिए आपने कहा कि मैंने कर दिया कि वह बाहर न जाय। पर जरा आप झांसी या और दूसरे बोर्डर पर जाकर देखिए कि क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जो जो कहते हैं कि हमने स्मगलिंग बन्द कर दिया, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। स्मगलिंग बन्द नहीं होती है। आप उस स्मगलिंग का केवल १/२० वां हिस्सा रोक पाए हैं? आप इसमें कितना सफल हो पाए है। हम कोई पुलिस नहीं हैं लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या हो रहा है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गल्ले की कमी अवश्य है परन्तु अगर आप यह चाहते हैं कि यह दिक्कत दूर हो जाय तो आप हर प्रकार के कंट्रोल तोड़ दें। मैं भी डरता था कि कहीं अगर कंट्रोल तोड़ दिया जाय तो चीजों के दाम और अधिक न बढ़ जायं, परन्तु तजुर्बा यह बताता है कि पहले चाहे कुछ दिक्कत हो जाय पर अन्त में स्थिति अच्छी ही होगी। आप सब खाद्य पदार्थों से कंट्रोल उसी प्रकार हटा दें जिस प्रकार माननीय रफी अहमद किदवई साहब ने हटा दिया था।

चौथी बात मैं लेवी के बारे में निवेदन करता हूं। आप हर प्रकार की लैवी समाप्त करें। गल्ला दूसरे-दूसरे मार्गों से दूसरी जगह चला जाता है। तो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली है।

पांचवी बात मैं फूड कार्पोरेशन की निवेदन करता हूं। एक खाद्यान्न निगम बनना चाहिए जो बाजार में एक व्यापारी के रूप में उतरे ताकि कंपीटिशन से माल बिके। इससे बाजार भी खुला रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप फसलों का बीमा करें। हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है कि सट्टे का काम जो होता है वह हमारी सरकार करे। उन सटोरियों को ऋण न दे। होता यह है कि हर जगह लक्ष्मी खरीद कर लेती है और खून चूसने वाले सब गल्ला खरीद लेते हैं तो मेरी यह भी राय है कि बैंक जो महाजनों को रुपया देते हैं, उस पर भी आप नियंत्रण करें।

यह सरकार, सीमेंट, खाद, अनाज पर देखे, जो चीजें बाहर से मंगाती है, कितना दुख है कि जनता के हाथ जब यह बेचती हैं तो उस पर भी मुनाफा कमाती हैं। आज अमरीका से जो गल्ला लाते हैं उससे २५ परसेंट का मुनाफा ले लेते हैं। यह मैंने अल्पकालिक व्यवस्था की ओर संकेत किया और यह इसलिए किया कि इस समय जो संकट है और आगे आने वाला है, सम्भव है वह कुछ दूर हो सके। एक बात और है आपने जो पिछले वर्षों के आंकड़े दिये उन से भी मालूम होता है कि आपने कोई उन्नति नहीं की। मुझे लगता है कि सारी नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि कीमतों के बढ़ने का एक और महान कारण है और वह है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग की वजह से जो इनफ्लेशन हुआ, आपने लिखा कि इन तीन वर्षों में मुद्रा-स्फीति २९ परसेंट हुई, इससे ज्यादा ही हुआ होगा, और १० परसेंट प्रोडक्शन की वृद्धि हुई है। तो बड़ा स्वाभाविक है कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर भी यदि हम सोचें तो वह एक कारण है महंगाई का। गल्ले की कमी है, हमारा प्रशासन भ्रष्ट है, लेकिन अगर इनफ्लेशन यदि न हो तो भी लोगों को राहत मिली। जितना आप ईंटों से दबे हुए हैं अगर एक-एक ईंट कर के भी उठायेंगे तो सम्भव है आप कुछ हल्के हो जायं। तो प्लान में आपको परिवर्तन करना है। यह दीर्घकालीन व्यवस्था की ओर मैं कह रहा हूं।

दूसरा पहलू यह है कि जो खर्चा आप कर रहे हैं वह आप बहुत-सी गैरमुनासिब चीजों पर कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप देश को सबसे बड़ा कर्जदार बनाने पर भी भोजन नहीं दे सके? इसलिए कहीं त्रुटि है आपकी नीति में, और जिस जनता का आप स्तर उठाना चाहते थे उसका जीवन स्तर घटा है। इस पर आप सोचें और अपनी नीति में परिवर्तन करें, अपने खर्चे में कमी

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

करें और जो इनफलेशन बढ़ रहा है इसको रोकें। मैं मानता हूं कि प्लानिंग में इनफ्लेशन होता है, कीमतें बढ़ती हैं। परन्तु आपके पास साधन हैं जिससे इतनी कीमतें नहीं बढ़ सकती हैं बशर्ते कि आप उसका उपयोग सही ढंग से करें। दूसरी बात यह है कि आप किसी के सामने कह कर भुलावा नहीं दे सकते कि प्रोडक्शन रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। भूमि का क्षेत्रफल सीमित है जो अधिक नहीं हो सकता। इर्रीगेशन में भी पोटेंशिएल बढ़ नहीं सकता। इसलिए केवल एक ही साधन है जिससे पैदावार बढ़ सकती है और वह है इंटेंसिव कल्टीवेशन का। इसका उदाहरण आप दूसरे देशों से ले सकते हैं। आप देखें कि अमरीका में कितने परसेंट खेती में वहां के लोग हैं। अन्य तरीके उन्होंने जहां अपनाए वहां इंटेंसिव कल्टीवेशन भी एक है जिससे काफी राहत मिलती है। इसलिए इस पर आप विचार करें। आपके यहां का किसान बड़ा कंजरवेटिव है, आपकी स्थिति ऐसी हो गयी है कि किसी जमाने में वह गोबर से अपना खेत पाय देता था। सैकड़ों आदमी पत्तियां जलाते हैं और जिनके पास जानवर हैं वे उसकी खाद बनाते हैं। मेरा कहना यह है कि उत्पादन के कई तरीके हैं लेकिन उनमें से इंटेंसिव कल्टीवेशन और उर्वरक प्रमुख हैं। आप उर्वरक की मात्रा बढ़ायें और किसान को सस्ते दामों पर दें। लेकिन उस में भी आप फायदा उठाते हैं। मैं कहूंगा कि ऐग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जितना सब्सीडाइज करने की इस समय आवश्यकता है उतना किसी दूसरी इंडस्ट्री को सब्सीडाइज करने की नहीं है। अगर गरीब किसान को सस्ती खाद दी जाय तो अच्छा रहेगा। आज खेती की क्या स्थिति है इसको आप देखें। आपके जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक्स हैं यह कुछ नहीं करते हैं। इनके द्वारा खेती की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया जाता है। खाद का बटवारा भी ठीक समय पर नहीं होता है और अगर किसान को खाद मिलती भी है तो उसको कोई बताता नहीं कि उसकी कैसी स्वायल है और उसमें किस तरह से खाद डालनी चाहिए। मैंने आंकड़े इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ, कि गत वर्ष कितने आपने उर्वरक दिए हैं। गरीब किसानों को कितना उर्वरक मिला है। स्थिति यह है कि उनको कम मिलता है। अतः मैं चाहूंगा कि उनको कम से कम दाम पर दीजिए।

दूसरी बात उन्नत बीज की है। बीज भी कम दाम पर दिया जाय, इससे भी फिर किसान छुट्टी पायेगा। फिर सिंचाई का प्रश्न है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ें। उसके लिए अच्छी सिंचाई, अच्छा उर्वरक चाहिये। स्थिति यह है कि माइनर इर्रिगेशन के जरिए सिंचाई घटी है। सिंचाई का क्षेत्रफल जो है वह पहले से काफी घटा है क्योंकि कहीं ट्यूबवैल बेकार पड़े हैं और कहीं नहरें बेकार पड़ी हैं। पानी है तो बिजली नहीं है और बिजली है तो पानी नहीं है और अगर दोनों है तो पैसा नहीं है। माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स को आपने अपने हाथ में लिया है लेकिन आप उनको सुचारु रूप से चालू कीजिए ताकि अनाज अधिक पैदा हो सके। इसके अलावा जितनी सिंचाई की दर कम हो सके की जाय। इसके अलावा जो किसान खेती करता है वह ब्याज पर रुपया लेता है। जितनी सस्ती दर पर आप रुपया उसे दे सकें उसे दें। कितने दुख की बात है कि केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को १ वर्ष से अधिक समय के लिए खाद देती है जिसके लिए आपको सूद नहीं देना पड़ता लेकिन जब वह खाद किसानों को दी जाती है तो उनके हाथ में वह पहुंचती भी नहीं, जिस दिन टेंडर इन्वाइट किए जाते हैं, उसी रोज से आप सूद लगाना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट्स से आप ३ परसेंट सूद लेते हैं लेकिन किसानों से सवा ९ परसेंट सूद लिया जाता है, इसे आपको कम से कम करना चाहिए ताकि किसान महाजनों के चंगुल से बच सके और वह ठिकाने से खेती कर सके।

तीसरी बात यह है कि प्राइस फिक्सेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। वैसे यह विवाद-ग्रस्त विषय है। जब प्राइस की बात हम करते हैं तो शहर और देहात दोनों की बात देखते हैं। जिनके पास पैसा है उनकी बात और जिनके पास नहीं है उनकी बात भी देखते हैं। हम चाहते हैं कि किसान को ऐसी प्राइस मिलना चाहिए जिससे खेती करने वाले को प्रेरणा मिले। मैंने जब अध्ययन किया तो यह देखा कि हम कहां से प्रेरणा लें? नार्वे और स्वीडन में देखा।

वहां फार्मर्स अपना एक प्रोपोजल रखते हैं। फिर गवर्नमेंट तथा फार्म्स आर्गनाइजेशंस में नीगोशिएशंस होते हैं और तब प्राइस तय होती है। फ्रांस में सरकार, प्रौफशनल्स मिल कर प्रोपोजल रखते हैं और फिर हाई पावर कमेटी उन प्रोपोजल्स को देख कर प्राइस फिक्स करती है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

टाइम फिक्स कर दिया जाय ताकि हर एक को समय मिल सके।

श्री अधिष्ठाता—

पहले इनको बोल लेने दीजिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं कह रहा था कि आपको दूसरे देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जैसे फ्रांस, नार्वे तथा स्वीडन से जहां सरकार, खेती करने वाले तथा व्यवसाय करने वाले अपने अपने प्रोपोजल्स रखते हैं और प्राइस फिक्सेशन हो जाता है। यहां किसान को महाजनों के हाथ में और साहूकार के हाथ में दिल देना पड़ता है। आपका कर्त्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। हम एक बात कहते हैं उसके ऊपर श्रीमन्, ध्यान दिया जाना चाहिये। कैसे प्राइस फिक्स की जाय, इसके अनेक तरीके हैं? उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन पर ही केवल ध्यान नहीं दिया जायगा बल्कि उन चीजों का भी तारतम्य देखना होगा जिनको हमारा किसान खरीदता है। जितना अन्य कामों में वह पैदा करता है उससे अधिक खेती में पैदा करे। जब इस तरह की हम स्थिति किसानों के सामने रख देंगे तभी किसान खेती करने के लिये उत्साहित होगा। आजकल स्थिति यह हो गई है कि बहुत से लोग अपनी खेती को दूसरे को दे देते हैं और इसलिये दे देते हैं कि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि खेती से उन्हें अट्रैक्टिव प्राइस नहीं मिलती है। जब सरकार खेती की कीमत किसान को इतनी दिलायेगी जिससे उसको इतना लाभ हो सके जितना दूसरी जगह रुपया लगाने पर उसको होता था, इससे ज्यादा जब उसको खेती में लाभ होगा तभी उसको अधिक खेती करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरी बात की तरफ हमारी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमारे यहां जो खेती करने वाला समुदाय है, उसके बारे में मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जो आजकल देहात के लोग हैं उनको हमारे अनुसंधानों का पता नहीं चल पाता है। जैसे हम चाहते हैं कि नये तरीके से हमारे यहां खेती हो उसका ज्ञान किसान को नहीं हो पाता है। आपके जो कम्यूनिटी डेवलपमेंट आफिसर्स हैं वे किसानों को कुछ नहीं बताते हैं। जो खेती करने के नये रास्ते निकलते हैं वे उनके पास तक पहुंचते नहीं हैं। जो लाभ हम उनको देना चाहते हैं वह उन तक पहुंच नहीं पाता है। मेरी आप से प्रार्थना है कि इस पर अधिक रुपया खर्च होना चाहिये कि जो हमारे यहां खेती के मामले में नये अनुसंधान हों उनको किसानों तक पहुंचाया जाय। इन शब्दों के साथ मैंने अपने विचारों को रखा है। मेरे कुछ भाई बड़े उतावले हो रहें हैं कि उनको भी समय मिलना चाहिये और मेरा भी यही विचार है कि उनको भी मौका अवश्य मिलना चाहिये।

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पापूलेशन का जो विषय है उसके संबंध में मुझे दुख होता है। दूसरे देशों के संबंध में मैंने पढ़ा है कि जो पापूलेशन ज्यादा बढ़ाता है उसको इनाम मिलता है लेकिन अपने यहां इसके विपरीत है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पापूलेशन विषय ऐसा है कि यह एक बड़ा डिबेटेबिल विषय है। इसके संबंध में लोगों की भिन्न-भिन्न राय हैं। आप लोग यह क्यों सोचते हैं कि जब पापूलेशन कम करेंगे तभी खाद्य समस्या पूरी हो सकेगी। दूसरे देशों मे लोग पापूलेशन को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। उनका मतलब यह रहता है कि पापूलेशन के रेट से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। हम मानते हैं, मुमकिन है कि विचार भिन्न-भिन्न हों। जो तरीका निकाला जा रहा है उसके संबंध में किसी और समय पर कहूंगा। इतना अवश्य कहूंगा कि इसकी आड़ में शरण न लें और प्रोडक्शन बढ़ायें। आजकल

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

की समस्या के लिये जो मैंने प्रस्ताव रखा है और दीर्घकालीन समस्या के लिये जो प्रस्ताव रखे हैं उनके ऊपर सरकार विचार करे और वह यह न सोचे कि यह चीज विरोधी दल के मुंह से निकल रही है बल्कि कंस्ट्रक्टिव रूप से इसको माने। मुझे विश्वास है कि सरकार इनको उचित समझेगी तो जरूर मानेगी ।

(श्री राधेश्याम शर्मा के खड़े होने पर) ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि समय निर्धारण हो जाय तो अच्छा है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, हमारे बाद समय निर्धारित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

सदस्यों के लिये १५ मिनट और नेताओं के लिये २५ मिनट होने चाहिये क्योंकि काफी लोग बोलेंगे इसके ऊपर ।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, खाद्य समस्या पर दो भाषण हुये उन दोनों भाषणों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना और जो कागज माननीय खाद्य मंत्री ने बांटा उसको भी पढ़ा । उस कागज में चर्चा यह है कि इस साल उत्पादन बढ़ा है । और १४८ लाख टन उत्पादन हो गया है । और उस कागज में लिखा है कि औसतन १४ आउंस फी व्यक्ति आता है । पर माननीय मंत्री शायद यह बात भूल गये कि जितना अनाज पैदा हुआ है उसमें से पौने सात फीसदी बीज के काम में आने वाला है और ६ फीसदी पशुओं के काम में आता है और ५ फीसदी वेस्ट हो जाता है । तो १७ प्रतिशत कम करके औसत १२ आउंस आयेगा । लेकिन जो राशन हम देते हैं ८ किलो फी व्यक्ति हैं, ज्यादा से ज्यादा वह च र आउंस आता है और ५१-५२ के जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें औसत १६ आउंस आता था । फेमीन कमीशन के जो आंकड़े हैं, १८८० के, उसमें औसत २६ आउंस है । तो यह अन्न का विषय सारे देश के लिये चिन्ता का विषय हो गया है, इस कारण से और भी कि सरकार अभी तक इसका मुकाबला करने मे असमर्थ रही है । इसलिये लोगों में बेचैनी हो जाना स्वाभाविक है । पारसाल जब बहस हुई थी तो भाव आज से अच्छे थे । बीमार पुराना हो गया तो बीमारी का आदी हो गया । यह चर्चा भी इस कागज में है कि और मुल्कों में इससे कम अन्न की खपत हुई है । अमेरिका का मुकाबला करें तो अमेरिका में साल भर भारतवर्ष के मुकाबले में ११८ पाउंड कम खर्चा होता है, गेंहूं और दूसरे अनाज का, लेकिन १३०८ पोंड और चीजें ज्यादा खर्च हुई । और मुल्कों का क्या मुकबला करें ? वह तो बहुत पैसे वाले मुल्क हैं। हमारे यहां जब सन् १९४० में आन्दोलन चला तब यह भी चला कि संतुलित भोजन क्या होना चाहिये । बापू जी ने इस सवाल को उठाया । भारतवर्ष का न्युट्रिशन बोर्ड बना । उसने जो आंकड़े दिये हैं उनको भी देखने से मालूम होगा कि पत्ते वाली सब्जी कितनी कम खाते हैं उससे पांच गुनी ज्यादा होनी चाहिये और गोश्त २०, ३० गुना ज्यादा होना चाहिये । अभी लोकनाथन समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है । उसमें लिखा है कि ६ करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आमदनी ४२ रुपये से कम है । अगर अन्न मौजूद भी हो तो ४२ रुपये वाला क्या खायेगा ? यह बात जानने के योग्य है । यह प्रश्न इतना पेचीदा हो गया कि इसका हल बड़ा कठिन मालूम होता है । और दुर्भाग्यवश जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो वितरण की चर्चा करते हैं। माननीय मंत्री जी का ताल्लुक वितरण से है, अन्न पैदावार के आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अन्न की समस्या का हल केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वितरण नहीं है, उत्पादन है,। उत्पादन बढ़े, अन्न ज्यादा पैदा हो। मगर इस मुल्क में इसका हल उत्पादन न होकर आयात रहा है। हमने सन् १९५१ से लेकर १९६१तक १,५०० करोड़ रुपये का अन्न बाहर से मंगा कर खाया। अच्छा होता कि इतना पैसा हम किसानों को देते तो उससे और ज्यादा अन्न पैदा होता। माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि हमारी पालिसी प्रोकिसान है। होना भी चाहिये, अगर यह पालिसी है तो उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें है जो उस पालिसी में सन्देह पैदा करती हैं। ऐन्टी होर्डिंग आर्डिनेन्स की चर्चा की गयी प्रदेशों में किसानों के लिये आर्डर था कि तुम डिक्लेयर करो कि इतना अनाज हमारे पास है लेकिन यहां की सरकार ने जो अपने को प्रोकिसान कहती है ऐसा आर्डर न देकर कहा कि तुम अपना अनाज सरेंडर कर दो, यह बात कुछ असंगत सी मालूम होती है। यह खेद की बात है कि गेंहूं का बीज मिले १०४ रुपये क्विंटल और पैदा होने पर उसे ७४ रुपये क्विंटल का दाम मिले। जो गेंहूं पैदा हुआ उसका भाव ४७ से ५१ रुपये तक चले तो इसका मतलब यह हुआ कि बीज मंहगा और गेंहूं सस्ता। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा उन्होंने यह कर दिया है कि यहां से चना बाहर न जाय। अब क्या जायगा, चने की फसल हुई अप्रैल में और अब यह बात की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने भी इस कागज में लिखा है कि चूंकि सरसों और अरहर पर कंट्रोल नहीं है और किसान इसको बेचेंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जायगी कि वह बाकी अनाज को रोक ले। उत्तर प्रदेश के किसान की हालत पंजाब से अच्छी नहीं है लेकिन पारसाल पंजाब में जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट है कि फसल पाने के पहले तीन महीने के अन्दर किसानों ने ३८ प्रतिशत अनाज बेचा था और भारतवर्ष भर के आंकड़े यह हैं कि सरप्लस अनाज किसानों के पास २५–३१ प्रतिशत के बीच था। ये दोनों बातें ऐसी हैं जिनकी कोई दलील समझ में नहीं आती। और इससे यह कहना गलत है कि किसान अनाज को रोके हुये हैं।

भावों की चर्चा भी करने योग्य है। जब भाव बढ़ता है तो मिनिमम प्राइस फिक्स की जाती है। यह तो उसी तरह की बात हुई कि अगर कहीं आग लगे तो कोई आग लेकर खड़ा हो जाय कि जब आग बुझे तो मैं फिर आग दे दूंगा, या कहीं कोई पानी में डूब रहा हो तो कोई पानी लेकर खड़ा रहे कि जब वह पानी में से निकले तो मैं उसे पानी दे दूंगा। इकोनामिक्स की किताबों में तो हमने वही लिखा हुआ पढ़ा है कि गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिये मिनिमम प्राइस और चढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये मैक्सिमम प्राइस फिक्स करते हैं लेकिन आपके यहां उल्टा ही हो रहा है। चढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये मिनिमम और गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिये मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया गया है। यह बिल्कुल गलत और अव्यावहारिक है। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसी कीमतें मुकर्रर करें जिससे किसानों को वास्तव में नफा हो।

चार साल हुये पूना में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आये हुये थे। उस सेमिनार में चर्चा थी कि क्या कारण है कि देश में अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ता। एक बात यह आयी कि कारण यह है कि जो बीज, जो खाद और जो पानी किसान को उपलब्ध है वह उसे अन्न के उत्पादन में न लगा कर कैश क्राप्स के उत्पादन में लगाता है। मिस्टर कैलवन एक एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि अगर किसान एक टन खाद लगाये तो तीन महीने में २ टन अनाज पैदा हो जायगा यानी अनाज की खाद लगाने से डबल पैदावार हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि गन्ने में खाद लगाने से ५ गुनी पैदावार हो जाती है। तो किसान क्या पागल है कि जहां ज्यादा पैदा होगा वहां न लगाकर खाद वहां लगावेगा जिसकी पैदावार कम होती है। तो कीमतों को ऐडजस्ट नहीं करोगे तो अन्न का पैदावार मंहगा रहेगा और अन्न की पैदावार कम रहेगी। अन्न की पैदावार बढ़ाने का एकमात्र उपाय यह है कि अन्न का पैदा करना उतना ही लाभदायक कर दो जितना गन्ने वगैरह का पैदा करना है। अगर यह आप सोंचे तो मसला कठिन होते हुये भी सुलझ सकता है लेकिन यहां उल्टा चलते हैं। असल में बात यह है कि इस कांग्रेस की सरकार को अगुआ होना चाहिये लेकिन अगुआ न रहकर यह पीछे पीछे चलती है। पारसाल एक हाई पावर कमेटी बैठी और दिसम्बर के महीने के बाद हाई पावर कमेटी की राय पर गवर्नमेंट ने कहा कि गन्ने का रेट

[श्री फूलसिंह]

२ रुपये मन से मिलों में नहीं बढ़ेगा। तो सरकार ने कहा कि हम गन्ने का दाम नहीं बढ़ायेंगे। उस कमेटी की राय के बावजूद कुछ मिलों ने कहा कि हम ज्यादा दाम देने के लिये तैयार हैं। २ रुपये ५ आने मन गन्ने का दाम मिलने लगा। सरकार ने कहा कि ठीक कदम है। जब सरकार ने कहा ठीक कदम है तो पश्चिमी जिलों की मिलों में हड़ताल हुई और हड़ताल होकर वहां दाम बढ़ गये लेकिन हड़ताल के फलस्वरूप १ लाख टन चीनी की कमी पड़ी। तो सारे मसले पर फिर से विचार करें। यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह कांग्रेस का सवाल नहीं है यह देश का सवाल है, दोबारा सोचे कि कहां गलती है। मैं दो-चार मोटी बातें कह देना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने कागज में लिखा है कि हम २२ हजार टन अनाज मिलों को देते हैं लेकिन हमको १७ हजार टन आटा मिलों से मिलता है। हम लोग चक्की पर अनाज पिसाते हैं तो जितना अनाज देते हैं करीब-करीब उतना ही हम को आटा मिलता है। सूजी और मैदा की बात कही गयी। सूजी और मैदे वाले तो बिना सूजी और मैदे के रह सकते हैं लेकिन पेट भरे बिना तो नहीं रहा जा सकता। तो हमें जरा सोच-समझ कर काम करना चाहिये। गैंदासिंह कमेटी बैठी थी, उसने यह सिफारिश की है कि जितनी आटा मिलें हैं उन सब का इन्तजाम खराब है और इनको महज पिसाई के लिये आटा देना चाहिये। लेवी की बात चावल पर कही जाती है। बहुत गलत तरीका है कि मिल वाले को जितनी इच्छा हो बतावे, सौ मन बेच दें, और बता दे ५ मन और अपना पेट भर लें। सीधा तरीका है जितना मिलों को दो उतना उनसे ले लो। यह क्या बात है कि गल्ले वाले मौज करें और गरीब लोग भूखों मरें। शुगर के मामले में कहा जाता है कि सरकार को बहुत दिलचस्पी है। जितना आप बेचते हो उससे ज्यादा ब्लैक मार्केट में शकर बिकती है। हलवाइयों को आप शकर देते हैं। उसका १ बटा १० उनको रिक्वायरमेंट है और बाकी शकर वह ब्लैक मार्केट से बेच देता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं ?

श्री फूलसिंह—

शकर वितरण भी देखिये। २० हजार या १० हजार टन शहर वालों के लिये तो ५ हजार टन गांव में जाता है। सोचने की बात है कि जिसने गन्ना पैदा किया है वह तो खाने को न पावे लेकिन जिन्हें इससे मतलब नहीं है चाहे जमीन से आवे चाहे आसमान से वह खूब खायें। तो आप रिवोल्यूशनरी तरीके से सोचिये और नया रास्ता बनाइये। राशनिंग के विषय में आपने कहा कि देहातों में हम राशनिंग नहीं कर सकते। अगर देहात में राशनिंग नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई चल नहीं सकती। जिन लड़कों को फौज में भेजा गया है, जो बार्डर पर काम करते हैं क्या उनकी औरतें भूखों मरेंगी। उनके बाल-बच्चों का आपको इन्तजाम करना होगा। जो आपके प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं वह कहां से खायेंगे ? अगर आपको देश की रक्षा करनी है और ऐसे लोगों से काम लेना है तो उनका प्रायोरिटी देनी चाहिये। जो फौज में काम करने वाले हैं उनका इन्तजाम करना चाहिये। उत्पादकों की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को बदलना होगा। मैं इन बातों को कहकर आपसे निवेदन करता हूं कि जितनी बातें मैंने यहां पर कही हैं उन पर आप विचार करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातः जब यहां का एजेन्डा मिला तो उसके साथ माननीय खाद्य मंत्री जी का वक्तव्य भी मिला ? मैंने उसको एक बार नहीं बल्कि दो बार ध्यान पूर्वक पढ़ा और यहां पर उनका भाषण भी ध्यानपूर्वक सुना। अन्न की कमी का जो मुख्य कारण आपने अपने वक्तव्य में बतलाया है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार उनको गेहूं नहीं दे रही है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंजाब सरकार से गेहूं नहीं आ पा रहा है और नेपाल सरकार से जो धान और चावल आता था वह बन्द हो गया यह उन्होंने मुख्य कारण बतलाये आज के अन्न संकट के । सारांश में यह उनके भाषण में है कि चूंकि दूसरे प्रान्त के लोग, दूसरे देश के लोग उत्तर प्रदेश को खाने के लिये अन्न नहीं देते हैं इसलिये भूखों मर रहें हैं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना का मैदान खेती के लिये इतना विस्तृत क्षेत्रफल है कि शायद ही संसार में दूसरा हो । वहां के खाद्य मंत्री यह शिकायत करें कि हमारे यहां बाहर से गल्ला नहीं आता है इसलिये हम अन्न की व्यवस्था नहीं कर पा रहें हैं यह ऐसी सरकार के लिये इस प्रदेश के रहने वालों के लिये बड़े अपमान की बात है। श्रीमन्, मुख्य कारण जो अन्न संकटों का है वह खाद्य मंत्री के वक्तव्य का प्रथम वाक्य है जिसमें वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में १९६४–६५ का उत्पादन सन्तोषजनक रहा । यह सन्तोष की भावना जो उन्होंने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत की है यही आज अन्न संकट का मुख्य कारण है । मैं बतलाना चाहता हूं कि उत्पादन कितना संन्तोषजनक रहा है उस पर आप ध्यान दें । १९६०–६१ मे दूसरी योजना के समाप्त होने पर अनाज का उत्पादन १४२.५७ लाख टन था । तीसरी योजना के लिये लक्ष्य अनाज का १८२.८६ लाख टन का था अर्थात् कुल वृद्धि का जो लक्ष्य था ४०.४३ लाख टन का था । उसमें ४ वर्ष के उपरान्त तीसरी योजना के ४ वर्ष के चलने के बाद ४०.४३ लाख टन लक्ष्य था जिसमे ५.४३ लाख टन प्राप्त हुआ । इस पर इनको बहुत सन्तोष है कि हमने बहुत प्रगति कर ली है । लक्ष्य २३.४ प्रतिशत इन्होंने ४ वर्ष में प्राप्त किया है फिर भी सन्तोषजनक इसको बतलाते हैं । इस प्रदेश का जो लक्ष्य निश्चित था तीसरी योजनामें वह इस प्रदेशकी आबादी और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये किया गया था और जितना ही हम उस लक्ष्य से दूर हैं उतना ही इस प्रदेश में कमी है । १८२ लाख टन में १४२ लाख टन अगर प्राप्त हो गया तो उनको बहुत सन्तोष हैं श्रीमन्, मैं इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि आखिर यह उत्पादन कम क्यों है । पिछले वर्ष तो यह बात कही गयी थी कि दैव का प्रकोप हो गया । इस वर्ष भी कहा कि दैव का प्रकोप आने वाला है, लेकिन पिछले वर्ष तो बहुत अच्छा मौसम रहा । इस वर्ष का यह परफारमेंस है जो मैंने आपको बतलाया । लेकिन अगर आप दैव की बातों को छोड़ दें और यह देखें कि सरकार ने क्या किया है तो उस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । तृतीय योजना में १,४८८ लाख रुपया कृषि उत्पादन की योजना पर व्यय होना चाहिये था । पहले तीन वर्षों में यह केवल ५९० लाख व्यय कर पाये हैं । व्यय का लक्ष्य पहले तीन वर्षों में ४० फीसदी हो सका है । अन्त में जो यह अनुमान लगाते हैं कि इतना हम व्यय कर लेंगे सन् १९६५–६६ तक उस को भी आप सुने । बीज के फार्मों के खुलने पर जितना धन लगने की बात थी उस का ५४.६ प्रतिशत आशा की जाती है कि पैंसठ छांछठ तक व्यय हो जायेगा । कामर्शियल फार्स, हार्टिकल्चर इत्यादि पर जितना व्यय करने का लक्ष्य था उस का ७७ प्रतिशत आशा की जाती है कि वह अन्त तक व्यय कर सकेंगे और कृषि अनुसंधान पर जो धन निर्धारित था उसका ६१.७ प्रतिशत यह आशा करते हैं कि हम व्यय कर पायेंगे । वास्तव में उन्होंने अभी व्यय केवल ३० प्रतिशत किया है । श्रीमन् मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि अनुसंधान पर जितना पैसा खर्च होता है उसका अधिक से अधिक लाभ मिलता है । यह दूसरे देशों के भी नतीजे निकले हैं । अमरीका जैसे देश ने भी इस बात को माना है कि जितना पैसा कृषि अनुसंधान पर व्यय किया जाता है उसका सबसे अधिक रिटर्न राष्ट्र को मिलता है, लेकिन इस कृषि प्रधान प्रदेश के लिये ५०१ करोड़ की तृतीय योजना में केवल १.६ लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ रखा ही गया था और वह भी व्यय नहीं किया जा सका। श्रीमन्, दैव को तो दोषी ठहराया जाय तब जब अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया जाय और जैसा मैंने इन आंकड़ों से बतलाया कि यह सरकार की अकर्मण्यता है, इसकी इन्एफीशियेन्सी है, इस का अपने विभागों पर कंट्रोल न होना है कि जो रुपया निर्धारित था वह भी कृषि पर खर्च नहीं हो सका है ।

श्रीमन्, आप समय थोड़ा ही देंगे इसलिये मैं कृषि के विषय को दूसरे अवसर पर लूंगा । मैं सन ६२ से अपने मंत्री जी की बातें सुनता रहा हूं । हम आज तक यह नहीं समझ पाये कि मंत्री जी समाजवादी हैं अथवा भाग्यवादी हैं । मंत्री जी किसानों के मित्र हैं या व्यापारियों के

[श्री भानुप्रताप सिंह]

हितैषी हैं। मैं यह भी नहीं समझ पाया कि वह स्टेट ट्रेडिंग के हिमायती हैं या स्वतंत्र व्यवस्था के? और उनको कहूं क्या! श्रीमन्, मैं इस सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि क्या तीन तीन योजनायें समाप्त होने के बाद जब कि १५ वर्षों से नियोजन का काम इस देश में चल रहा है, परन्तु आज हमारे केन्द्रीय खाद्य मंत्री इस बात को आवश्यकता महसूस करते हैं कि इस राष्ट्र के लिये एक खाद्य नीति की भी आवश्यकता है। और उसे निर्धारित किया जाय। जो सरकार अपने को समाजवादी कहती है, जो नियोजन में विश्वास करती है, उसको १५ वर्ष लग गये केवल यह अनुमान करने में कि एक राष्ट्रीय खाद्य नीति की आवश्वकता है और हम को बड़ी आशा थी कि बंगलोर में कोई खाद्य नीति स्पष्ट रूप से राष्ट्र के सामने आयेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, न कुछ नतीजा निकला। हमारे खाद्य मंत्री जी, जब इधर के समाजवादी उन पर आरोप लगाते हैं तो बड़े जोश से कहते हैं कि मैं तो स्टेट ट्रेडिंग का हामी हूं और चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग और राशनिंग लागू कर दी जाय। लेकिन मैं कहता हूं कि वह उस हद तक जाने के लिये तैयार नहीं हैं जहां कि एक स्वतंत्र पार्टी का एक खाद्य मंत्री जाता। उन्होंने पता नहीं स्वतंत्र पार्टी की बात को क्या समझा है? कहते हैं कि स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था में कोई नियंत्रण नहीं होगा। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि जब मुनाफाखोरी एक हद से ज्यादा होगी तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आज तक इस सरकार ने अधिकतम मूल्य घोषित नहीं किये हैं? कौन सी बाधा है कि अधिकतम मूल्य निश्चित नहीं कर दिये गये हैं? श्रीमन्, बाधा क्या है? बाधा यह है कि किसानों के साथ यह वास्तव में न्याय नहीं करना चाहते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि किसानों के लिये उचित मूल्य निश्चित करो तो हमको साफ जवाब नहीं मिलता। उचित मूल्य उत्साहवर्धक मूल्य, यह सारी बातें हम सुनते चले आये हैं लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सरकार उचित मूल्य किस आधार पर निश्चित करती है। एक प्राइस कमीशन बैठाया गया। बहुत परदे के अन्दर वह काम करता रहा। मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़नी चाही। यहां तो मिली नहीं, लोक सभा के अपने सदस्यों से कहा तो उत्तर यह मिला कि उस रिपोर्ट को देना जनहित में नहीं है। श्रीमन्, यह कृषि वस्तुओं के मूल्यों का विषय इस देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्धित है चाहे वह उपभोक्ता हो अथवा उत्पादक और इस विषय पर निर्णय परदे के पीछे लिये जाते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। हमारी यह मांग है कि एक कृषि मूल्य निर्धारण बोर्ड की स्थापना हो जो उन सिद्धान्तों को घोषित करे जिनके अनुसार मूल्य निश्चित किये जाते हैं और प्रत्येक उपभोक्ता या व्यापारी या उत्पादक वर्ग को यह अवसर दिया जाय कि अपनी अपनी बात उसके सामने वह रखें और फिर उसके बाद खुले आम निर्णय हो कि क्या उचित मूल्य है। आज जो यह मूल्य निश्चित करते हैं उसका न तो कोई उत्पादन के व्यय से संबंध है और न दूसरी वस्तुओं के प्रचलित भावों से संबंध है। श्रीमन्, खाद्य मंत्री जी ने कहा कि हम तो किसानों के बड़े हमदर्द हैं। उनकी हमदर्दी का सबूत इन मूल्यों से मिलता है। संभवतः वह इसको बड़े अभिमान की बात समझते हैं कि उनकी सरकार ने अभी सपोर्ट प्राइसेज निश्चित की हैं। श्रीमन्, मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा, केवल धान की पढ़ता हूं। ३५ रुपये प्रति क्विन्टल सरकार ने उचित समझा है और इसको सपोर्ट देने का विधान किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वास्तविक स्थिति से इसका क्या सम्बन्ध है? इस समय बाजार में १०० रुपये से लेकर १३० रुपये तक है चावल का मूल्य, और अगर इसे धान में कन्वर्ट किया जाय तो वह साढ़े ६२ से ८० रुपये प्रति क्विन्टल आता है। जब कि खुले बाजार में भाव साढ़े ६२ से ८० रुपये तक हो तो सरकार कहती है कि हमने प्राइस ३५ रुपये प्रति क्विन्टल कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सपोर्ट की क्या आवश्यकता थी और इसमें जो सरकार ने कामयाबी का काम किया है उसे कहने की क्या जरूरत थी।

मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल यह बतलाना चाहता हूं कि किस दिशा में चल कर एक अच्छी खाद्य नीति बन सकती है। श्रीमन्, जैसा मैंने पहले कहा, एक निष्पक्ष बोर्ड की स्थापना होनी चाहिये और उस का यदि कोई नमूना मंत्री जी जानना चाहते हैं तो मैं उनको

बतलाना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया में गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिये जिस प्रकार का बोर्ड बना हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज बैठते हैं और एक बार उसकी नियुक्ति हो जाने के बाद सरकार भी उसको हटा नहीं सकती। वह हर प्रकार से सरकार से स्वतंत्र रह कर काम करता है। इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना की जाय। वह अपने सिद्धान्त स्थिर करे और उसके बाद सब की सुनवाई हो और फिर उन सुझावों के अनुसार मूल्य निश्चित हों। एक बार मूल्य निश्चित हो ज ने के बाद जो कि सभी के लिये न्यायपूर्ण होंगे, उसके बाद सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि उससे साढ़े १२ फीसदी कम या उससे साढ़े १२ फीसदी ज्यादा, इसके बीच के भाव जब तक रहेंगे सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन साढ़े १२ फी सदी कम होने पर सरकार का यह कर्तव्य हो जायेगा कि वह किसान का गल्ला खरीद ले। दूसरी तरफ सरकार यह भी घोषणा करे कि निश्चित मूल्य से साढ़े १२ फीस दी से अधिक मूल्य होने पर बेंचने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जायेगी। दूसरी तरफ सरकार यह भी घोषणा करे कि सरकार का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय, चाहे वह उपभोक्ता हो, चाहे उत्पादक हो, यदि सरकार चाहेगी तो, उसकी आवश्यकता के लिये अनाज को छोड़ कर दूसरे सारे अनाज को वह उचित मूल्य पर ले लेगी। मैं यह नहीं चाहता कि किसान इतना मुनाफा ले कि शहर वाले कष्ट के साथ जीवन व्यतीत करें। श्रीमन्, इसके लिये दो ही रास्ते हो सकते हैं, एक तो यह कि सरकार एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर उस पर उसे बेंच दे या बनिये के हाथ बेंच दे। बनिया फिर उसे अधिक मूल्य लेकर बेंचेगा। फिर ईमानदार किसान के लिये भी कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इसलिये मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि देश में खाद्य संकट दूर हो तो आप किसानों को सद्भावना के साथ अपने साथ लें, किसानों की सलाह से अपने मूल्य निर्धारित करें और किसानों से ही सीधा सम्पर्क स्थापित करके अनाज की खरीदारी करें। लेकिन जब तक आप इस तरह से मूल्य निश्चित करते रहेंगे कि ३५ रुपये क्विन्टल धान की कीमत हो, तो उससे यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिये मैं बड़ी गम्भीरतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि खाद्य मंत्री जी इन मूल्यों के आधार पर या अन्य कोई मनमाने ढंग पर निश्चित किये हुये मूल्यों पर उगाही करेंगे तो स्वतंत्र पार्टी उसका विरोध करेगी, और मैं समझता हूं प्रत्येक किसान उसका विरोध करेगा और यह आपकी योजना चल नहीं सकेगी।

अब मैं मिट्टी के तेल और सीमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। क्यों यह स्थिति उत्पन्न हुई? इसका कुछ तो संबंध भारत सरकार से है, उसकी गलती है, लेकिन कुछ इस सरकार की भी है। किसानों के लिये ट्रैक्टर आदि चलाने के लिये भी मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसके लिये आप तेल की व्यवस्था नहीं करेंगे तो अन्न संकट और भी भीषण हो जायेगा। आपने कहा कि जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि कृषि से संबंधित जितने काम हैं उनके लिये किसान को तेल दिया जाय। किसान के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह ३०-४० मील से हर पन्द्रहवें दिन चल कर जिलाधीश या सप्लाई आफिसर के पास आये और परमिट ले, फिर परमिट मिलने के बाद भी यह आवश्यक नहीं कि उसे तेल मिल ही जाय, सीमेन्ट मिल ही जाय। इसलिये मैं चाहता हूं, यदि सचमुच में आप किसानों को सहायता करना चाहते हैं तो उसके लिये आप यह करें कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार, तथा अपनी क्षमता के अनुसार, आप उनको एक परमानेंट परमिट दे दें ताकि वह उसको समय-समय पर प्राप्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था न होने से हम लोगों की बहुत ही कठनाइयां बढ़ जायेंगी। जो सूखा पड़ा है उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि समय से इंजनों के लिये तेल नहीं मिला है। हमारे माननीय सदन के सदस्य इस बात को भी समझें कि वास्तव में अन्न के मूल्य की वृद्धि सभी चीजों के मूल्यों में वृद्धि का एक अंग है। पिछले ३ वर्षों में इस देश का उत्पादन १० प्रतिशत से भी कम बढ़ा है जब कि नोट छाप कर सरकार ने ३३ फीसदी बढ़ा दिये हैं। ऐसी स्थिति में मूल्यों की वृद्धि होना स्वाभाविक है। मेरे पास ५१ से जून, ६५ तक के आंकड़े मौजूद हैं, जिनको

[श्री भानुप्रतापसिंह]

पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। ये सरकार के एकानामिक इंटेलीजेंस और स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हैं। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि जो यह इतना शोरगुल है कि अनाज के भाव बहुत बढ़े हुए हैं, यह ग़लत है क्योंकि इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि अनाज के भाव दूसरी चीजों के भाव की तुलना में कम ही बढ़े हैं। किसानों को मूल्य मिल रहा है उसका सूचकांक १५१.३ है और जो कृषि से भिन्न वस्तुयें हैं उनका १५९.३ है। वास्तविकता तो यह है कि इस देश की शहरी जनता ने आज तक किसानों की कमाई पर जिन्दा रहना सीखा है। वह इस बात की आदी हो गई थी कि किसान अपना अपना पेट काट कर इनका पेट भरे। यह स्थिति अब चल नहीं सकती है। शहरवालों को यह समझ लेना चाहिये। साथ ही मैं यह भी नहीं कहूंगा कि शहर वालों को कष्ट हो लेकिन आप इस पर भी ध्यान दें कि किसान वर्ग सबसे दरिद्र वर्ग है और उससे यह आशा की जाती है कि वह शहर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों और जिनकी २, २ और ४, ४ हजार रुपये तनख्वाह हैं उन्हें सस्ता गल्ला दें। मैं यह समझ सकता हूं कि जिनकी तनख्वाहें १००, २०० रुपये हैं उनकी सहायता होनी चाहिये और सरकार उन्हें सबसीडाइज करके गल्ला दे। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि अगर एक बार आप समानता के आधार पर किसानों को उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करदें तो उसके बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। वह केवल यह चाहता है कि उसके साथ मूल्य के विषय में न्याय हो।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से मुस्लिम नियंत्रण में रखने के नाम पर फैलाई जाने वाली पाकिस्तानी भावनाओं और तनाव के वातावरण के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

यह नियम ५३ हमारा भी था लेकिन नोटिस में केवल टम्बेश्वरप्रसाद का ही नाम छपा है।

श्री अधिष्ठाता--

जो अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है वही चलेगा।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय जिस प्रकार से समस्या के रूप में देश और प्रदेश में खड़ा हुआ है वह किसी की आंखों से ओझल नहीं है। माननीय महोदय, सम्भवतः आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम पर उन्हीं मांगों को दोहराया जा रहा है जो आज से कुछ वर्ष पूर्व देश के विभाजन के समय, जैसा कि मैंने अपने प्रस्ताव में लिखा था, उग्र रूप से फैली हुई थी। जन संघ दल यह समझता रहा है कि आज देश में इस प्रकार के किसी भी विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है और इसलिये, माननीय महोदय, आज से नहीं, बल्कि प्रारम्भ से ही जिस समय से देश स्वतंत्र हुआ, उस समय से जन संघ दल ने और कतिपय अन्य राष्ट्रीय लोगों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि इसका रूप बदला जाय लेकिन सरकार की तुष्टीकरण और लापरवाही की नीति ने वह दिन दिखाया जिसने सारे देश को झंझोर दिया। अगर वह २५ अप्रैल की घटना न होती तो शायद किसी को भी इस ओर ध्यान देने की फुर्सत और इच्छा न होती। लेकिन उस दिन की दुर्घटना ने दिखलाया कि आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१८ वर्ष के बाद भी कैसे इस तरह आंखों के नीचे साम्प्रदायिकता पनप रही है और सरकार उसे सुलझाने में असमर्थ है। हमारे बड़े बड़े अधिकारी उस प्रांगण में अपने को प्रभावी रूप से कार्य कर सकने में असमर्थ पाते हैं। यही नहीं, बल्कि देश भर के नागरिकों ने इस प्रकार का एक वातावरण बनाया कि केन्द्रीय सरकार मजबूर हुई उस आर्डिनेंस को लाने के लिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस समय वह आर्डिनेंस आया, वह पूरे रूप में आया भी नहीं था, अभी उसने कोई काम भी प्रारम्भ नहीं किया था कि सारे देश से यह आवाज आने लगी कि यह हम मुसलमानों के धर्म और संस्कृति पर हमला है, यह हमारी जातीय आस्था को समाप्त कर देगा। इस सन्दर्भ में यहां जो कन्वेंशन हुआ उसके अध्यक्षीय भाषण से २, ४ शब्द पढ़ देना चाहता हूं और वह मैं इसलिये चाहता हूं कि इस प्रश्न को किन किन रूपों में देखा जाय, यह मैं आपके सामने रख दूं।

सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि देश के आज के सेट अप में, या जिस प्रकार से हम अपनी शासन प्रणाली चला रहे हैं, उस प्रणाली में क्या किसी भी द्विराष्ट्रीयवादिता सिद्धान्त का कोई स्थान है। माइनारिटी या अल्पसंख्यक के नाम पर जो बातें कहीं जाती हैं और जो प्रभावी रूप से राष्ट्र के जीवन को छिन्न-भिन्न करना चाहती हैं क्या उन्हें बनाये रखना चाहिये? आज प्रश्न यह नहीं है कि एक विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव का सदस्य कौन हो? प्रश्न यह है कि क्या जिस रूप में आज यह मांग हमारे सामने रखी जा रही है क्या उस रूप में देश स्वीकार करेगा, या देश अपनी नीति के अनुसार, अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार, और अपनी आवश्यकतानुसार, यहां के घटकों को तैयार करेगा। आज वही विश्वविद्यालय देश भर में मुसलमानों का शिक्षालय कहा जाता है, देश भर में हर शिक्षालय में मुसलमान अपना काम करते हैं! क्या वे किसी इनफीरियर ग्रेड के मुसलमान हैं और क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने वाले किसी सुपीरियर ग्रेड के मुसलमान हैं? ऐसी बात नहीं है। उसमें केवल साम्प्रदायिकता के और सुरक्षित इंटरेस्ट्स हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जब वहां जांच के लिये गया। वहां के आम लोगों ने बताया कि विश्वविद्यालय के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये, वहां लोगों को पढ़ा कर पाकिस्तान में उन्हें जगह दिलवाने की अपनी एक वंश परम्परा बना रखी है, इसके लिये उन्होंने इस विश्वविद्यालाय पर कब्जा कर रखा है। इससे सामान्य मुसलमान का कोई हित नहीं होता है। क्या कुछ लोगों के लिये केन्द्रीय सरकार का और हमारा करोड़ों रुपया खर्च करने के लिये है? आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि इस देश का मुसलमान या हिन्दू या कोई भी व्यक्ति इंगलैण्ड, अमरीका या पाकिस्तान में जाकर नौकरी कहीं भी करता है। प्रश्न इसमें यह आता है कि वे देश की धरती में पल कर इस देश का अन्न-जल खाकर दूसरी जगह जाकर अपनी राष्ट्रीयता को बदल देते हैं। जब वे लोग पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तानी की हैसियत से जाते हैं, उनके निहित स्वार्थों का लाभ लेकर जाते हैं। अभी जो यहां लखनऊ में मुस्लिम कन्वेंशन आफ ओल्ड बायज का हुआ था उसका समर्थन माननीय जलील अब्बासी साहब ने किया है। इसके अलावा और नेताओं ने भी इस सम्मेलन का बड़े जोरों से प्रचार किया है और कहा है कि यह संस्था मुस्लिम शिक्षा और संस्कृति की रक्षक है। मैं उस सम्मेलन के प्रेसीडेंशल एड्रेस के पृष्ठ ९ से पढ़ना चाहता हूं।

"They all unanimously decided that the Government's Secular institutions were unsuitable for Muslim students as they did not satisfy the needs and requirements of Muslims. Therefore Muslims should themselves start institutions of modern education under their own management where they could teach religion to Muslim Students."

उन्होंने कहा कि जो सेक्यूलर शिक्षा अंग्रेज सरकार चलाती थी वह मुसलमानों के लिये उपयुक्त न थी तब बाद में अगर आप सेक्यूलर सिद्धान्त बनाते हैं तो फिर वह किस प्रकार से उपयुक्त होगी? यह प्रजातन्त्र सेक्यूलर राष्ट्रवाद का नाम है। आज वह उसमें किस प्रकार से फिट

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

हो सकती है ? सारे भारत की संस्थाओं ने--संसोपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी इन सब लोगों ने इस बात की मांग की थी कि इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिये। कांग्रेस के तो छागला जी हैं ही। अगर केन्द्र की यही नीति न होती तो शायद यह बात ही न होती। उसके बाद यह दीखने लगा कि लोग अपनी इस बात से खिसकने लगे। कांग्रेस के लोग भी, और पार्टियों के मामूली कार्यकर्ता ही नहीं, विधान सभा और लोक सभा के सदस्य लोग भी खिसकने लगे। विरोधी दल के सदस्य भी खिसके। हस्ताक्षर करने के बावजूद भी उन्होंने सरकार पर चार्ज लगाया। उदाहरण स्वरूप माननीय काजी जलील अब्बासी साहब का स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। उनके स्टेटमेंट के पेज चार से यह मैं पढ़ रहा हूं--

"और यह पूरी घटना अलीयावर जंग की नाकाबिलयत से पैदा हुई।"

उन्हीं ने ही नहीं कहा, बल्कि इस सम्मेलन के वक्ताओं और और प्रस्तावों में सब जगह यह कहा गया है कि छागला जी की जैसे इस यूनिवर्सिटी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी। इसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण वे विशेष रूप से अलीयावर जंग को इस यूनिवर्सिटी में लाये और जिसके कारण यह भीषण दुर्घटना हुई। मैं कहता हूं डाक्टर श्रीमाली जी का वक्तव्य पढ़ लीजिये जो उन्होंने वहां पर दिया है। केवल इस बार ही नहीं बल्कि इससे पहले भी इस देश के जो सब से वरिष्ठ मुसलमान मौलाना आजाद जी थे उनके साथ भी जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लड़कों ने किया था, वहां के स्टेशन पर उनके मुंह पर थूका गया और जूतों की माला पहनाई गई वह उसी शरीफ विश्वविद्यालय के लड़कों का काम था। यह आज की नई घटना नहीं है वरन् राष्ट्रीय नेता हमेशा ही उस विश्वविद्यालय के लड़कों द्वारा स्टेशन पर अपमानित हुये हैं।

मुझे इस विश्वविद्यालय से कोई दुराव नहीं है, वहां की शिक्षा से भी यह बात नहीं निकलती, यह निकलती है वहां के सारे वातावरण से। किसी शिक्षा में ऐसी बातें नहीं हो सकतीं, मैंने मुसलमानों की उत्तम से उत्तम धार्मिक पुस्तकों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनसे कहीं भी ऐसी बातें नहीं निकलतीं और न यह चीजें शिक्षा से निकलती हैं, वह वातावरण से निकलती हैं और आज सारी आवाज उस वातावरण के खिलाफ है जो पैदा किया गया है। एक प्रकार की जो वहां आपसी दुरभिसन्धि है, एक संगठन बना हुआ है जिसमें कि किसी राष्ट्रीय आदमी को कहीं कोई गुंजायश नहीं है। डाक्टर साहब और दूसरे जो हमारे मित्र थे, मैं भी इत्तिफाक से उनके साथ था, उन्होंने इसको दुरूप क्लर दिया कि उसमें जनसंघ के लोग शामिल थे, पायनियर में मैंने देखा। मैं हैरत में आ गया, हमारे चन्द्रजीत जी भी हैरत में आ गये, किसी प्रकार की कोई दूसरी बात नहीं थी। शायद यह बहुत दिनों से केन्द्रीय सरकार के खिलाफ चल रही थी जिसको प्रकट करने का शायद उन्हें कोई अवसर नहीं मिला था और शायद कोई संगठित कुप्रयास हो नहीं पाया था। ऐसा साम्प्रदायिक प्रयास जिसको मैंने वक्तव्य से बताया, उसके लिये एक उपयुक्त अवसर ढूंढ़ा गया। जिस समय देश में भावनाओं का सब से अधिक तनाव था उस समय अलीगढ़ में यह घटना घटी और सारे प्रदेश में आन्दोलन हुआ यही नहीं बल्कि पटना में भी आन्दोलन हुआ और यहां तक कि राष्ट्रीय मुसलमानों के कनवेन्शन में लोग घुस गये और वहां भी झगड़ा हुआ। यहीं पर इस समय जो सम्मेलन हुआ है उसके प्रस्तावों को आप देखें, उनकी प्रतिलिपि तो मुझे प्राप्त न हो सकी लेकिन अगर आप उनको देखेंगे जो कि समाचारपत्रों में भाग छपे हैं उनमें कांग्रेस सरकार को धमकियां हैं कि तुम तो हमारे वोटों के सहारे हो सरकार में, हम तुम को जब चाहेंगे उलट देंगे और अन्त में उन्होंने निवेदन किया है कि लोग कांग्रेस संगठन का साथ छोड़ दें। मैंने पुरानी परम्परायें देखी हैं कि अगर किसी को दल की नीतियों से विरोध होता है तो पहले दल में आवाज उठाई जाती है लेकिन जब सब परम्पराओं को तोड़ कर यहां साम्प्रदायिकता अपने नग्न रूप में प्रदेश के और देश के सामने आई है तो अब अवसर नहीं है कि उसको बढ़ने दिया जाय। मैं कांग्रेस सरकार से कहूंगा कि मैंने माना कि यह कहा जाय और आड़ ली जाय कि जनसंघ के लोग ऐसा कह रहे हैं, उनको तो ऐसा कहना ही चाहिये। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके विरोध में कोई

एक भी बात असत्य साबित कर दे तो हम अपना मुंह बन्द कर लें। लेकिन ऊपर से नीचे तक किसी व्यक्ति से बात करने पर भी किसी ने हमारी बात से इंकार नहीं किया। ऐसी चीजों को वक्त से रोकना होगा, वरना इससे देश का कल्याण नहीं हो सकता। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और उससे आग्रह करता हूं कि इस सम्बन्ध में अपनी कड़ी नीति निश्चित करना चाहिये। मैंने पहले ही दिन इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था। वहां जो प्रस्ताव पास हुये वह मेरे पास हैं, अलीगढ़ के अध्यापकों के प्रस्ताव जिसके सम्बन्ध में मैंने अपना विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था। उसमें एक शब्द भी विद्यार्थियों के कार्य की निन्दा करने या उसे कनडेम करने का नहीं है, ४–५ सौ अध्यापकों के भाषणों में उनके कनडेमनेशन का एक शब्द भी कहीं नहीं है। कहीं उसका जिक्र भी नहीं किया गया कि वाइसचांसलर को पीटा गया। मैं तो समझता हूं कि अगर अली यावर जंग इस बात के जिम्मेदार होते हैं तो उन पर हमला होता। जहां कहीं भी मैं प्रोफेसरों से मिला मुझे बताया गया कि उस स्ट्रेट लाइन से अगर एक सुई के बराबर भी हट गया तो वहां पर ही वे पीटे गये। मैं बहुत से प्रोफेसरों से मिला तो पता चला कि किसी के सिर पर गम्भीर चोट लगी है, किसी की कमर की हड्डी पर चोट लगी है किसी का सिर फटा है।

(इस समय ५ बजकर १५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उन वाइस चांसलर की हालत है जो मुसलमान हैं और अगर कोई और होता तो क्या हालत होती। इसके पहले भी सन १९४७ के बादसे २ बार युनिवर्सिटी के केम्पस में झगड़ा हुआ था चाहे यूनियन के चुनावों को लेकर हुआ हो, चाहे छोटी-मोटी बातों पर हुआ हो। झगड़ा बहुत स्वाभाविक बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बड़े कन्वेन्शन को देख कर ढीली पड़ गयी। क्योंकि इसके बाद विशेष रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न कोई ऐक्शन ही हुआ। इसके सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल ने स्क्रीनिंग कमेटी की मांग की थी। उस पर भी कुछ नहीं हुआ। सरकार ऐसी चुप्पी साधे हुए है जैसे इस घटना के पीछे किसी का हाथ ही नहीं था। हमारी पुलिस भी चुप बैठी है। जो १८–१९ लड़के उसके जिम्मेदार थे, उनके अलावा आज तक किसी का पता नहीं लगाया। इस तरह से अलीगढ़ में शांति नहीं हो सकेगी। बिना आतंकवाद को दमन किए उस पर विजय नहीं पाई जा सकती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारी मांग दमन की है। हमारी मांग यह है कि इस देश में आतंकवाद से जो दूसरों की राय को दबवाना चाहते हैं, इस सरकार को चाहिए कि उन्हें समाप्त किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं मेरी मांग है, जो आज नयी नहीं है, बल्कि पहले भी रखी जा चुकी हैं, कि आज तक इस देश में और भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कालिज हैं, वहां के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रेजिडेन्शियल कालिज हैं, सब रहते हैं, कोई कारण नहीं है कि वहां से सम्बद्ध न किए जायं। इस देश की राजभाषा हिन्दी है। कोई कारण नहीं है कि वहां के विद्यार्थी हिन्दी न पढ़ें। हर विद्यार्थी को वहां हिन्दी पढ़नी चाहिए। वहां पर अनिवार्य रूप से हिन्दी होनी चाहिए। मेरे साथी माननीय कुंवर श्रीपाल जी के पास एक कोर्स है। उसमें हिन्दी का जो कोर्स है उसमें हिन्दी की ही बुराई दी हुई है। मैं यह भी चाहता हूं कि, उस घटना को जो २५ अप्रैल को अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हुयी थी उसकी भी यह सरकार जांच करवाए। मैं यह भी चाहता हूं कि वहां के स्नातकों को बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के किसी दूसरे देश में सर्विस भी न करने दिया जाय। सरकार इस बात की भी जांच करवाये कि कितने विद्यार्थी आजतक वहां से पास करके और इस देश का रुपया लेकर, यहां की शिक्षा लेकर विदेशों में सेवा कर रहे हैं।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

एक दूसरे प्रकार का विवाद कुछ खड़ा किया गया कि उस विश्वविद्यालय में किन्हीं हमारे उप-वायस चांसलर साहब ने कम्युनिस्टों को बड़ा संरक्षण दिया है और उनको संरक्षण दे कर उन्होंने झगड़ा कराया। मैं बड़ा हैरान हुआ एक प्रेसीडेंशियल ऐड्रेस था और एक स्वागत समिति के अध्यक्ष का ऐड्रेस था एक में तारीफ और दूसरे में बुराई। मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि शायद कोई भी व्यक्ति कर्नल जैदी साहब के वाइस चांसलर होने से कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है और दूसरा खतरा तो ठीक है कि कम्युनिस्ट हो कर के राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा है तो इसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे आज पाकिस्तान और चीन में संधि हो गयी है, हो सकता है कि वहां भी संधि हो जाय। मैं चाहता हूं कि उस संधि को होने न दिया जाय और यह पता लगाया जाय जैसा कि लोगों ने चार्ज लगाया कि वह साहब कम्युनिस्ट हैं, तो वह कौन कौन से कम्युनिस्ट हैं और किस ग्रुप से अफीलिएटेड हैं। एक बात मुझे यह मालूम हुई कि कुछ भी हो, इस देश के प्रति उनकी आस्था बहुत कमजोर है। मैंने यह भी वहां पाया कि वहां के लोग हर कैरेक्टर के बड़े जबरदस्त क्रिटिक हैं जैसे उन लोगों की यहां कोई आस्था नहीं है। इस प्रकार के विश्वविद्यालय में ऐसी भावना पनपना बड़े भयावह परिणाम ला सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार ने अपने दायित्व को अलीगढ़ विश्वविद्यालय में नहीं निभाया है और कद्रीय सरकार ने और माननीय छागला साहब ने जो अब तक किया, मैं उनकी हिम्मत की तारीफ करता हूं, कि प्रबल सांप्रदायिक जमात के बावजूद भी उन्होंने मुनासिब कदम उठाए, लेकिन यह जो दूसरी बात है, आज जो सामने आयी है वह यह है कि हमारी एजूकेशन सेक्युलर सेट अप में फिटइन नहीं होती इसलिए हमको दूसरी शिक्षा देने की जरूरत है। हमारी भाषा सेक्युलर सेट अप में फिट नहीं होती इसलिए दूसरी भाषा में शिक्षा दी जाय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल को, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, यह अधिकार होने चाहिए जो उनको अन्य विश्वविद्यालयों में हैं और वे वहां की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करें। उनकी परिषद् के सदस्यों ने एक निश्चय लिया है और वह यह कि ७५ से ५० प्रतिशत उन्होंने किया है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यही आखिरी पग हो जाय और उसके आगे फिर कुछ न हो। आज वहां ऐसा लगता है जैसे मानो बड़ी शान्ति हो गयी है। इस सम्मेलन ने मैं समझता हूं कि सरकार को निद्रा से फिर जगाया होगा और अगर सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया तो सरकार जिम्मेदार होगी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर अपनी राय दें और वह राय ऐसी हो कि जो हमारे देश की निष्ठा है उसमें सेट हो। लेकिन वे आस्थायें यदि देश की एकता को नष्ट करने वाली हों तो उनको भी हमें स्वीकार नहीं करना होगा चाहे वे किसी भी दल की हों। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रश्न को उपस्थित करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मेरा भी इसमें नोटिस है। मुझे मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें टम्बेश्वर प्रसाद जी का नाम है। आपको डिबेट में मौका मिलेगा। अभी मंत्री जी जवाब देंगे और उस के बाद और लोगों को मौका मिलेगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)---

परिपाटी यह है कि मोशन मूव होने के बाद मंत्री जी उत्तर दें, फिर दूसरों को मौका दिया जाय आप उसका पालन करायें।

श्री उपाध्यक्ष---

वही मैं कर रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने खुद नियम ५३ दिया था। उसे अध्यक्ष महोदय ने मंजूर किया था लेकिन इस में मेरा नाम नहीं छापा गया। मुझे मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। मंत्री जी के बोल लेने के बाद दूसरों को मौका मिलेगा।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी इस में आया है, हम को पहले मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायगा।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

पहले सदस्यगण अपनी बात कह लें, मैं बाद को उत्तर दे दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं बाद में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर मंत्री जी को मौका नहीं मिलेगा। सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षेप में वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री जी संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने लिखित सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय ने उसे मंजूर किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह ठीक है, लेकिन जिस सदस्य ने मूव किया है उनके बाद मंत्री जी बोलेंगे और फिर अन्य सदस्यों को अवसर मिलेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इसमें मेरा नाम आना चाहिए, वह क्यों नहीं आया ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस समय आपको मौका नहीं मिलेगा ?

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)--

यह जो नियम आपने बताया उस के मुताबिक क्या यह नियम नहीं है कि मूवर के बाद मंत्री जी वक्तव्य देंगे और फिर दूसरे सदस्यों को अवसर मिलेगा और मंत्री जो बाद में भी स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

अन्त में तो मंत्री जी को फिर मौका मिलेगा ही।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

जब मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं सब को सुनने के बाद उत्तर दूंगा और आपने कहा कि आखिर में उनको मौका नहीं मिलेगा तो उन से कहा जाय कि वह अभी अपनी बात कह दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह जो ५३ का प्रस्ताव आया है उसमें मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, आप बोलिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव नियम ५३ के अन्तर्गत लाया गया है उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पर चर्चा हो रही है। इस सिलसिले में सन् ४२ के पहले देश में जो वातावरण था उस में मिस्टर जिन्ना ने जो हालत पैदा कर दी थी आज ठीक वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिसिटी ने पैदा कर दी है, इस प्रदेश में और देश में। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे जैसा इतिहास का विद्यार्थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुस्लिम संप्रदाय को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मानता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुस्लिम संप्रदाय एक दूसरे के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द हैं। १९४२ के पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास की तरफ इस आदरणीय सदन का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं। हम जब जब आन्दोलन करते रहे तब तब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने और उसके अधिकारियों ने हमारे राष्ट्रीय संग्राम का विरोध किया। ये लोग विद्रोह करते रहे। इसके अतिरिक्त आजादी मिलने के बाद १९४७–४८ में उत्तर प्रदेश में तथा देश में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए उनकी शुरूआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हुई और १९४७ के पहले स्वर्गीय मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान बने आन्दोलन का केंद्र यही विश्वविद्यालय था।

१९५२ से लेकर आज तक उर्दू को राज्य भाषा बनाने की आड़ में सांप्रदायिक संगठन हुए और अप्रैल में जो घटनाएं अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में हुई जिनके कारण विधान सभा बन्द हुई थी, उस समय मैं बिहार गया था। मैं रांची, जमशेदपुर, पटना और कलकत्ता में मौजूद था मई और जून के महीने में। मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सभाएं कर रहे थे और उन सभाओं में सांप्रदायिकता का विष वमन कर रहे थे। इस संबंध में उस समय के बिहार के अखबारों को आप देखिए तो पता चलेगा।

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि यह सब कार्यवाहियां क्यों हो रही हैं? आज जो हालात हैं उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। हमारी सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया वह ठीक नहीं था। मैं तो इस राय का हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो गतिविधि रही है उसको तोड़ देना चाहिए था या उसमें परिवर्तन करना चाहिए था क्योंकि राष्ट्रीयता के खिलाफ किसी तरह की बगावत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आज हमारी राष्ट्रीयता और देश की आजादी को यह चुनौती दे रही है। यहां रह कर बहुत से मुसलमान दोस्त यह कहेंगे कि साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम सभ्यता की प्रतीक है। यहां बहुत से पढ़े लिखे मुसलमान बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनका आचरण उसके खिलाफ होता है। मुस्लिम धर्म में और सभ्यता में किसी मुसलमान के लिए सूद खाना या सरमाया इकट्ठा करना मजहब के खिलाफ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

के मुसलमान छोटे मुसलमानों का शोषण करते हैं। यह मुस्लिम सभ्यता का केंद्र नहीं है बल्कि छोटे छोटे गरीब मुसलमान जो हिन्दुस्तान में रहते हैं उनका सांप्रदायिकता के नाम पर शोषण करने के लिए है। यह धनी वर्ग तथा पाकिस्तानियों का अड्डा है और सांप्रदायिकता के नाम पर छोटे मुसलमानों को उल्लू बनाया जाता है।

१९५२ मे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियम का प्रेसीडेंट था। इसलिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था। १५ मिनट तक तो मैं भौचक्का सा देखता रहा कि किस दुनिया में आया हूं। कुरान की आयतों से कार्यवाही शुरू हुई। अपने भाषण में पहला वाक्य जो मैंने कहा था वह यह था कि सचमुच कुरान में और इस्लाम मजहब में जो मुसलमान शब्द की परिभाषा की गई और जो मुसलमान शब्द के माने होते हैं, अगर उसको सही माने में देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में या हिन्दुस्तान में कोई मुसलमान नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तान के मुसलमानों में जातीयता है। शेख, सैयद, पठान एक ओर, जुलाहा, मोमिन, अन्सार दूसरी ओर जो आपस में एक दूसरे से शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि एक तरफ तो मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ते हैं और दूसरी तरफ हिन्दू धर्म मे जो बुराइयां हैं उनको चलाते जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कार्यकलापों के बारे मे शासन वर्ग का ध्यान जाना चाहिए और जो इस देश में हिन्दू-मुसलमान की भावना बनी हुई है, आज देश की आजादी और राष्ट्रीयता को चुनौती दे रही है उसकी तरफ बहुत ही गौर से और गंभीरता से विचार करना चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना और अयूब की तस्वीर लटकती है लेकिन जो मुसलमन राष्ट्र की आजादी के लिए लड़े हैं उनकी तस्वीर वहां नहीं लटकती है। मैं वहां अमूमन जाया करता हूं। वहां से बराबर गुप्त रूप से पाकिस्तान को खबरे भेजी जाती हैं। वहां पर संगठित गिरोह काम करता है। इस विश्व-विद्यालय में पढ़ने लिखने वाले लोगों ने और इस सरकार को जो लोग चला रहे हैं, इन लोगों ने इस देश में हवा पैदा कर दी है। हर मुसलमान पाकिस्तानी है यह आम आदमी की भावना बन रही है। मैं इसका समर्थक नही हूं। लेकिन यह बात सही है कि हिन्दुस्तान का ९० प्रतिशत मुसलमान पाकिस्तान को अपना फादर लैंड समझता है और हिन्दुस्तान को दूसरे नम्बर का देश समझता है। और हर हिन्दू मुसलमान को शुबहे की निगाह से देखता है।

क्यों यह हालत पैदा है? अंग्रेज ने इस हालत को पैदा किया। इस हालत को कांग्रेस की हुकूमत ने कायम रखा।

लोग कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो हिन्दू यूनिवर्सिटी भी तो है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और हिन्दु यूनिवर्सिटी में अन्तर है। हिन्दू शब्द सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं है। हिन्दुस्तान के रहने वाले मुसलमान भी हिन्दू हैं, हिन्दू कैरेक्टर को लिए हुए हैं। हिन्दू नहीं रहते तो शेख, सैय्यद, पठान का भेद नहीं होता। यह जातियां अरब में नहीं हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। दोनों यूनिवर्सिटियां केंद्र के मातहत रही हैं। १९४७ के बाद हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, सारी जांच करने के लिए। सारा तूफान बदतमीजी पैदा करवाया। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कोई जांच नहीं हुई। हिन्दू मुसलमान का सवाल वही जटिल बना रही है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो हिन्दू मुसलमान के भेदभाव को बढ़ाता चला जाऊं। इस देश के अन्दर जो हिन्दू मुसलमान के साथ गहरी दोस्ती नहीं रखता वह पाकिस्तान की दलाली करता है। लेकिन आपको भी अपना नजरिया व अन्दाज बदलना होगा। अकबर बादशाह के जमाने में जौनपुर मुसलमानों का अड्डा था। जौनपुर में मुसलमानों के पादरी रहा करते थे। जौनपुर में अकबर के जमाने में एक फतवा पढ़ा गया और तमाम मुल्लाओं ने इकट्ठा होकर कहा कि अकबर काफिर हो गया है। जब अकबर को इसकी खबर मिली तो वह तीसरे दिन १७० मील घोड़े पर चढ़कर जौनपुर पहुंचा और वहां करीब एक सौ से ज्यादा ही जितने मुल्ला थे उन सबको नाव में बैठाकर गोमती में डुबवा दिया। यह अकबर का जमाना था। इस देश के अन्दर

[श्री काशीनाथ मिश्र]

अकबर, रजिया बेगम, रहीम खानखाना, जायसी जैसे राष्ट्रीय मुसलमान हो गए हैं और इसी देश के अन्दर बाबर, औरंगजेब, नादिरशाह और चंगेज खां जैसे सांप्रदायिक मुसलमान भी हो गये हैं। जो मुसलमान बाबर, औरंगजेब, नादिरशाह और चंगेज खां को एक निगाह से देखते हैं वे मुसलमान नहीं हैं, वे सांप्रदायिकता को कायम रखना चाहते हैं। जब तक सांप्रदायिकता को जड़ियत कायम रहेगी और अलीगढ़ विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी इस प्रदेश और देश के वातवारण को गन्दा करती रहेगी तब तक देश की आजादी, देश की हिफाजत और देश की सिक्यूरिटी को बराबर चुनौती रहेगी। इसलिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही संजीदे ढंग से इस मसले पर विचार करें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की इस तरह की गतिविधियों को किस तरह से ठीक किया जाय। मैं इस राय का नहीं हूं कि मुस्लिम सभ्यता और मुस्लिम संस्कृति को खत्म कर दिया जाय. मैं तो कहता हूं कि गांव में आप छोटे छोटे मकतब चलाइये और वहां अपने बच्चों को उर्दू भाषा व अपनी सभ्यता व संस्कृति को पढ़ाइए ताकि मौलवियों को भी पनाह मिल सके। आज तमाम मौलवी मारे मारे फिर रहे हैं। आपको चाहिए कि उनको मौका दें कि वे आपके बच्चों को शिक्षित कर सकें। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन अलीगढ़ में धनी मानी व सत्ता-संपन्न मुसलमानों के बच्चे ही पढ़ते हैं जिनका मुस्लिम संस्कृति व मुस्लिम सभ्यता से कोई विशेष लगाव नहीं होता। मैं तो यहां तक चाहता हूं कि थोड़े दिनों के लिए इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाय और उसको फिर से उचित ढंग से रिआर्गनाइज किया जाय।

काजी जलील अब्बासी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। अभी इतने रहने कि मैं कुछ कहूं, हमारे एक माननीय सदस्य श्री टम्बेश्वर प्रसाद ने जो मेरे किसी भाषण का हवाला दिया है कि गंगा प्रसाद मेमोरियल हाल में मैंने यह कहा, उस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है और इसकी मैं सख्त अल्फाज में तरदीद करता हूं। जिस अखबार में यह निकला है उसने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है। किसी हिन्दी अखबार में ७-८ वाले कन्वेंशन के बारे में भी निकला है कि मैंने ऐसा कहा, हालांकि अंग्रेजी व उर्दू के अखबारों में ऐसा कुछ नहीं निकला है। जो हिन्दी अखबार हैं उन्हीं में इस तरह की बातें निकली हैं। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे विद्वान माननीय सदस्य काशीनाथ मिश्र जी ने भाषण दिया, मुझे इतना कहने में कोई तकल्लुफ नहीं होगा और शायद माननीय काशीनाथ जी इसे बुरा नहीं मानेंगे कि दो पार्टियों के दो भाषणों के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खुदानखास्ता अगर मुझे कभी कांग्रेस छोड़ कर किसी दूसरी पार्टी में जाने का कभी विचार करना पड़े कि मैं कहां जाऊं तो मैं शायद उन दो पार्टियों में जनसंघ को बेहतर समझूंगा सोशलिस्ट पार्टी में नहीं जाऊंगा।

श्री टम्बे वरा सद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काजी जलील अब्बासी साहब ने जो अभी कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं कही है, तो श्रीमन्, यह इन्हीं के हाथ का दिया हुआ है जो उर्दू में है, इसको आप खुद पढ़ लें। इसमें है कि वे इस सदन के तनहा मेंबर हैं....

काजी जलील अब्बासी—

मैंने कोई बयान गंगा प्रसाद मेमोरियल हाल में भाषण के बारे में दिया ही नहीं है। श्रीमन, मैं अर्ज कर रहा था कि हिन्दू लफ्ज के लिये हमारे दोस्त ने कहा कि वह फिरकेवाराना नहीं है और हिन्दुस्थान के मुसलमान भी हिन्दू हैं। श्रीमन, मैं सूबा कांग्रेस कमेटी की तरफ से उन जगहों में जहां मुसलमान मारे जा रहे थे भेजा गया था और उनमें हर जगह एक हिन्दू और एक मुसलमान गया था और मैं उन लोगों में से था जिसके साथ कोई हिन्दू

नहीं भेजा गया था। मुजफ्फर हसन साहब ने जो उस समय सूबा कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ किसी हिन्दू की जरूरत नहीं है इस बात को जानने के लिये कि क्या वाक्यात हुए हैं। और इस खाकसार की खिदमत का ही नतीजा था कि ललितपुर से जो मुसलमान भाग गये थे और वह खाली हो गया था वह फिर से वापस आ गये। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि हमें फिरकापरस्त कहा जाता है। हमारे दिल भरे हुए हैं वहां एक साहब ने कहा था कि कम से कम नाम तो मुसलमान हिन्दुओं जैसा रख लेंगे। यही आज काशी नाथ जी भी कह रहे हैं। आज हमारे दोस्त जनसंघ के वही कहते हैं जो एजूकेशन मिनिस्ट्री के, प्रेस कम्युनिक ने कहा। वह बात जो हमारे दोस्त जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के कहते है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक पाकिस्तानी अड्डा है वही आर्डिनेन्स के ग्राउंडर में भी कहा गया है। छागला साहब ने इन्कार किया था जब हम उनसे मिले थे। हमारे लायक मंत्री छागला साहब ने कहा कि जो कुछ अखबारात में निकला है उससे मैं अपने को संबंधित नहीं करता। लेकिन वही बात आज हमारे ये दोस्त फिर दोहरा रहे हैं। आज वही बात दोहराई जा रही है जो बात उस प्रेस नोट में है जो एजूकेशन मिनिस्ट्री द्वारा निकाली जा चुकी है। तो क्या हमारी बात उससे सही साबित नहीं हो रही है कि छागला साहब के इनकार करने से इस इल्जाम की सफाई नहीं हुई जो उनकी एजूकेशन मिनिस्ट्री ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर लगाया है। और मैं साफ कर दूं कि जो यहां कन्वेशन हुआ है उसमें जहां और बातें हुई हैं वहां जुडीशियल इन्क्वायरी की भी इस संबंध में मांग की गई है और हमारा चैलेंज है कि अगर जुडीशियल एन्क्वायरी में यह बात साबित हो जाय कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पाकिस्तानियों का अड्डा है तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि उसे खोद कर फेंक दिया जाय जो हमारे मुल्क के रास्ते में हायल हो उसके हम साथी नहीं हैं। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का सहारा लेकर फिरकापरस्त ताकतें जो चाहें करती रहें। चूंकि हम कमजोर है, चूंकि आज हमारे साथ हमारे रहनुमा, हमारे बीहीख्वाह पंडित जवाहरलाल नेहरू की ताकत मौजूद नहीं ह, आज हमें हर जगह फिरकापरस्त कहकर हमारा गला घोंटा जाता है। चाहे जो कुछ भी हो लेकिन हम इसे एक लमहा के लिये बरदाश्त नहीं कर सकते। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि हममें से किसी ने एक लफ्ज भी पाकिस्तान की हिमायत में कभी नहीं कहा है और न कभी किसी ने हमारे बारे में ऐसा सोचा।

मैं किसी मजहबी जमाअत का मेम्बर भी नहीं रहा हूं, हांलांकि जमीअतुल उल्मा से भी मेरा कोई तालुक नहीं रहा है और न है। लेकिन यह जजबात एक ऐसे नवजवान का है जो अभी डाक्टर सैयद महमूद की तरह बूढा नहीं हो चुका है जो कहते है कि वे कब्र में ही पैर लटकाये हुए हैं, उसे अभी जिन्दगी की बहुत सारी मंजिलें देखनी है। आज हम देखते हैं कि दोनों तरफ इधर भी और उधर भी एक आवाज किसी की नहीं निकली। मुझे इसी बात का अफसोस है कि २८ अप्रैल, को जब एसेम्बली में २५ तारीख के बाकये का सवाल पेश हुआ हो और हर तरफ से आवाज आई कि पाकिस्तान की वजह से हुआ, उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जिसने मुहम्मद अली, शौकत अली और बहुत से नेशनलिस्टों को पैदा किया वहां मुझे भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने का फक्र है। यह कन्वेन्शन मुसलिम यूनिवर्सिटी के ओल्डब्याय्ज का था और जो रिजोल्यूशन वहां पास हुआ था वह यनानीमस था। श्रीमन्, हम वही नेशनलिस्ट हैं कि जब आल इंडिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन के खिलाफ मुसलिम स्टूडेन्ट्स फेडरेशन बनाने का सवाल उठा तो कलकत्ता तक हमने इसका पीछा किया और उसके लिये हमारे हुमायूं कबीर साहब मौजूद हैं वे जानते है कि किस तरह से हमने मसलिम फेडरेशन को यहां से निकाला। आखिर तमाम नेशनलिस्ट जमात कहां चली गई? क्यों नहीं वह अपनी पुरजोर तकरीर से इस बात को कहती? क्यों आज खामोश है? हमें आज मजबूर होना पड़ा है हिन्दू फिरकापरस्ती से लड़ने के लिये। क्यों न हम इस हिन्दू फिरकापरस्ती

[काजी जलील अब्बासी]

से लड़ने के लिये कमर कस लें जिस तरह हमने पहले अंग्रेजों से लड़ाई करने के जमाने में मुस्लिम फिरकापरस्ती के खिलाफ कसी थी हमको बहन भाई से इस फिरकेवाराना जहनियत को दूर करने के लिये लड़ना पड़ा था। आज जरूरत इस बात की है कि जो हिन्दू फिरकापरस्ती अपना सर उठा रही है उसका हम उसी तरह से मुकाबला करें जैसा कि हमने पहले मुस्लिम फिरकापरस्ती से किया था।

मैं इस बात को नहीं कहता कि मुसलमान फिरकापरस्ती नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो अपनी आंखों पर पट्टी बान्ध लें। हमने मुसलमानों की फिरकापरस्ती को दूर करने के लिये भी काम किया है और मुसलमानों से कंटैक्ट किया है। अभी इस अलीगढ़ के वाकये के सिलसिले में मैं कई जगह गया था और देखा कि मुसलमान बेचैन हैं। आज उनसे हिन्दुस्तान को कोई खतरा नहीं है वह मुल्क वफादार हैं लेकिन हिन्दू फिरकापरस्ती से वह परेशान हैं। आज यहां पर होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वह जानते हैं कि किस तरह से लोग मारे जाते हैं। हमने इस सवाल को पार्टी में उठाना चाहा लेकिन वहां पर इसका दरवाजा बन्द कर दिया गया। अगर कोई बाहर वाकया होता है तो उस पर हम कैसे मुतमइन हो सकते हैं जब तक कि उसके लिये कोई ऐक्शन न लिया जाय। अभी गोरखपुर में इस्तफा हुसैन साहब मारे गये। क्या किया गया ? एक नहीं इस तरह से हजारों वाकये बतलाये जा सकते हैं। उनका इलाज किया जाय। अगर उनका इलाज नहीं होता है तो हम कैसे मुतमइन हो सकते हैं। हम मुतमइन नहीं हो सकते है। हम कहते है कि इसका इलाज कीजिये। मुसलमानों को अकेला मत छोड़िए। सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ के कहने में न आइये। हमारे ऊपर भरोसा कीजिये। बिना भरोसा किये काम नहीं चलेगा। अलीगढ़ में यह वाक्या हुआ और उसकी इन्क्वायरी बिना हुये ही उसके लिये एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया गया। चटर्जी की अलीगढ़ के बारे में रिपोर्ट है। अभी उसकी स्याही खुश्क भी नहीं हुई होगी। उसको अब यहां पर पढ़ने का वक्त नहीं है लेकिन वह यहां की लायब्रेरी में मौजूद है और हर आदमी उसको जाकर देख सकता है कि उन्होंने उसमें क्या लिखा है। शायद इससे अच्छी सनद और सर्टिफिकेट अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के लिये कोई नहीं हो सकता है। उस चटर्जी के बोर्ड में चारों गैर मुसलिम मेम्बर थे। उसको पढ़कर देख सकते हैं कि उन्होंने उसमें क्या लिखा है। सन् १९६५ में एक वाकया वहां पर हो जाता है तो हमारे एजूकेशन मिनिस्टर लोक सभा में और राज्य सभा में बिना कोई इन्क्वायरी किये हुए स्टेटमेन्ट देते हैं और वे कहते है कि यह वाकया प्रि-प्लान्ड और मरडरस था। बिना किसी इन्क्वायरी के इस तरह की राय बनाने का उनको कोई हक नहीं है। अगर उनको कोई राय बनानी है तो वह इन्क्वायरी करने के बाद बना सकते हैं। हमने जुडीशिल इन्क्वायरी करने की मांग की थी कि वहां पर जुडीशिल इन्क्वायरी कराई जाय। मैं कहता हूं कि अगर इन्क्वायरी के बाद यह साबित हो कि जो छागला साहब कहते हैं वह सही है तो हम भी हर तरह से उस बात को मानने के लिये तैयार होंगे। मैं अर्ज करता हूं कि उस वाकये के लिये क्या यह काफी है कि बिना इन्क्वायरी कराये इस तरह से आर्डिनेन्स निकाल दें ? डेमोक्रेसी में आर्डिनेन्स एक लानत है। डेमोक्रेसी में आर्डिनन्स से खराब चीज और क्या हो सकती है ?

आपने नामिनेशन को एकदम नाफिज कर दिया। आपने डेमोक्रेसी का गला घोटा है। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि उन मेम्बरों ने क्या गलती की थी ? वहां की एग्जिक्यूटिव कौंसिल में नवलकिशोर साहब भी हैं जो यहां पर बैठे हैं। लड़कों के कन्डमनेशन के बारे में अब कहा गया कि रेजोल्यूशन पास नहीं किये। जो रेजोल्यूशन हमने पास किये हैं उनका एक नमूना पेश करता हूं। वह इसे पढ़ें।

"This Convention of the All India Aligarh Muslim University's old Boys deplores and un-conditionally condemns the action of all those who

indulged in rowdyism on April 25, 1965 and caused injuries to the Vice-Chancellor, Sri Ali Yawar Jang, and other members of the Court. In the opinion of this Convention they have tarnished the fair name of Aligarh. The Convention expresses its sympathy with the Vice-Chancellor and other persons who were victims of this assualt. The Convention fervently appeals to the students to maintain traditional exemplary discipline in the Aligarh Muslim University and inculcate love and respect for their teachers."

मैं आपको बतलाता हूं कि हमने लड़कों को कंडम किया और करते हैं। कोई इंसान कभी इस बात को पसन्द नहीं करता कि लड़के अपने बाप को मारें। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं लेकिन आपने पूरे मुल्क में यह बात फैला दी कि जो कंवेशन कर रहे हैं वह लड़कों के हमदर्द हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से दो बातें कहना चाहता हूं। हम लोगों ने जान तोड़ कर इस बात की कोशिश की कि कंवेंशन में अमन रहे और इतने ज्यादा आदमियों के होते हुए भी बदनामी की कोई बात न होने पाये। लड़के आये और उन्होंने अपना प्रोपेगैण्डा किया। लेकिन हम लोग डटे रहे और हमने उनकी बातों का असर नहीं होने दिया। हम लोगों ने उसे कंट्रोल किया। समय नहीं है, बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन काशीनाथ जी ने कहा कि कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जाती हैं। यह ठीक है। सारे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में वह पढ़ी जाती हैं। आप भी अगर कोई नींव वगैरह रखते हैं तो शास्त्र या वेद पढ़ते हैं। वह हमारी परंपरा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं पढ़ने का विरोध नहीं करता, लेकिन उस पर आप लोग आचरण नहीं करते हैं।

काजी जलील अब्बासी--

आपने कहा कि यह सेक्युलरिज्म के खिलाफ है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां, विश्वविद्यालय में कुरान की आयत पढ़कर काम शुरु करना सेक्यूलरिज्म के खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप शान्त रहिये।

काजी जलील अब्बासी--

आपने कहा कि अयूब साहब का फोटो है वहां, आप इसकी इंक्वायरी करायें और अगर फोटो हो तो ऐक्शन लें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं होम मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि अप्रैल में वहां अयूब साहब का और मुहम्मद अली जिन्ना का फोटो था या नहीं ?

काजी जलील अब्बासी--

क्या तरीका है ? आपके बोलने के समय मैंने दखल नहीं दिया था। अभी वहां मेडिकल कालेज से कोई डाक्टर पास नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में जरूर लड़के पास होकर निकले हैं और जरूर पाकिस्तान गये होंगे। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे ? आप कहते हैं कि

[काजी जलील अब्बासी]

पाकिस्तान के लिये यह यूनिवर्सिटी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसकी जांच करायें कि कितने लड़के वहां से पाकिस्तान गये ताकि यह शेडो आफ डाउट हमारे बच्चों पर से हट जाय। हम आपसे दबने वाले नहीं हैं, हम दबेंगे नहीं--हमने वह राह भी देखी है, हम पाकिस्तान नहीं जायेंगे, हम हिन्दुस्तान में रहेंगे। आपके सर पर सवार रहेंगे, जो चाहे आप कहें, हम आपको छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं। जय हिन्द।

(व्यवधान)

*श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूं और इस केस की जितनी जानकारी मुझे हो सकती है मैं समझता हूं उतनी चन्द माननीय सदस्यों को ही होगी। मैं इस बात को मानने के लिये हरगिज तैयार नहीं हूं कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है या पाकिस्तान का एजेन्ट है। मैं इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यहां के चन्द लोग जो हैं वह उनसे साठंगांठ किये हैं। मैं देहात का रहने वाला हूं और मैं समझता हूं कि एक गरीब मुसलमान हिन्दुस्तान के लिये जो जान दे सकता है वह गालिबन ऊंचा पढ़ा लिखा आदमी नहीं दे सकता। यह बात भी मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का हर विद्यार्थी पाकिस्तानी एजेन्ट है। मैं श्रीमन्,यह बताना चाहता हूं कि यह जो झगड़ा हुआ उसका कारण हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। उसका कारण यह है कि दिसम्बर, १९६४ में काश्मीर से अफजलबेग साहब तशरीफ लाये और वे यूनिवर्सिटी होस्टल में ठहरे। वहां जितने भी ८०-९० लड़के काश्मीर से आये हुए हैं उनको इन्सटीगेट किया कि तुम लोग सेपरेट काश्मीर इन्डिपेन्डेन्स डे मनाओ। हमारे यहां और भी गैर-मुल्कों के लोग पढ़ते हैं वे भी अपना इन्डिपेन्डेन्स डे मनाते हैं। यह हर यूनिवर्सिटी का नियम है कि वहां जिस जिस जगह के लोग पढ़ते हैं वे अपनी अपनी कन्ट्री का इन्डिपेन्डेन्स डे मनाते हैं। यह कोई नयी बात नहीं है। पर अलीगढ़ यूनिवासटी में काश्मीर डे मनाना काश्मीर की सैंकटिटी को कायम करना था और उसमें फिर यूनिवर्सिटी के लड़के ही नहीं थे उसके अन्दर स्वयं वाइस-चान्सलर भी थे और उसको कल्चरल प्रोग्राम में परिणत किया गया। उसके लिये हमारी सरकार विजिलेन्ट नहीं थी जो उसको रोकती। जिलाधीश महोदय स्वयं वहां थे। और भी अधिकारी थे। इतना फंक्शन हुआ, क्या उन्होंने इसको कन्डेम किया?

श्रीमन्, वहां पर पाकिस्तानी स्टूडेन्टस् पढ़ते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेन्टस् से झगड़ा करते हैं। यह भी गलत है। वहां मैं समझता हूं सब इंडियन स्टूडेन्टस हैं उसके अन्दर और उनके अन्दर भी एक साम्प्रदायिक संस्था है, वह जमायत इस्लामी है। बावजूद इसके कि उसकी संख्या छोटी है पर उनका इन्फलूएन्स पूरी यूनिवर्सिटी पर, कम से कम ५६ प्रतिशत से ऊपर होगा और जमायत इस्लामी के अन्दर तीन प्रोफेसर, रीडर और स्टूडैन्ट यूनियन के लीडर सभी हैं। वे इस चीज को करते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप मुस्लिम विश्वविद्यालय को बन्द कर दें। बन्द कर देने के माने यह होंगे कि जो उदार नीति हिन्दुस्तान की रही है और दुनिया को जो हमने दिखाया है कि हिन्दुस्तान कितना ईमानदार है उस पर कुठाराघात होगा। पर हिन्दुस्तान के अन्दर इस किस्म की जमायत जो पढ़ाने वाली संस्था है उन्हें हमें किसी हालत में टालरेट नहीं करना है। इसलिये मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जितने ऐसे आदमी हैं जो साम्प्रदायिकता फैलाते हैं उनको तुरन्त मुस्लिम विश्वविद्यालय से अलग करें। आज ये हिन्दू मुसलमान जो दो कौमें आईं और अब्दुल रहीम खानखाना जैसे आदमी जिसमें पैदा हुए उस कौम में जो आज दराज डालना चाहते हैं उनको आज गृह मंत्री छोड़े हुए हैं। ऐसे जितने भी आदमी हैं जितने लोग भड़काने की कार्यवाही करते हैं उनको तुरन्त बन्द किया जाय जिससे साम्प्रदायिक भावना उत्पन्न न हो। हम हिन्दू मुस्लिम एक मिलकर रह सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक पाकिस्तानी एजेन्टों का सवाल है उसमें भी मैं कहूंगा कि बाज औकात ऐसा होता है कि चन्द पाकिस्तानी अफसर जो कि मिलिटरी के भी बड़े भारी असफर है पाकिस्तान के फारेन आफिस में भी हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं अजीजदारियां हैं, उनके विवाह शादी सब कुछ यहां होते हैं। यह नेचुरल है कि जब वे घूमने आयेंगे तो वे लोगों से बातचीत भी करेंगे। यह काम तो हमारे इन्टैलीजेन्स डिपार्टमेन्ट का है कि वह उनकी निफेरिअस एक्टीवीटीज को रोके और उस पर चैक रक्खे। हमारे यहां पर बहुत से आपस के सवाल हैं। इत्तफाक ऐसा है कि भूतपूर्व मुसलमान जमींदारों की संख्या बहुत काफी है। उनके ताल्लुकात उनकी पहुंचे सिर्फ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ही तक नहीं हैं दिल्ली तक भी है और वे अपनी उन पहुंचों का नाजायज फायदा उठाते हैं और नाजायज फायदा उठा करके बदनाम करते हैं उस पैट्रोटिक मुसलमान को मैं समझता हूं कि वे ऐसा करने में अपना फख्र हासिल समझते हैं। वह उनका शोषण करते हैं। उनको भड़काते है। अलीगढ़ में जितने राइट्स हुए हैं, उन सभी को मुझे देखने का अवसर मिला है। वे सदा ही अपर लेविल से शुरु हुए और नुकसान उसमें गरीब लोगों का हुआ। जो भी मैंने पेपर्स में पढ़ा उससे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि अलीगढ़ मुस्लिम बॉयज का जो कन्वेन्शन हुआ वह देश के लिये एक हैल्दी चीज नहीं हुई। अतः चन्द बातों के लिये मैं माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। होम मिनिस्टर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वहां पर जो गलत तत्व है उनकी अच्छी प्रकार से जांच की जाय। और वहां पर जो पैट्रियोटिक मुसलमान हैं उनके दिल में भय न हो, ऐसा इन्तजाम किया जाय।

श्री नवलकिशोर---

आज यह सदन एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा है। इसका हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इसमें ज्यादा जोश खरोश की बात नहीं है। एक आर्डिनेन्स अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में इश्यू हुआ। २५ तारीख को जो घटना घटित हुई वह किसी भी विश्वविद्यालय के लिये शर्म की बात है। वहां पर वॉइस चांसलर पर थूका गया, उसको जूतों से पीटा गया, उसको घसीटा गया, उसकी हड्डियां तोड़ दी गयीं। अगर खुदा का फजल न होता, ईश्वर की मेहरबानी न होती तो अवश्य ही उनका मर्डर हो गया होता। तीन नौजवानों ने जिनमें एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार और २ केरल के विद्यार्थी इन तीन आदमियों ने उनकी जिन्दगी बचायी वरना वे मार डाले गये होते। उस परिस्थिति में जबकि यूनिवर्सिटी में अराजकता फैली हुई थी यूनिवर्सिटी के बारे में यह आर्डिनेन्स जारी किया गया।

यह विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, उस पर केन्द्र का कंट्रोल है लेकिन जहां शांति भंग का अन्देशा होता है वहां पर उसका उत्तरदायित्व प्रदेशीय सरकार का है। इस-लिये वाइस चांसलर ने जब स्थिति बिगड़ते देखी तब एस० पी० को टेलीफोन पर खबर की और वह फोर्स लेकर वहां गये। कहा जाता है कि पुलिस वहां क्यों गयी। पुलिस वहां बुलाने पर गयी। लेकिन सिर्फ गलती यह हो गयी कि पुलिस कम गयी ज्यादा नहीं गयी। लेकिन एस० पी० की यह खूबी की बात थी कि वह जैसे बैठा हुआ था वैसे ही चला गया। वाइस चांसलर के आर्डर पर एस० पी० वहां घुसता है लेकिन उससे कहा जाता है कि तुम यहां क्यों आये हो। यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकल जाओ।

एक आवाज---

किसने कहा ?

[श्री नवलकिशोर]

बहरहाल मैं वाकया बता रहा हूं। नाम तो सी० आई० डी० बतायेगी। एस० पी० ने रिट्रीट किया और उसके बाद क्या हालत हुई वह तो आपको मालूम ही है। इसके बारे में अब्बासी साहब ने बहुत सी बातें कहीं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स में मुस्लिम धर्म या कल्चर पर क्या हमला किया गया और अपसरियत कहां अक्लियत को दबा रही है।

मान्यवर, इससे कम संगीन हालत तो बनारस यूनिवर्सिटी में थी जहां विद्यार्थियों ने वाइस चांसलर को केवल एक कमरे में बन्द कर दिया था। वहां पर आर्डिनेन्स इश्यू हुआ और एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठायी गयी जिसको यह अधिकार दिया गया कि वह तमाम स्टाफ की जांच करे कि कौन कौन आदमी डिस्टरबेंस करने वाले हैं, लेकिन यहां यह भी नहीं किया गया। सिर्फ एक आर्डिनेन्स जारी किया गया जिसमें पुराने कोर्ट, और एक्जीक्यूटिव को हटा कर नये कोर्ट और एक्जीक्यूटिव की स्थापना की गयी और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वाइस चांसलर को दे दिया गया। मैं नहीं समझता कि अभी तक इस आर्डिनेन्स के लागू करने से विश्वविद्यालय का कौन सा बुनियादी केरेक्टर बदल गया और वह बेसिक केरेक्टर क्या होता है यह मैं नहीं समझ सका। अकलियत का हक है कि वह कहीं भी तालीम पा सकते हैं और मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि सर सैयद अहमद खां ने इस विश्वविद्यालय को किसी साम्प्रदायिक भावना से कायम किया था। सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने इस की बुनियाद डाली थी उन्होंने इस की सैकुलर आधार पर ही स्थापित किया था और आज भी हम उन्हीं भावनाओं को इस विश्वविद्यालय में जागृत करना चाहते हैं और कुछ दिन के लिये अंग्रेजों के समय में देश का जो इतिहास बदला था और यहां जो उस समय वातावरण बन गया था उसको बदलना चाहते हैं। आर्डिनेन्स के इश्यू होने के बाद तरह तरह की बातें कही गई। हमारे दोस्त ने जुडीशियल इन्क्वायरी की बात कही, मुझे उसूलन उससे कोई इन्कार नहीं लेकिन इंक्वायरी किस बात की हो? उनका चार्ज है कि एजूकेशन मिनिस्टर ने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अड्डा है, पाकिस्तानी तत्वों का। लेकिन उसके बाद श्री छागला जी ने उन शब्दों को अनकन्डीशनली वापस किया। उन शब्दों को भारत का एजूकेशन मिनिस्टर वापस करता है उसके बाद इस संबंध में किस बात की जुडीशियल इन्क्वायरी होगी? रही वाकयात की बात, उस पर प्रदेशीय सरकार की तरफ से मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई, उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब बतायेंगे सी० आई० डी० इन्क्वायरी हुई, पुलिस की इनवेस्टीगेशन हुई, फिर इन्क्वायरी के लिये अब क्या चीज बाकी रह गई? लेकिन फिर भी अगर सिद्धान्त की बात हो तो जुडीशियल इन्क्वायरी कोई बड़ी चीज नहीं है, वह केन्द्रीय सरकार के करने की बात है उस से हमें कोई इन्कार नहीं है।

जमाते इस्लामी मुस्लिम लीग मजलिसे मोशवरान तक जमैयतुल-उलेमा-हिन्द या और कई जमाअतों के नाम हैं मुझे जिनका तलफफुज भी नहीं आता उनकी तरफ से अलग अलग आवाज आई लेकिन मुझेत कलीफ हुई यह देखकर कि जमैयतुल-उलमाये-हिन्द भी उसमें शामिल हुई जो हमारी मानी हुई नेशनलिस्ट जमाअत है। १६ जुलाई को डे आफ प्रेयर्स (day of prayers) मनाया गया। दुआओं का दिन लेकिन दुआयें किस बात की? दुआयें मनाई जानी चाहिये थीं कि जो वाइस चांसलर जख्मी हुये खुदा उनको जल्द सेहत दें ताकि वह विश्वविद्यालय की और वहां के विद्यार्थियों की खिदमत कर सकें। वह तो नहीं बल्कि टेलीग्राम दिये गये कि श्री छागला इस्तीफा दें। यह तो दुआओं का दिन नहीं हुआ, इस्तीफा देने की बात कौन सी दुआ की बात है? उसके बाद ७-८ तारीख को लखनऊ में कनवेंशन होता है, कहा गया कि यह अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ओल्ड ब्वायज का कनवेन्शन है। लेकिन उस कनवेन्शन में ओल्ड ब्वायज तो नहीं गये बल्कि वह लोग गये और ५० प्रतिशत से ज्यादा वह लोग वहां सिगनेटरीज हैं जिनका विश्वविद्यालय से कोई वास्ता नहीं था और अगर ओल्ड ब्वायज का ही कनवेन्शन था तो उसमें वहां के हिन्दू विद्यार्थियों को क्यों नहीं बुलाया गया?

डाक्टर सैयद महमूद साहब ने कहा कि हम कम्पोजिट करना चाहते हैं। कहा गया कि ७५ प्रतिशत के हममें हिन्दू विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं लेकिन अगर वह सम्मिलित है तो ओल्ड ब्वायज कनवेन्शन में हिन्दू लड़कों को क्यों नहीं बुलाया गया। वहां ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जिनका किसी विश्वविद्यालय से कोई भी वास्ता नहीं था। इससे हमारे दिमाग में यह बात पैदा होती है कि ओल्ड ब्वायज कनवेन्शन का तो केवल नाम था बल्कि उसके स्पान्सर करने का मन्तव्य दूसरा था। मैं उनका नाम भूल गया जो रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि मि० छागला तो इंडियन कांस्टीट्यूशन के ट्रेटर हैं, इस सेकुलर स्टेट में। इससे अधिक अराष्ट्रीय प्रवृत्ति की बात और क्या हो सकती है? मैं बधाई देना चाहता हूं आपके द्वारा श्री छागला को, और होम मिस्टिर नन्दा जी को बधाई देता हूं, कि उन्होंने सही और मजबूत कदम उठाया। माननीय छागला जी नेशलिस्ट मुस्लिम हैं। उन्होंने हिम्मत के साथ एक कदम उठाया। उससे भी ज्यादा बनारस विश्वविद्यालय में उठ चुका था। इसमें कोई मतभेद नहीं किया गया। आज इतना गुस्सा छागला जी के प्रति दिखाया जाता है कि उनको खुन कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देगें। यहां पर जो कन्वैशन हुआ, उसमें जो तकरीरें हुई, मैं उन्हें, आप चाहे जो संज्ञा दें, नेशलिस्ट की संज्ञा देने को तैयार नहीं हूं। मैंने यह भी सुना कि जिन लोगों ने नेशनलिस्ट बातें कहीं उन्हें हूट किया गया। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की सो ठीक है क्योंकि ऐसा करने का हर व्यक्ति को अधिकार है कि हिन्दुस्तान का संविधान यहां के ४–५ करोड़ मुस्लिम संप्रदाय को पूरी आजादी और हक प्रदान करता है कि वह अपने वैधानिक अधिकारों के लिए कानूनी ढंग से लड़ें मगर साथ ही साथ माइनोरिटी मैजोरिटी को डिक्टेट नहीं कर सकती है। यह एक डैमोक्रेटिक सेक्यूलर स्टेट है सबको समान अधिकार है।

अब मान्यवर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि झगड़ा कैसे हुआ। सन् १९६२ में ५० प्रतिशत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या थी, साइन्स में टेक्नालोजी तथा मेडिकल में। तैयब साहब ने इस संख्या को ५० के स्थान पर ७५ कर दिया टेक्निकल में। उन्होंने एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखी और एक यू० जी० सी० को कि ७५ प्रतिशत मुनासिब होगा जो भी कारण हो, उस चिट्ठी का जवाब न तो यू० जी० सी० और न प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से पहुंच सका। तैयब जी ने इसे ७५ कर दिया और यह ६३ और ६४ में चला। मान्यवर उस ७५ प्रतिशत की जब बात आई तो उस समय एस्टीमेट कमेटी ने एक क्वेश्चनेयर भेजा तब उसे वहां के स्टैन्डर्ड का पता चला क्योंकि वहां पर यू० जी० सी० कुछ ग्रान्ट देती है। उसके बाद यह चीज आउट हुई। यह कहा गया कि हमने यू०जी०सी० से पूछ लिया था कि यह बात गलत थी हमारे देश और प्रदेश में और भी इन्स्टीट्यूशन है और उनमें कुछ कामन स्टैन्डर्ड भी रहता है। इसलिये एकैडेमी कौंसिल को मजबूरन सर्व सम्मति से यह पास करना पड़ा कि जो पहले की ५० प्रतिशत की संख्या थी उसको पुनः रखा जाय और वह रख दिया गया। क्या खता थी वाइस चैन्सलर की सारी खता एकैडेमी कौंसल की थी। २४ तारीख को यह मामला एक्जीक्यूटिव कौंसिल में रखा गया था। उस एक्जीक्यूटिव ने इस पर निर्णय अगली मीटिंग के लिये टाल दिया जिसमें मैं स्वंय (नवल किशोर) किन्हीं कारणों से नहीं जा सका असल में वाइस चांसलर के एपाइण्मेन्ट से लोग नाराज थे क्योंकि वे खुद वाइस चान्सलर होना चाहते थे। इनके विरुद्ध इस प्रकार का प्रचार किया गया कि ये वे व्यक्ति हैं जिसने हैदराबाद हिन्दुओं को सौंप दिया इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हिन्दू उपकुल पति बनाने का रास्ता खोल दिया––यह शराब पीते हैं और ये शिया हैं। श्रीमन यह विश्वविद्यालय एक बड़ा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, देश और प्रदेश में। हम सब की ख्वाहिश है कि यह फले फूले और पनपे और राष्ट्रीय जीवन में जो इसकी जगह है, उस जगह की सही पूर्ति करें। जैसे हमारे देश और नेशनल यूनिवर्सिटीज है यह भी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। हमको उसी तरह से इसके लिये समझना चाहिये। यह अध्यादेश एक टेम्पोरेरी चीज है बहुत जल्दी इस पर एक डिटेल्ड पोलिसी

[श्री नवलकिशोर]

आयेगी। पार्लियामेंट के अन्दर उस समय विश्वविद्यालय के हित में जो मुनासिब एमेंडमेंट हों जो सजेशन्स मुनासिब हों एम० पी० सहिबान उनको करें मगर इसके साथ साथ ऐसे समय में जब कि देश के अन्दर तनाव हो इमरजेंसी हो, नेशनल क्राइसेस हो, और छिपाने की बात नहीं है, पाकिस्तान के हमले के बाद देश के अन्दर टेंशन और तनाव हो, ऐसे मौके पर किसी भी ऐसे शब्द का उच्चारण करें चाहे नीयत हो या न हो, अनईटेंशनल हो या अमकोंशसली हो जिससे कम्यूनल हरामोनी डिस्टर्ब हो सकती है मुनासिब नहीं होगा। इससे नेशनल इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंच सकता है, चाहे हम अपने देश की रक्षा के लिये खून का एक एक कतरा बहाना भी चाहते हों, फिर भी कोई ऐसी बात अगर ऐसी कही जायगी तो देश के लिये घातक हो सकती है। पटना में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है कि उसने यहां कम्यूनल पीस मेन्टेन की। मगर पटना में क्या हुआ? मुस्लिम कांग्रेस मैन की मीटिंग थी, उस पर हमला किया गया और तमाम बातें कही गयी यहां लखनऊ की कन्वेशन में एक मांग यह हुई कि इस विश्वविद्यालय का नियंत्रण केवल मुसलमानों के साथ में हो। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इसलिये नहीं कि में एग्जीक्यूटिव का मेम्बर हूं और वहां से हटा दिया जाऊंगा, तकलीफ इस बात से हुई कि १९११ में भी इस तरह की मांग जब पेश की गयी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मन्जूर नहीं किया था। तो आज की सक्यूलर स्टेट इसको कैसे मन्जूर कर सकती है। और अन्दाजा तो कीजिए कि ३५ परसेंट हिन्दू स्टूडेन्टस वहां है, लेकिन नियंत्रण हो केवल मुसलमानों के हाथ में। तो क्या नान-मुस्लिम के लिये वहां जाने को एटमासफीयर हो सकता है। जब कि अंग्रेजों के जमाने में प्रोवाइस-चांसलर हिन्दू रह चुके हैं, नोमीनेटेड मेम्बर्स एक्जीक्यूटिव और कोर्ट में आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने से चले आये, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में भी यह मांग १९२० से पेश नहीं की गयी। मुझे रहैत है कि यह कैसे मांग पेश की गयी। तो यह मांगें दिमाग के अन्दर शक पैदा करती हैं।

आपने कन्वेंशन किया कोई बुरी बात नहीं है, आप सब को इनवाइट करते अच्छा होता, लेकिन यह जो मांग है यह मुझको जरा मुनासिब नहीं मालूम पड़ती है। एक सेक्यूलर स्टेट के अन्दर इस तरह की मांग करना मुनासिब नहीं होगा। मजहब और पोलीटिक्स एक चीज नहीं है। यूनीवर्सिटी एजूकेशन एक चीज है, वह किसी के मजहब को छूती नहीं है, मगर वह मजहब का अड्डा भी नहीं बन सकती। कल्चर को मजहब से वास्ताह नहीं है, उसका वास्ता नेशनेलिटी से होता है। और पोलिटिक्स का वास्ता इन दोनों से नहीं है। इन तीनों चीजों को हमको मिलाना नहीं चाहिये।

कहा गया कि पुलिस को हटाइये। इसका जवाब मंत्री जी देंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस वहां शौकिया नहीं भेजी गयी और मै उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि शिक्षा संस्थाओं का काम पुलिस की छाया में नहीं हो सकता। लेकिन आज परिस्थिति वहां यह है कि जब तक विद्यार्थी वापस न आ जांय सही तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कम्प्लीट नर्मलसी वहां हो गयी। विद्यार्थियों के आने के बाद नार्मलसी रहती है और उसको वह निभाते हैं जैसा कि विद्यार्थियों ने कहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि एक दिन से भी ज्यादा वहां पुलिस न रखी जाय। लेकिन कुछ मजबूरियां है जिनको मैंने देखा। टम्बेश्वर जी ने सुझाव दिये। उनका हमसे क्या संबंध है यह देखने की बात है। उनको तो भेजने की बात है पार्यिलामेंट के अन्दर और इस सरकार का उनसे कोई वास्ता नहीं है। गवर्नर को क्या पावर्स हों क्या न हों। फिर जब ऐक्ट अमेंड होगा उस समय देखा जायगा। मै केवल एक ही दरख्वास्त करुंगा कि चाहे बनारस का विश्वविद्यालय हो अथवा अलीगढ़ का विश्वविद्यालय हो, यह अवश्य कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी में डिनामिनेशनल इंस्टीट्यूशन्स का कोई स्थान नहीं है। यह एक बड़ी सोचने

की बात है । मैं आखिर में यह दरख्वास्त करूंगा टम्बेश्वर जी से और अपने साथियों से कि हमको कोई साम्प्रदायिकता के दायरे में नहीं सोचना चाहिये । यूनिवर्सिटी के मसले को जो हमारा जनरल नेशनल सेट अप है उसके अन्तर्गत ही सोचें और उसी के अन्तर्गत हमको अपने आपको और विश्वविद्यालय को फिट इन करने की कोशिश करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री चन्द्रजीत यादव से) अब आप १० मिनट का ही समय लेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

आपने काफी समय औरों को दिया है । मैं भी स्वयं वहां गया था और घटना की व्यक्तिगत तौर से जांच की थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

काफी लोग बोलने वाले हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

आप पूरी डिबेट करा लें और औरों को समय दे दें । कई बुनियादी प्रश्न उठाये जा रहें हैं जिनके लिये समय चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं २५ अप्रैल को अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री अली यावर जंग पर जो प्राण घातक हमला किया गया उसकी निन्दा करता हूं और मैं समझता हूं कि हर देशभक्त, हर शिक्षा प्रेमी उस घटना की खुल कर निन्दा करेगा । श्रीमन्, जितनी गंभीर समस्या यह है उस पर हमको अपनी भावनाओं से हट कर आबजेक्टिव तरीके से विचार करना होगा और केवल अलीगढ़ के सामने ही नहीं, सारे देश के सारे और सारे शिक्षा संसार के सामने जितनी इसकी अहमियत है उतनी अहमियत से और उतनी ही गंभीरता से हमको इस पर विचार करना चाहिये । अगर विद्यार्थियों का केवल यही सवाल होता कि ७५ फीसदी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में दाखिला हो, इसी सवाल को ले कर आन्दोलन हुआ तो इस प्रकार के आन्दोलन हमारे देश के विद्यालयों में रोजमर्रा हुआ करते हैं । यह कोई नई बात नहीं थी, असाधारण घटना नहीं थी । लेकिन एक मामूली चीज को लेकर जिस तरह से उसको एक्सप्लोयट किया गया और उसको एक विशेष रूप दिया गया वह एक बहुत खतरनाक पहलू देश के लिये है । माननीय अली यावर जंग साहब ने इस विश्वविद्यालय में कुछ सुधार करना चाहा तो विश्वविद्यालय में जो कम्यूनल फोर्सेज थे उनको यह नागवार गुजरा और उन्होंने उनके खिलाफ संगठन बनाया और उसी के परिणाम स्वरूप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की दुःखद घटना हुई । इस आन्दोलन के पीछे विश्व विद्यालय के हिन्दू फिरकापरस्त और मुस्लिम फिरकापरस्त दोनों थे। जमाअते इस्लामिया के लीडर बशीर साहब थे और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद् का जो अब जनसंघ में विलीन हो गई है लीडर भीमसिंह था जो तीन बार जेल जा चुका था। भीमसिंह और बशीर साहब यह संयुक्त रूप से इस घटना का नेतृत्व कर रहे थे । दोनों ने लोगों को उकसाया और घटना में यह साथ-साथ थे । मुझे अफसोस है कि यहां विवाद में इस घटना के एक पहलू को नजरअन्दाज कर दिया गया है ।

श्रीमन्, दूसरा जो शर्मनाक वाकया है वह यह था कि जब हमला हुआ और पुलिस बुला ली गई और पुलिस ने आकर हस्तक्षेप किया तो फिर किसके कहने से पुलिस हट गई । यह मिस्टरी है पुलिस को हटने का क्या हक था जब कि वाइस चांसलर के ऊपर घातक हमला हो रहा था । इस घटना की तह में जाना चाहिये था । यह हमारे देश के लिये बड़े शर्म की बात है । मुझे खुशी है

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कि माननीय गृहमंत्री जी ने वहां के एस० पी० का ट्रांसफर किया है। अब वे बतायें कि आग क्या करने जा रहें हैं।

श्रीमन्, यह वाकया क्यों हुआ ? इसके लिये भारत सरकार और एजूकेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। खास तौर से श्रीमाली साहब जिम्मेदार हैं। वहां के प्रोफेसर्स जो प्रगतिशील विचार के थे उनको परेशान किया गया, निकाला गया और कम्यूनल बातों को उकसाया गया। और उनको बढ़ाया गया। श्रीमन् जो विश्व विद्यालय में घटना हुई क्या उसके लिये भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आपने सेकूलेरिज्म का कौन सा नक्शा पेश किया ? जब कि सऊदी अरबिया के शाह आयेंगे या अरब कंट्रीज के कोई साहब आयेंगे तो यही कहा जायगा कि हमारे यहां एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, यही नमूना पेश करते हैं। मुझे अफसोस है कि माननीय काशीनाथ जी ने कुरान की आयतें सुन लीं और उनका खून खौलने लगा। हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रागंण में विश्वनाथ जी का मंदिर बनता है। उसी विश्व विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघ का बकायदा संगठन और कार्यालय है। आज दुर्गा जी डिग्री कालेज में दुर्गा जी का मंदिर बनाया गया है। इस तरह के हिन्दू संस्थाओं के कालेज, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य आदि के नाम पर चलते हों। ये जातिवाद के ऊपर चलते हैं। हमारे यहां बुनियादी तरीके पर शिक्षा नहीं होती है। हमारी शिक्षा सैकुरल बेसिस पर नहीं है। हमने विधान के अन्दर मान्यता तो प्रदान की है लेकिन वह अमल में नहीं आती है। एक दृष्टिकोण अपना कर फिर चाहे हिन्दू कम्यूनेलिस्ट हो या मुस्लिम कम्यूनेलिस्ट हों, कोई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिये और सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन सरकार यह करती नहीं है और इस तरह की घटना को लेकर साम्प्रदायिकता का माहौल पैदा किया जा रहा है।

एक दूसरा भी पहलू है। मुसलमान माइनारिटी कम्युनिटी है। उसके अन्दर कुछ बातों को लेकर असंतोष है, भाषा के सवाल पर, बच्चों के दाखिले के सवाल पर, जबान के सवाल पर, उस पर हमदर्दी से गौर करना चाहिये कि कहां तक उनकी मांगे जाइज हैं। अगर आज बेचैनी बढ़ती है तो मुसलमान कम्युनेलिस्ट उस बेचनी को एक्सप्लायट करता है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि वह अपने आन्दोलन को फिरकापरस्तों के हाथ में न जानें दें और लखनऊ में जो कनवेंशन हुआ उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। आपने उसमें कम्युलन नेताओं को आगे रख दिया। इससे आप हिन्दू फिरकापरस्त ताकतों को बढ़ावा देते हैं। आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाकये को लेकर लखनऊ कनवेंशन को ले कर हिन्दू फिरकापरस्त तहलका मचाये हुये हैं।

दूसरे, यह भी कहा गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अन्दर पाकिस्तान का अड्डा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कंट्रेडिक्ट करता हूं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अन्दर हमने जांच की। एक भी पाकिस्तान का नेशनल विद्यार्थी नहीं था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अन्दर फिरकापरस्त जरूर है जैसे दूसरी संस्थाओं में हैं। यावर जंग पर हमला हुआ। डाक्टर युसूफ प्रो-वाइस चांसलर और मिस्टर सिद्दीकी, रजिस्ट्रार की साजिश थी। इसकी हमने भी रिपोर्ट की और कहा कि हटाइये ऐसे लोगों को जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की ताकतों को मौका देते हैं। जो इस प्रकार के वाकये हुये उनकी भर्त्सना करनी चाहिये लेकिन यह क्या कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को खत्म कर दो। यह घोर प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक मांग है। काशीनाथ मिश्र जी ने कहा कि ९० फीसदी मुसलमान फिरकापरस्त हैं। उनका यह कहना खुद उनकी फिरकापरस्त जहनियत का परिचय देता है। इस तरह की बातों से समाज का महौल बिगड़ेगा। जो प्रो पाकिस्तान, या प्रोचाइनीज ताकतें हैं, उनके साथ प्रशासन को सख्ती करनी चाहिये। लेकिन आप कहते हैं कि उस देश में मुसलामनों को हिन्दू होना चाहिये। हमने अपने आईन में कहा है कि मजहब को आजादी है। यह घोर कम्युनल मांग है। विधान सभा के तौर पर इस प्रकार मांग करना हमारे देश के नाम पर कलंक है। हमारे विधान के खिलाफ है। इन्हीं बातों के साथ में मांग करता हूं कि जिम्मेदार लोग बैठें और इन तमाम समस्याओं पर गौर करें और शिक्षा

संस्थाओं में सेकुलरिज्म के आधार पर परिवर्तन करें। सामान्य परिस्थिति पैदा हो तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जनवादी संस्था पुनः स्थापित की जानी चाहिये उसका हल नौकरशाही तरीका नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संकोच था कि इस विवाद में किस तरह हिस्सा लूं। एक परेशानी थी। माननीय चन्द्रजीत यादव के भाषण के बाद मेरी हिम्मत पड़ी कि इस पर कुछ कहूँ उपाध्यक्ष महोदय, काशीनाथ जी के ९० फीसदी मुसलमानों के पाकिस्तानी हो जाने के बात कहने के बाद मैं सोचने लगा कि खड़ा हूँ या नहीं क्यों कि पता नहीं कि मैं काशीनाथ जी की नजरों में ९० फीसदी में हूँगा या १० फीसदी में। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सफाई के साथ अर्ज कर देना चाहता हूं कि १० फीसदी की छूट जो श्री काशी नाथ जी ने दी है उसकी एक खास वजह है। अगर वह वजह न होती तो शायद वे इस १० फीसदी की भी छूट नहीं देते। दिल में तो १०० फीसदी है लेकिन जबान से १० फीसदी की छूट दे रहें हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी नीयत के ऊपर हमला है। इस सदन में मैं ऐसा सदस्य हूँ जिसके दिल में जो बात होती है उसे जबान से कह देता हूँ। जो मैंने सही समझा उसे कह दिया।

श्री जियाउर्रहमान—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सन् १९६७ के इलेक्शन का जमाना करीब न होता तो वे इस १० फीसदी की भी छूट नहीं देते। १० फीसदी की छूट उन्होंने इसीलिये दी है ताकि वे इलेक्शन के वक्त अपने मुस्लिम वोटरों से कह सकें कि मैंने जो सदन में बयान दिया था वह तो ९० फीसदी के लिये ही दिया था, जो कि पाकिस्तानी हैं, १० फीसदी को छोड़ दिया था। और वह १० फीसदी तुम हो। मालूम होता है कि जो १० फीसदी नान पाकिस्तानी मुसलमान हैं सिर्फ श्री काशीनाथ मिश्र की कांस्टीटुएंसी में ही रहते हैं। बाकी सब पाकिस्तानी हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां, जितने छाता वाले, चूड़ी वाले, अनपढ़, जोलाहा, धुनिया मुसलमान हैं वे नान-पाकिस्तानी हैं और अब भी मैं कहता हूँ कि सारे मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं वे पाकिस्तानी हैं। जितने गरीब मुसलमान हैं वे देशभक्त हैं और दूसरी तरह के मुसलमान देशद्रोही हैं।

श्री जियाउर्रहमान—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत ही संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करना चाहिये। कोई भी मसला हो, चाहे उर्दू जबान का हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में कोई हंगामा हुआ हो उसका मसला हो, चाहे कहीं के कम्यूनल दंगे का मसला हो, चाहे श्री इस्तफा हुसैन, एक्स पार्यिलयामेंटरी सेक्रेटरी के मारे जाने का मसला हो मुसलमानों की आवाज को पाकिस्तानी कह कर दबाया जाता है। यह कहना कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय मैं गोरखपुर गया था और गोरखपुर के कमिश्नर से जो मेरी बातचीत हुई उसे मैं आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं। मैं श्रीमन्, कहा था कि जनसंघ ने मालूम होता है एक फैक्ट्री खोल रक्खी है जहां से वह हर मुसलमान को पाकिस्तानी बनाकर निकाल देती है। अगर उसकी फैक्ट्री इसी तरह से चलती रही तो उस मुल्क में जो ६ करोड़ मुसलमान हैं वे सब उस फैक्ट्री से पाकिस्तानी बन कर निकल आयेंगे। फिर सोचने की बात है कि ऐसी हालत में इस मुल्क का क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना

[श्री जियाउर्रहमान]

चाहता हूँ कि वे लोग जो इस तरह के वाकयात से मुसलमानों पर आमतौर पर कम्युनल चार्ज लगाते हैं कि सब के सब देशद्रोही है वे इस मुल्क के दुश्मन हैं। और इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। जिस मुल्क की ६ करोड़ की तादाद मुल्क की दुश्मन और गद्दार हो जाय वह मुल्क कभी टिक नहीं सकता है। ६ करोड़ की तादाद कोई मामूली तादाद नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि यह बात बहुत ठंडे दिल से सोचने की है। जरा सोचो तो सही कि सब को कम्युनल कह कर उन मुसलमानों को भी कह रहे हो जो नेशनलिज्म की एक शानदार तवारीख रखते हैं। हम वह हैं कि जिन्होंने उस वक्त के कम्युनलिज्म का मुकाबला किया जब कि मुसलमान फैनिटिज्म का बोलबाला था, हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों की गालियां खाईं, अपने ऊपर मुसलमानों से थुकवाया, फिर भी आप हमको गद्दार कहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं नहीं बैठता हूं। (व्यवधान)

मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। (व्यवधान तथा शोर)

श्री जियाउर्रहमान---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठने के लिये तैयार नहीं हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

काशीनाथ जी, आप बैठ जायं। वे बैठना नहीं चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मेरी एक बात का जवाब दिलवा दें कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान बनाने का आन्दोलन क्यों शुरू हुआ? और मेरी शिकायत यह है कि खान अब्दुल गफ्फार खां को कंडेम किया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इसका जवाब दिलवा दें।

श्री जियाउर्रहमान---

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आप से हाथ जोड़ कर अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरा वक्त जाया किया जाता है उसका खयाल रखा जाय। जो बात मैं कह रहा हूं वह इस लिये कह रहा हूं कि मेरे दिल को सदमा है, मेरे दिल में दर्द है, दुख है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि आज तक कम्युनलइज्म की कोई भावना, कोई परम्परा जिसके खानदान में ३, ४ पुश्तों से कभी न रही हो जिसक खानदान में सन् ५७ से नेशनलिज्म की रोशन तवारीख रही है उसके खानदान पर यह एक धब्बा है। काशीनाथ मिश्र जी ने जिन्ना साहब की बात कही कि

अलीगढ़ में पाकिस्तान की योजना बनाई गई लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि जिन्ना साहब ने आपको गारत नहीं किया बल्कि हमको गारत किया। जिस वक्त यहां पर पाकिस्तान की बात को हमारे रहनुमा, नेताओं ने नेहरू जी और गांधी जी ने माना था उस वक्त भी हमने इनकी मुखालिफत की थी। हम जानते थे कि हमारा क्या होगा। यह हम ही जानते हैं कि आज हमारा क्या हाल हो गया है।

हमारी मांगों का यहां पर जिक्र किया गया। मैं अर्ज करूंगा कि जिस कांस्टीट्शन की यहां पर कसमें खाई जाती हैं उसी कांस्टीट्यूशन की रोज यहां पर अवहेलना की जाती है। सबसे ज्यादा उस कांस्टीट्यूशन की अवहेलना करने वाले और मुखालिफत करने वाले इस मुल्क के वफादार समझे जाते हैं। उस कांस्टीट्यूशन में दिये हुये अधिकारों की बिना पर अगर हम अपनी जायज मांगों को रखते हैं तो हमको गद्दार और पाकिस्तानी कहा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस मुल्क में हम अक्लीयत में है। हमारा भी कुछ हक है जो हमको दिया गया है। और अगर हमारे उस हक को नहीं जानते तो साफ कहो कि "तुम मुसलमान हो, तुमको इस मुल्क में रहने का हक नहीं है" कांस्टीट्यूशन में जो माइनारिटी को हक दिया गया है उसको बदल दो। जब तक वह कांस्टीट्यूशन मौजूद है और उसके अन्दर वे दफाएं मौजूद हैं उस वक्त तक यह कहना कि हम लोग कोई मांग न रखें यह गलत बात होगी। वे मांगें चाहे गलत हों लेकिन हमको उस कांस्टीट्यूशन के मुताबिक अपनी मांग रखने का हक है। आप चाहे किसी चीज को १०० फीसदी गलत समझें लेकिन पीसफुल तरीके से हमको अपनी बात रखने का हक है और उसी तरीके से हक है जिस तरीके को महात्मा गांधी जी ने बताया था। उस तरीके से हम अपनी बात रखते ह। अलीगढ़ में जो २५ अप्रैल को वाक्या हुआ उसके बाद मुख्तलिक किस्म के बयान हुये। मैं भी अलीगढ़ गया और दिल्ली भी गया। और वहां पर अपने तौर पर मालूम किया लेकिन यह आदत नहीं है कोई खास बयान दे दूं और इस बात को सोचता रहा कि क्या करना चाहिये। जब इस बकाये का पहली मर्तबा यहां पर हाउस में तजकिरा हुआ तो मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी। मैं सोच रहा था कि किसी विश्वविद्यालय का तालिबइल्म क्या इतना गिर जायगा कि वह इस किस्म की हरकत कर बैठेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक लमहे के लिऐ भी एक सेकंड के लिये भी जो अली यावर जंग साहब पर हमला हुआ उसकी सराहना नहीं की है। उसकी दिल से कंडेम किया है। यहां तक उस बकया का ताल्लुक है, मैं समजता हूं जिसमें ईमानदारी जरा सी भी बाकी है, वह इसको हिमायत नहीं कर सकता, यस बड़ी जलील हरकत हुई और मैं उसको कंडेम करता हूं।

आर्डिनेंस के बारे में मेरे दिमाग में थोड़ी सी परेशानी है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मामूली हालत में यह आर्डिनेंस आया होता तो मैं जोरदार शब्दों में कहता कि यह आर्डिनेंस १०० फीसदी सही है। किसी यूनिवर्सिटी की जिन्दगी में इससे खराब बात और क्या हो सकती कि वहां के वाइसचांसलर का मर्डर करने की कोशिश की जाय और इस लिये अगर सिर्फ इसी वाकए की बिना पर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये आर्डिनेंस जारी होता। मामूली हालत में आता तो मैं इसका दिल से स्वागत करता और मैं उन लोगों में होता जो कहता कि यह लागू होना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिन हालात में यह आया है उससे न केवल मेरे दिमाग में बल्कि पूरी मुस्लिम माइनारीटी के दिमाग में शक पैदा हो गया है कि यह सब मुस्लिम यूनीवर्सिटी को मिलाना चाहते है। यह गलत है कि हमेशा यह चार्ज लगा दिया जाता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का अड्डा है। माननीय चन्द्रजीत जो ने इसपर ठीक कहा है। यही नहीं, एजूकेशन मिनिस्टर जब उन चार्जेज की पुष्टि कर दे उनका प्रेस कम्युनीक जन संघ की जवान में हो, तो इससे हैरत होती है। कहा गया कि मेडिकल कालेज से लड़के पास करके पाकिस्तान चले गये। जब उसके बाद इसको कन्ट्राडिक्ट किया गया और अली यावर

[श्री लियाउर्रहमान]

साहब ने कहा कि यह बात गलत है, अभी तो वहां मेडिकल कोर्स को खुले तीसरा ही साल है, कोई लड़का पास ही नहीं कर पाया है, पहला बैच भी नहीं निकला है, चला कैसे गया, तो होश आया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

उन्होंने यह नहीं कहा, यह कहा कि जिस तरह से और देशों में चले जाते हैं उसी तरह से पाकिस्तान चले जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री जियाउरर्हमान--

छागला साहब के उसके पहले के भी स्टेटमेंट इसी तरह के हैं । उनके जो भी स्टेटमेंटस हुये हैं वह एक एजूकेशन मिनिस्टर के रैंक के और जुडीशियरी में रहने वाले जज के लिये शोभा-जनक नहीं थे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ कहने के पहले यह कहना चाहता हूं यह सब जो हुआ है वह कांग्रेस सरकार की कमजोरी की वजह से हुआ है । हम इतने करोड़ हैं, इतने लाख हैं, यह है, वह है । मान्यवर मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह ६ करोड़ की धमकी जो हमें दी जाती तो हम ३४ करोड़ हैं, हम ६ करोड़ की धमकी से दबने वाले नहीं है, हम कदापि नहीं दबेंगे । यह ६ करोड़ की धमकी कांग्रेस सरकार को दिखाओ, मुल्क को नहीं दिखा सकते । हमारे पूर्व वक्ता ने कहा हम गांधी जी के रास्ते पर आन्दोलन करना चाहते है, यह हमारा संवैधानिक हक है । मैं उनसे जरा पूछना चाहता हूं कि उनका मुस्लिम सम्मेलन जो अभी हुआ वह कोई ऋषि मुनियों का सम्मेलन नहीं था, यह सीधा मुस्लिम लीग का सम्मेलन था । इसमें एक तवक्कुल हुसेन आये थे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम छागला साहब के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने सोते हुए शेरों को जगा दिया है । गांधीवाद की दोहाई देनेवालों से मैं जानना चाहता हूं कि सोते हुए शेर गांधी जी के कहे जाते हैं । कहां से आप शेर बने और शेर बनकर दिखलाना चाहते हैं ? श्रीमान् जी, एक और बात दुःख की कही कि मामूली मसला रहता तो हम आर्डिनेंस का हृदय से स्वागत करते । मामूली फिजा रहती तो आर्डीनेंस निकालने की जरूरत क्या रहती ? सरकार को कोई शौक नहीं लगा था कि आर्डीनेंस निकालती । मैं तो यह कहता हूं कि छागला साहब फिर भी दब गये । कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी । छागला साहब जैसे आदमी दब नहीं सकते थे । वे दब गये । श्रीमान जी, आपकी मांग है । मैं अपने शब्दों में नहीं कहूंगा । इनके शब्दों में ही कहूंगा ।काजी जलील अब्बासी का जो प्रस्ताव है उसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की मूल प्रकृति को परिवर्तित करने के किसी भी कार्य को हम सहन नहीं कर सकते । अब मूल प्रकृति में विश्वविद्यालय चीज क्या है उसको देखना है । इसको श्रीमन्, जिन्ना साहब ने बताया है । जिस समय देश का बंटवारा हो रहा था कि हमारी संस्कृति और कल्चर अलग है इसलिये जब तक देश का बंटवारा नहीं होगा तक तब हमारी कल्चर और संस्कृति नहीं हो सकती माफ कीजिये जलील अब्बासी साहब और जो मेरे पहिले बोले थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, अगर आपकी मूल संस्कृति और कल्चर वही है और अलग है तो आप बशौक तशरीफ ले कर चले जाइये । हम दोबारा यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जिस संस्कृति का नाम आप लेते हैं, रहीम, जायसी, कबीर और आपके सरहदी गांधी वे भारतीय संस्कृति के हैं और जिस संस्कृति की आप दोहाई देते है, जिस संस्कृति को जिन्दा रखने के लिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को साम्प्रदायिक अड्डा बनाना चाहते हैं उसने क्या फायदा किया। उसने पैदा किये अयूब उसने पैदा किया है लियाकत अली को, उस सभ्यता ने पैदा किया है उन लोगों को जो कल्चर यह बतलाती है कि बूढ़े बच्चे जवान औरतें, इतना ही नहीं पेट में चीर कर गर्भ के भ्रूणों को भी मार डाला जाय। हम उसको मानने को तैयार नहीं है। अगर आप उस संस्कृति को फिर से पनपाना चाहते हैं तो हम बड़े गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि हम उसे कतई नहीं पनपने देंगे। उसके लिये हम तैयार है। हमारे चन्द्रजीत यादव साहब बड़े हिमायत करते हैं। उन्होंने एक किसी का नाम बता दिया कि जनसंघ का आदमी था। मैं चैलेंज करता हूं कि चन्द्रजीत यादव जो जे० ए० अहमद साहब के अनुयायी है, उन्होंने कहा कि भीमसिंह जनसंघ का सदस्य हैं। मैं चैलेंज करता हूं वह जनसंघ का कोई सदस्य नहीं है और कोई रहा और होगा। हो सकता है कि कम्युनिस्ट रहा हो। श्रीमन् वह कौन रहा होगा इसका मैं अपने से नहीं कहना चाहता। मुस्लिम कावे शन में आये हुये लोगों की ही जवानी कहलवाना चाहता हूं।

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्राचीन छात्रों का सम्मेलन हुआ और उसमें रिपब्लिकन पार्टी के एम० पी० साहब आये और उन्होंने कहा कि मुजफ्फर हसन साहब, शास्त्री और नंदा जी यह समझ लें कि आज उनकी सरकार हमारी जाति के वोटों से चुन कर ही बनती है क्योंकि उनकी जाति में तो बीसों पार्टियां है अगर आप इस प्रकार से हमें सीधे छोड़ देंगे तो आप धूल में मिल जायेंगे। यह नयी पार्टी कायम हुई है। यह रिपब्लिकन पार्टी मुसलमानों और कम्युनिस्टों की मिक्सचर है। और उसका नतीजा हुआ मुस्लिम छात्र सम्मेलन। जो शब्द उन्होंने कहे थे जियाउर्रहमान साहब के मुंह से वे वही शब्द निकल गये। आपने जो कहा १० फीसदी तो माननीय काशीनाथ जी ने बिलकुल सत्य बात कही बल्कि कुछ बढ़ा कर कह दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सरहदी गांधी ने कहा कि मुल्क को बंटवा कर आप लोग अब मौज कर रहे हैं तो क्या आप मेंसे किसी ने कहा कि नहीं आप यहां आइये हम आपका साथ देंगे। और बनते हैं नेशनलिस्ट मुसलमान। आप उनसे कहते यहां हम आपको कलेजे में बिठायेंगे। आप यूनिवर्सिटी में अयूब खां की तस्वीर लगाते हैं और ने नेशनलिस्ट होने की बात कहते है। मैं जानना चाहता हूं कि सरहदी गांधी की तस्वीर वहां क्यों नहीं लगायी गयी। और सन् ४२ के अन्दोलन की वहां पर निन्दा क्यों की गयी।

श्रीमन्, भूत वह जो सर पर सवार हो कर बोले। हमारे जलील अब्बासी साहब बड़े जोर से कह गये कि उनको यहां नौकरी नहीं मिलती तो पाकिस्तान क्यों न जायं। सही बात कहते है। पढ़ेंगे यहां, खर्च हम उन पर करें, दुनिया भर की गाली गलौज हम सुनें और हमारे यहां की कुल चीजें यहां से जानकर और उनको लेकर अगले दिन पाकिस्तान चले जायं और यहां पर यही कहते रहेंगे जब तक कि वह चले न जायं।

एक चीज और कही कि जलील अब्बासी साहब ने किसी दिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ कह दिया तो उनकी शादी में रोड़ा अटकाया गया अब इसके आगे उनको और क्या प्रमाण दिया जा सकता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक साम्प्रदायिक संस्था है या कैसी है एक देशभक्त की भावना से उन्होंने एक काम किया तो उन्होंने उनकी शादी में रोड़ा अटका दिया। अब क्या उनको और प्रमाण देना होगा, क्या दुनिया में उनको और मशाल जला कर दिखाना होगा ?

श्रीमान्, जी मैं कहता हूं कि यह सारा तमाशा और जड़ तैयब जी महाराज की है। वह घोर सांप्रदायिक व्यक्ति थे। पहले ५० प्रतिशत था उन्होंने उसको ७५ फीसदी कर दिया और जब अलीयार खां उसको ५० फिर से करने चले तो नेशलिस्ट मसलमानों ने उनको मार डालन

[कुंवर श्रीपाल सिंह]
का प्रयन्न किया। क्या यही गांधी की सभ्यता है ? गांधी सभ्यता वाले लोग अपने को ही मार डालने को तैयार हो रहे थे। गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर वहां पुलिस न पहुंच गयी होती तो वाइस चांसलर को मार डाला गया होता। तैयब जी ने क्या किया ? हिन्दी भाषा के बारे में मैंने एक प्रश्न किया कि उसको वहां पर रोमन लिपि में पढ़ाया जाता है। यह भी तैयब जी का ही प्रोग्राम था। भाषा हिन्दी और पढ़ाया जा रहा है कि अंग्रेजी कैसी अच्छी भाषा है और वह भी रोमन लिपि में। उसमें यह लिखा था

"This course has been planned to extend your knowledge of the world In which you live. Now a days English is often called "a window on the world."

यह पढ़ाया जा रहा है कि अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है क्योंकि—

"Because it has become the most world-wide means of communications. In every part of the world, English is learnt not forits own sake but because of the many things that can only be learnt through English."

इसके नीचे इसका अनुवाद रोमन लिपि में दिया हुआ है उर्दू जबान कहा जा सकता है, हिन्दी नहीं। कितनी चालाकी से इससे दो काम किये गये है, एक तो हिन्दी को भ्रष्ट करने का दूसरा अंग्रेजी की बड़ाई करने का इसका मकसद यही था रोमन लिपि में जो कुछ लिखा हुआ है वही हिन्दी है और वह हिन्दी यहां कि अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है। यह सब तैयब जी महाराज की करतूत थी। हिन्दी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं लेकिन अंग्रेजी की तारीफ कर रहे हैं। यह सारा किस्सा जो कुछ हुआ वह एक मात्र तैयब जी की वजह से हुआ। क्या किसी का यह कहना कि अलीयावर जंग को मार डालो किसी देश भक्त नागरिक का काम है। यहां शेरवानी और कुर्ते के बटन तोड़ने सेकाम नहीं चलेंगा, हम देश भक्त है, काम कोई क्या करता है, उससे पता लगेगा, केवल यहां कहने से, कह कर दिखाने से काम नहीं चलेगा। जिस जगह देश भक्ति दिखाई जानी चाहिये वही दिखाने से आपको देश भक्त माना जायगा। क्या सरहदी गांधी ने कभी कहा था, क्या उन्होंने कभी ढिंढोरा पीटा था कि मैं देशभक्त हूं, मैं नेशनलिस्ट मुसलमान हूं। एक आदमी जो जीवन भर हिन्दोस्तान और पाकि स्तान के जेलखाने में बंद रहता है, उसने कभी नहीं कहा कि मैं नेशलिस्ट मुसलमान हूं, कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। इसलिये हम ढिंढोरा पीटने से विश्वास करने वाले नहीं है, काम करके दिखलाइये।

और उस कन्वेन्शन में किसको बुलाया गया था ? नूरी साहब को, मुस्तन सुनल्लाह साहब को। इनका मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या मतलब था, क्या संबंध था ? इस सदन के सदस्य श्री चैतन्य राज सिंह जी तो इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुये है, उनको क्यों इनवाइट नहीं किया गया ? नूरी साहब को बंबई से बुलाया गया। ऐसे ऐसे लोगों को छांट छांट कर बुलाया गया जो कम्युनल मुसलमान थे। जो कुछ उन्होंने कहा उसके प्रकाश में आप यहां कुछ भी कहें, उसके धोखे में हम आने वाले नहीं है। हम तो केवल काम देखेंगे, आपके शब्दों को नहीं देखेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, इस सदन में जो वाद विवाद हुआ उससे मेरी समझ में यह आया कि आपस में ही हम एसी बहुत सी बातें कर गये जो शायद इस प्रश्न पर विवाद करने में नहीं आनी चाहिये थी। यदि गम्भीरता से देखा जाय तो इस प्रश्न के दो अंग है।

एक तो शैक्षिक और दूसरी शांति और व्यवस्था या सुरक्षा। जहांतक इस प्रश्न के शैक्षिक पहलू का सम्बन्ध है उस का सम्बन्ध, भवन के सभी माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि इस सरकार से नहीं है। यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और इसका सम्बन्ध केन्द्र से है और केन्द्र वहां की

वस्तुस्थिति और वातावरण को देख कर जो उचित समझता है वह करता है। हो सकता है जो कुछ उन्होंने किया उससे हम सहमत न हों, या इधर के लोग और उधर के लोग उस से सहमत न हों लेकिन मैं समझता हूं कि यह स्थान ऐसा नहीं था कि जहां हम उन पर आक्षेप करते कि उन का यह कदम ठीक है या नहीं है, इस के जिम्मेदार वही हैं। लेकिन उस का जितना सम्बन्ध इस सरकार से है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वहा की सुरक्षा और शांति का सम्बन्ध इस सरकार से है। यदि विचार उस पृष्ठभूमि में होता और उसी पृष्ठभूमि में हम इस भवन में इस पर विवाद करते तो हमारे लिये वह अधिक शिक्षाप्रद होता आर उससे मुझे भी कुछ सुझाव मिलते।

एक घटना अलीगढ़ में हुई। मैं समझता हूं कि एकाएक, अचानक बिना कारण ही वह घटना नहीं हुई। उस घटना की एक पृष्ठभूमि थी, एक वातावरण वहां बना हुआ था और उसी के फलस्वरूप वह घटना हुई। उसका सम्बंध हम से केवल इतना ही था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है और वहां पर शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने का उत्तरदायित्व इस सरकार पर है। जब यह घटना हुई तो उसके सम्बन्ध में मुझे भी अवसर हुआ वहां जाकर चीजों को अध्ययन करने का, देखने का और समझने का और उस के उपरान्त मैंने यह उचित समझा कि वहां पर जो कांड हुआ उस की जांच सी० आई० डी० के सुपूर्द कर दूं। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आती रहती है और निकट भविष्य में शायद कुछ निश्चय भी है। इस माने में कि उन्होंने अपनी जांच कर ली है और शायद थोड़े ही दिनों में वह अपनी कार्यवाही करने वाले हैं, वह आपके सम्मुख आ जायगी, लेकिन इसके माने यह नहीं है कि वह आपके सामने भवन में आ जायगी बल्कि उस के सम्बन्ध में जो कार्यवाही होने वाली है वह निकट भविष्य में चूंकि वह पूरी हो गई है इसलिये उसके अन्तर्गत जो लोग भी दोषी पाये जायंगे चाहे वह विश्वविद्यालय के कितने ही बड़े अधिकारी क्यों न हों, हम उन के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, यह विश्वास मैं सदन को दिलाता हूं। चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा यहां की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हमें उसे कायम रखना है। यह जो कावेन्शन हुआ और उस सब की रिपोर्ट हमारे पास आती रहती है उनसे मैं ने यह जरूर देखा कि शायद यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय ही देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर मुस्लिम जमातें जितनी हैं, वे किसी न किसी रूप से वहां प्रतिष्ठित हैं। क्यों प्रतिष्ठित हैं, उनको कहां से प्रोत्साहन मिलता है।...

एक सदस्य--

पाकिस्तान से।

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह तो मैं नहीं मानता। वे संस्थाएं हैं और सब का यह मजमूई असर हुआ, एक वातावरण ऐसा पैदा हुआ। उस वातावरण में ऐसी घटना वहां हुयी। आज यह बात जरूर है और प्रत्येक हिन्दुस्तानी को अपनी जगह पर, चाहे वह किसी धर्म के हों, यह समझ लेना चाहिये कि सैक्यूलरिज्म और सांप्रदायिकता दोनों साथ साथ नहीं चल सकती (मेजे थपथपाई गईं) एक अवसर वह आयेगा जबकि यदि हम अपने सैक्यूलरिज्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हमको सांम्प्रदायिकता के प्रति चाहे वह जिस फिर्के में हों, चाहे वह जहां भी हों, उस पर कुठाराघात करना होगा और उसे मजबूती से दबाना होगा और अगर हम सफल नहीं होंगे तो फिर भारत का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। तो यह बात अपनी जगह पर माननी चाहिए। जैसा चंद्रजीत यादव जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि सैक्यूलरज्म का अर्थ है इरलिजेस होना। उनके लिए तो ठीक है क्योंकि कम्युनिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, वे धर्म के विरोधी होते हैं, लेकिन जब हम सक्युलरिज्म बनाते है तो उ सका अर्थ यह नहीं है कि हम इरैलिज्म है, कोई धर्म नहीं है, हमारा। हम अपने धर्म की रक्षा करते हुए किस प्रकार इस देश में से सेक्यूलरिज्म की भी रक्षा करें जिसमें बहुत जातियां, बहुत धर्मों का देश सुरक्षित रह सके। हमको और आपको निरन्तर प्रयास करना चाहिए और यही प्रयत्न करने पर हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

मैं आर्डिनेन्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उसका उत्तरदायित्व इस सरकार पर नहीं है । इसके बारे में माननीय नवल किशोर जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं । उसके विचार कोई सरकार के विचार नहीं हैं । लेकिन एक स्थिति पैदा हुई । उस स्थिति को संभालने के लिए आर्डिनेन्स ही एक माध्यम है और इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब का कर्तव्य होना चाहिए कि हम कोई जल्दबाजी न करें । बहुत थोड़े दिन की बात है कि पार्लियामेंट मीट कर रही है । एक कानून बनेगा और वह कानुन अमल में आयेंगे । लेकिन यह बात, एक गृह मंत्री होने के नाते, आपसे छिपाना नहीं चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स के मसले को लेकर साम्प्रदायिकता जोर पकड़ रही है । आपसे छुपाने की कोई बात नहीं है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसके प्रति जागरूक हैं और जिस प्रकार से भी होगा हर स्थान पर इस बात की कोशिश करेंगे कि उसको कोई प्रोत्साहन न मिले । अगर हमारी कन्वेन्शन के लोगों ने मुस्लिम युनिवर्सिटी में जहां कि ३३ प्रतिशत हिन्दू लड़के भी हैं अगर वे छात्र सम्मेलनों में सम्मिलित हुए होते तो यह किसी को कहने का मौका नहीं मिलता कि यह एक साम्प्रदायिक जमात थी । लेकिन एक नागरिक के नाते मेरी भी धारणा यह है कि इसको आवरण कुछ दिया गया और उसके पीछे कार्यवाही कुछ और की गयी । यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है । क्योंकि यह छात्रों तक ही सीमित नहीं रहा । हमारे पास जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती थी, जो इसमें भाषण हुए, पहले रोज तो कोई जाने नहीं पाया, मेरे पास रिपोर्ट आयी कि--"हमें जाने ही नहीं देते", अधिकारियों ने कहा कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि कोई आदमी एक नाम वह पहले पुकारते हैं वह आदमी जब खड़ा होता है तो उसको एक जगह ले जाते हैं उसको २ रु० दिया जाता है, उसी को गंगा प्रसाद हाल में स्थान मिलता है । तब मैंने उनसे कहा कि संस्थापक लोगों को लिख कर भेज दो कि हमारी इंटेलीजैंस और सी० आई० डी० रिपोर्ट करने के लिये वहां जायगी और अगर वह रोकें तो आप हमको बतायें । तो पहले वक्त तो वह नहीं जाने पाये थे, दूसरे वक्त जाने दिया । जो स्पीचेज मैंने पढ़ीं उनसे जो मैंने अभी विचार व्यक्त किये, वह विचार बने कि यह एक ऐसा केन्द्र बनागया कि उस केन्द्र को ले कर एक सामप्रदायिकता को जो कि बहुत दिनों से दबी पड़ी थी, उसको प्रोत्साहन मिला । यह हमारे, आपके लिये बड़ी चिन्ता की बात है और मैं इतना ही कह सकता हूं कि उसके प्रति जागरूक हूं और इस बात का प्रयत्न करूंगा कि कोई ऐसी अवस्था यहां उत्पन्न न होने पाये । बस, मुझे इतना ही कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर २६ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१० अगस्त, १९६५ ।

नथी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५६ पर ।)

क्र० सं०	स्थानों के नाम	क्र० सं०	स्थानों के नाम
१	जंगले रसूलपुर	३६	मैनी
२	जैंगले तुलसीपुर	३७	रेगौली
३	जंगले जैनी	३८	बैजनाथपुर
४	लच्छीपुर	३९	बाल बुजुर्ग
५	लालपुर टीकर	४०	बड़ गांव
६	महादेव घरखुन्डे	४१	बरही
७	घुनसुनकोठा	४२	जंगहा
८	राय गंज	४३	कुई
९	राजपुरा दूबे	४४	मन्दापुर
१०	रामपुर गोपालपुर	४५	मनबेला
११	सरहरी	४६	नथुवा
१२	भगवानपुर	४७	पटरा खास
१३	हरपुर	४८	रामपुर
१४	वगहा गरहा	४९	सेमरा मानि चौक
१५	भरसन्ड	५०	तुरकोलिया
२६	गाहन सारा	५१	बराईपार
१७	केशरारी	५२	कनेल
१८	पनिआरा	५३	सुहागनरा
१९	पटरंगावन	५४	बेलोन खुर्द
२०	पिपरा बहमन	५५	देव
२१	पमहरिया	५६	ढकुआ बाजार
२२	जंगले अगाही	५७	खजूरी
२३	करवापार	५८	कुंआ
२४	लेहरा	५९	लालपुर
२५	लोहारपुरवा	६०	बेलारी
२६	मथुरानागर	६१	विशुनाथपुर
२७	मटिहनवा	६२	जंगले बेरनी माधो
२८	मिसरौलिया	६३	जंगले इकला दयोम–१
२९	नानसागर	६४	जंगल नाला–१
३०	निरमन	६५	जंगले नाला–२
३१	शाहबाद	६६	कर्महा बुजुर्ग
३२	सनौरा बुजुर्ग	६७	मधुबेनी
३३	साहव गंज	६८	माधोपुर
३४	ठाकुर नगर	६९	फरेन्दा बुजुर्ग
३५	चकदाह		

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७२ पर)

सर्विस कनेक्शन न० १४२४४ के विद्युत व्यय के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया गया। अतः लाइन काट देने का अन्तिम नोटिस उपभोक्ता को दिया गया जिसकी एक प्रतिलिपि कर्मचारी वर्ग (line staff) को भी दी गई। उपभोक्ता नें बिल की अदायगी २२-२-६५ को की परन्तु जमा की हुई धनराशि को ledger में दर्ज होने में प्रायः एक सप्ताह का समय लग जाता है और विस्तृत आदेश समय पर जारी नहीं किया जा सका।

कर्मचारी वर्ग (line staff) को पहले ही निर्देश दिये जा चुके है कि उन उपभोक्ताओं की लाइनें, जो कि लाइन काटने से पहले रुपया जमा होने की रसिद दिखला देते है, नहीं, काटी जायें। इस केस (case) में भी कर्मचारी वर्ग नें रुपया जमा होने की रसीद मांगी जो कि उपभोक्ता द्वारा नहीं दी जा सकी अतः कनेक्शन काट दिया गया। उसके उपरान्त उपभोक्ता के कार्यालय से सम्बन्ध स्थापित करने पर और डिविजन के काजग देखने पर उसी ही दिन दिनांक २७-२-६५ को कनेक्शन जोड़ दिया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८२ पर)

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या गौरी बाजार ग्रुप	मौजूदा पक्की गूल की लम्बाई मी० फ० बु०			प्रत्येक नलकूप पर २ मील से कम पक्की गूल जिसका निर्माण होना है।
१	२	३			४
१	१	२	७	२७७	—
२	२	२	३	१४८	—
३	५	२	४	२३६	—
४	६	१	४	३६९	० ३ २९१
५	९	१	७	५५०	० ० ११०
६	११	२	२	६९	—
७	१२	२	०	५४१	—
८	१३	१	५	६५	० २ ५९४
९	१५	२	३	२३१	—
१०	१६	१	७	२६९	० ० ३९१
११	१७	२	०	५१६	—
१२	१९	२	१	६३	—
१३	२०	२	२	६१३	—
१४	२१	२	०	०	—
१५	२२	१	७	३४१	० ० ३१९
१६	२३	२	०	१८२	—
१७	२४	२	१	५००	—
१८	२८	१	७	५७०	० ० ९०
१९	३०	१	५	६०३	० २ ५७
२०	३२	२	०	०	—
२१	३३	२	०	०	—
२२	३४	२	७	५५९	—
२३	३५	१	७	४	० ० ६५६
२४	३६	२	४	४४८	—
२५	३७	१	५	२३०	० २ ३३०
२६	३८	१	६	६५४	० १ १५
२७	३९	२	०	३३०	—
२८	४०	२	४	०	—
	योग..	५९	७	९	१ ६ २१४

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या गौरी बाजार ग्रुप	दिनांक १.१.६५ से २१.६.६५ तक कुल सिंचित क्षेत्र	दिनांक १.१.६५ से २१.६ ६५ तक कुल चालिकत खंटे	दिनांक १.१.६५से २१.६.६५ तक कुल उपयोग की हुई विद्युत यूनिट में
१	२	३	४	५
१	१	१६५	३२३९	१८८२१
२	२	२५१	३३१९	२४६१३
३	५	१२३	२४४६	१८९६५
४	६	२४२	२४४६	२३५८७
५	९	१७४	२०२२	१४५०६
६	११	२२१	२१०२	१२२०४
७	१२	२२५	२३३५	१६४०४
८	१३	१४९	१६८८	१३१९४
९	१५	८८	१५८०	१०३१९
१०	१६	१७७	२६०६	१७५४८
११	१७	१६८	१९५६	१५१७८
१२	१९	१३०	१८०८	१२८०३
१३	२०	११५	१२९०	१०६०८
१४	२१	१२[illegible]	१६६४	१३६७१
१५	२२	[illegible]१३	१३०८	१०४३५
१६	२३	२०३	२२१४	१६७८१
१७	२४	१४०	३१४४	१४११५
१८	२८	२०९	२२०५	८२७१
१९	३०	१५५	१६८१	१०७६८
२०	३२	४०	३८९	१६९०
२१	३३	१५१	१७६७	१५४९२
२२	३४	१७८	१९३९	१३५७१
२३	३५	२३६	१७७७	२०३४९
२४	३६	२२७	२३११	१५१४५
२५	३७	१७९	१८०७	१०३[illegible]
२६	३८	१४९	१५०५	१३८२६
२७	३९	१९९	१६४८	१३५०८
२८	४०	१७९	२१०७	१२९१९
	योग ..	४७०९	५६३१७	४००१६२

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०२ एल० ए०—१९६५—८६२।